इकाई–1

समुदाय एवं सामुदायिक संगठन

Community & Community Organisation

इकाई की रूपरेखा

1.1 परिचय
1.2 उद्देश्य
1.3 समुदाय की अवधारणा प्रकृति एंव विशेषतायें
1.4 समुदायिक संगठन का अर्थ, उद्देश्य, सिद्धान्त एवं अंग
1.5 सार संक्षेप
1.6 अभ्यास प्रश्न
1.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1.1 परिचय

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के जीवन में समुदाय का विशेष महत्व है।प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य होता है। अब प्रश्न उठता है कि समुदाय क्या है। समुदाय एक ऐसा मानव समुह है। जिसे औपचारिक रूप से संगठित नहीं किया जाता है। वास्तव में यह मनुष्यों का वह समूह है। जो साथ–साथ रहता है और साथ–साथ रहकर जीवन यापन करता है।

समुदाय में व्यक्ति एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिये निवास करते हैं इनकी समस्त जैविक और मानसिक आवश्यकतायें इस सामुदायिक जीवन में ही पूरी होती हैं। गॉव इसका उदाहरण है। गाँव का जीवन पूर्णतः सामुदायिक होता है। यहां के निवासी रक्त और व्यवसायों के बंधनों से परस्पर संबन्धित रहते हैं उनमें परस्पर एकता की तीव्र भावना होती है।

यधपि उनका कोई विशेष उददेश्य नहीं होता। धार्मिक संघ, राजनीतिक संस्थाएं आदि समुदाय के अन्तर्गत नहीं आते लेकिन इनके संगठन का विशिष्ट उद्देश्य होता है।

1.2 उद्देश्य

इस ईकाई को पढ़ने के बाद आप –

- समुदाय का अर्थ तथा प्रकार को जान सकेगें ।
- सामुदायिक संगठन के अर्थ को समझ सकेंगे।

- सामुदायिक संगठन कार्य में प्रयोग होने वाले सिद्वान्त को जान सकेंगे।
- सामुदायिक संगठन में प्रयोग होने वाली प्रविधियों एंव निपुणताओं को जान सकेंगे।
- सामुदायिक संगठन के अंगभूतो को समझ सकेंगे।
- सामुदायिक नियोजन एंव सामुदायिक विकास के अर्थ को समझ सकेंगे।

1.3 समुदाय की अवधारणा प्रकृति एंव विशेषतायें

समुदाय शब्द लैटिन भाषा के (com) तथा 'Munis' शब्दों से बना है। com का अर्थ हैं Together अर्थात एक साथ तथा Munis का अर्थ Serving अर्थात सेवा करना। इस प्रकार समुदाय का अर्थ एक साथ मिलकर सेवा करना है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है तथा परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करता है, समुदाय कहलाता है। प्रत्येक समुदाय के सदस्य में मनोवैज्ञानिक लगाव तथा हम की भावना पाई जाती है समुदाय के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों की परिभाषायें प्रस्तुत की जा रही हैं–

मैकाइवर के अनुसार – समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते है, जिसे सामाजिक सम्बन्धता अथवा सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके।''

आगबर्न एंव न्यूमेयर के अनुसार, ''समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है जो एक सन्निकट भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो, जिसकी गतितिधियों एवं हितों के समान केन्द्र हों तथा जो जीवन के प्रमुख कार्यों में इकट्ठे मिलकर कार्य करते हों।''**बोगार्डस के अनुसार,** ''समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें हम भावना की कुछ मात्रा हो तथा एक निश्चित क्षेत्र में रहता हो।'' **आगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार**, '' समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन हैं। **एच0 मजूमदार के अनुसार**, ''समुदाय किसी निश्चित भू–क्षेत्र, क्षेत्र की सीमा कुछ भी हो पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं''। **डेविस के अनुसार** ''समुदाय एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अन्तगर्त सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश हो सकता हैं''।

समुदाय की प्रकृति एवं विशेषतायें : समुदाय की उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर उसकी कुछ मुल विशेषताऐं बताई जा सकती हैं जो निम्नलिखित हैं:–

(1) निश्चित भू–भाग का तात्पर्य यहां उन सीमा एवं घेरे से हैं जो किसी विशेष सामाजिक आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं वाले नागरिकों को अपनी परिधि में सम्मिलित करता है मानव जाति की एक परम्परागत विशेषता रही है कि जब मानव परिवार किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चलने के लिए प्रयत्न करता है तो वह उस स्थान को प्राथमिकता देता है। जहाँ उसके समान सामाजिक–आर्थिक एवं धार्मिक विचारों वाले लोग निवास करते हैं।

(2) व्यक्तियों का समूह–समुदाय से यहाँ तात्पर्य मानव जाति के समुदाय से है, जो अपनी सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक समरूपताओं के आधार पर एक निश्चित सीमा में निवास करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि समुदाय में हम मानवीय सदस्यों को सम्मिलित करते हैं न कि पशु पक्षियों को।

(3) सामुदायिक भावना–का तात्पर्य यहाँ सदस्यों के आपसी मेल–मिलाप पारस्परिक सम्बन्ध से है। वैसे तो सम्बन्ध कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सदस्यों में एक दूसरे की जिम्मेदारी महसूस करने तथा सार्वजनिक व सामुदायिक जिम्मेदारी को महसूस करने तथा निभाने से है।

(4) सर्वमान्य नियम–जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि प्राथमिक रूप से समुदाय का प्रशासन समुदाय के सदस्यों द्वारा बनाये गये नियमों पर निर्भर होता है औपचारिक नियमों के अतिरिक्त समुदाय को एक सूत्र में बाँधने, समुदाय में नियंत्रण स्थापित करने, सदस्यों को न्याय दिलाने, कमजोर सदस्यों को शोषण से बचाव तथा शोषितों पर नियंत्रण रखने या सामुदायिक व्यवहारों को नियमित करने के लिए प्रत्येक समुदाय अपनी सामुदायिक परिस्थितियों के अनुसार अनौपचारिक नियमों को जन्म देता है।

(5) स्वतः उत्पत्ति–वर्तमान समय में कार्यरत विभिन्न शहरीय आवसीय योजनायें आवास की सुविधा प्रदान कर समुदाय के निर्माण में अवश्य ही सहायक साबित हो रही है, लेकिन प्रारम्भिक काल में समुदाय की स्थापना एवं विकास में स्वतः उत्पत्ति की प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण थी।

(6) विशिष्ट नाम–प्रत्येक समुदाय के स्वतः विकास के पश्चात उसे एक नाम मिलता है। **लुम्ले के अनुसार,** '' यह समरुपता का परिचायक है, यह वास्तविकता का बोध कराता है यह अलग व्यक्तित्व को इंगित करता है, वह बहुधा व्यक्तित्व का वर्णन करता है। कानून की दृष्टि में इसके कोई अधिकार एवं कर्तव्य नहीं होते।

(7) स्थायित्व–बहुधा एक बार स्थापित समुदाय का संगठन स्थिर होता है। एक स्थिर समुदाय का उजड़ना आसान नहीं होता है। कोई विशेष समुदाय किसी समस्या के कारण ही उजड़ता है, अन्यथा स्थापित समुदाय सदा के लिए स्थिर रहता है।

(8) समानता–एक समुदाय के सदस्यों के जीवन में समानता पाई जाती है। उनकी भाषा रीतिरिवाज, रूढ़ियों आदि में भी समानता होती है। सभी सामुदायिक परम्पराएं एवं नियम सदस्यों द्वारा सामुदायिक कल्याण एवं विकास के लिए बनायी जाती हैं। इसलिए समुदाय में समानता पाया जाना सवाभाविक है।

समुदाय के निम्नलिखित दो प्रकार बताये गये हैं जो निम्नलिखित हैं:–

(1) ग्रामीण समुदाय

(2) नगरीय समुदाय

1– ग्रामीण समुदाय–प्रारम्भिक काल से ही मानव जीवन का निवास स्थान ग्रामीण समुदाय रहा है। धीरे–धीरे एक ऐसा समय आया जब हमारी ग्रामीण जनसंख्या चरमोत्कर्ष पर पहुॅच गयी। आज औधोगीककरण, शहरीकरण का प्रभाव मानव को शहर की तरफ प्रोत्साहित तो कर रहा है लेकिन आज भी शहरीय दूषित वातावरण से प्रभावित लोग ग्रामीण पवित्रता एवं शुद्धता को देख ग्रामीण समुदाय में बसने के लिये प्रोत्साहित हो रहा है। आज ग्रामीण समुदाय के बदलते परिवेश में ग्रामीण समुदाय को परिभाषित करना कठिन है ग्रामीण समुदाय की परिभाषायें निम्नलिखित हैं।

एन.एल.सिम्स के अनुसार – समाज शास्त्रियों में ग्रामीण समुदाय शब्द को कुछ ऐसे विस्तृत क्षेत्रों तक सीमित कर देने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है। जिनमें कि सब या अधिकतर मानवीय स्वार्थो की पूर्ती होती है। **मेरिल और एलरिज** – के अनुसार ''ग्रामीण समुदाय के अर्न्तगत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केन्द्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य प्रकृति दिलाने में भाग लेते हैं।''

ग्रामीण समुदाय की विशेषतायें – ग्रामीण समुदाय की कुछ ऐसी विषेशतायें होती हैं। जो अन्य समुदाय में नहीं पाई जाती हैं। ग्रामीण समुदाय में पाये जाने वाला प्रतिमान एक विशेष प्रकार का होता है। जो आज भी कुछ सीमा तक नगर सुमदाय से भिन्न है ग्रामीण सुमदाय की विशेषताओं में निम्नलिखित प्रमुख हैं।

1–कृषि व्यवसाय – ग्रामीण अचल में रहने वाले अधिकाधिक ग्रामवासियों का खेती योग्य जमीन पर स्वामित्व होता है, खेती करना और कराना उन्हें परिवार के वयोवृद्व सदस्यों द्वारा प्राप्त होता है यधपि एक ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जिनके पास खेती योग्य जमीन नहीं होती वे लोहारी, सोनारी जैसे छोटे–छोटे उधोग धन्धों में लगे रहते हैं लेकिन उनके भी दिल मे कृषि के प्रति लगाव होता है तथा महसूस करते हैं कि काश उनके पास भी खेती योग्य जमीन होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उनमें भूमि के प्रति अटूट श्रद्धा होती है

2–प्राकृतिक निकटता – ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि एंव उससे सम्बन्धित कार्य होता है। सभी जानते हैं कि खेती का सीधा सम्बन्ध प्रकृति से है ग्रामीण जीवन प्रकृति पर आश्रित रहता है।

3–जातिवाद एंव धर्म का अधिक महत्व – रूढ़िवादिता एंव परम्परावाद ग्रामीण जीवन के मूल समाज शास्त्रीय लक्षण हैं। फलस्वरुप आज भी हमारे ग्रामीण समुदाय में अधिाकाधिक लोगों की जातिवाद, धर्मवाद में अटूट श्रद्धा है। देखा जाता है कि ग्रामीण निवासी अपने –2 धर्म एवं जाति के बड़पपन में ही अपना सम्मान समझते हैं। ग्रामीण समुदाय में जातियता पर ही पचायतों का निर्माण होता है। ग्रामीण समाज में छुआछुत व संकीर्णता पर विशेष बल दिया जाता है।

4. सरल और सादा जीवन –ग्राामीण समुदाय के अधिकाधिक सदस्यों का जीवन सरल एंव सामान्य होता है। इनके ऊपर शहरीय चमक–दमक का प्रभाव कम होता है। उनका जीवन कृत्रिमता से दूर सादगी में रमा होता है। उनका भोजन, खान–पान एंव रहन–सहन, सादा एंव शुद्ध होता है। गांव का शिष्टाचार, आचार–विचार एंव व्यवहार सरल एंव वास्तविक होता है तथा अतिथि के प्रति अटूट श्रद्धा एंव लगाव होता है।

5. संयुक्त परिवार – ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार का अपना विशेष महत्व है। इसीलिये ग्रामीण लोग पारिवारिक सम्मान के विषय में सर्वदा सजग रहते हैं। परिवार को टुटने से बचाना तथा पारिवारिक समस्याओं को अन्य परिवारों से गोपनीय रख निपटाने का वे भरसक प्रयास करते हैं पारिवारिक विघटन का सम्बन्ध उनकी सामाजिक परिस्थिति एवं सम्मान से जुड़ा होता है। इसलिए परिवार का मुखिया एवं बड़े–बूढ़े सदस्य इसे अपना सम्मान समझकर परिवार की एकता को बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।

6–सामाजिक जीवन मे समीपता – वास्तव में ग्रामीण जीवन में अत्यधिक समीपता पाई जाती है अधिकाधिक ग्रमीण समुदायों के केवल व्यवसायिक समीपता ही नहीं अपितु उनके सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन में अत्यधिक समीपता पाई जाती है। इस समीपता का मुख्य कारण कृषि एवं उससे सम्बन्धित व्यवसाय है।

7–सामुदायिक भावना – ग्रामीण समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनमें व्याप्त सामुदायिक भावना ग्रामीण समुदायों के सदस्यों में व्यक्तिगत निर्भरता के स्थान पर सामुदायिक निर्भरता अधिक पाई जाती है। इसलिए लोग एक दूसरे पर आश्रित होते हैं ग्रामीण समुदाय के एक सीमित क्षेत्र में बसने के कारण सदस्यों की अपनी समीपता बढ़ जाती है उनमें स्वभाव हम भावना का विकास हो जाता है। जिसे सामुदायिक भावना का नाम लिया जाता है।

8–स्त्रियों की निम्न स्थिति – ग्रामीण समुदाय की अशिक्षा, अज्ञानता एवं रूढ़ि वादिता का सीधा प्रभाव ग्रामीण स्त्रियों की स्थिति पर पड़ता है। भारतीय ग्रामीण समुदाय में अभी भी अशिक्षा काफी अधिक है। परिणाम स्वरुप ग्रामीण सदस्यों का व्यवहार रुढ़ियों एवं पुराने सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होता है। लेकिन आज भी अधिकाधिक ग्रामीण समुदाय में वाल–विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, लड़कियों को शिक्षा एवं बाहर नौकरी से रोक लगाना, विधवाओं को पुर्नविवाह से वंचित करना आदि सर्वभौमिक दिखाई देती हैं। जो स्त्रियों की गिरी दशा के लिए उत्तरदायी है।

9–धर्म एवं परम्परागत बातों में अधिक विश्वास – ग्रामीण लोग धर्म पुरानी परम्पराओं एवं रूढ़ियों में विश्वास करते हैं। तथा उनका जीवन सामुदायिक व्यवहार,

धार्मिक नियमों एवं परम्पराओं से प्रभावित होता है। ग्रामीण समुदाय का सीमित क्षेत्र उसे बाहरी दुनिया के प्रभावों से मुक्त रखता है और इसी कारण उसमें विस्तृत दृष्टिकोण भी आसानी से नहीं पनप पाता है।

10–भाग्यवादिता एवं अशिक्षा का बाहुल्य – ग्रामीण समुदाय में शिक्षा का प्रचार–प्रसार अभी भी कम है शिक्षा के अभाव में ग्रामवासी अनेक अन्ध विश्वासों एवं कु–संस्कारो का शिकार बने रहते हैं तथा भाग्यवादिता पर अधिक विश्वास करते हैं। इन उपर्युक्त ग्रामीण विशेषताओं से स्पष्ट है कि परम्परावादिता उनकी सर्वप्रमुख विशेषता है। जैसे–जैसे सरकार एवं स्वंयसेवी संगठनों के प्रयास से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन विकास बढ़ता जा रहा है। वैसे–वैसे उनके जीवन में परिवर्तन आता जा रहा है।

2–नगरीय समुदाय – नगर के विकास के इतिहास से पता चलता है कि कुछ नगर तो नियोजित ढंग से बसाये गये है लेकिन कुछ ग्रामीण समुदाय के आकार के बढ़ने से नगर का रुप धारण कर गये हैं।

नगरीय समुदाय का अर्थ–नगरीय शब्द नगर से बना है जिसका अर्थ नगरों से सम्बन्धित है। जैसे शहरी समुदाय को एक सूत्र में बांधना अत्यन्त कठिन है। यधपि हम नगरीय समुदाय को देखते हैं, वहां के विचारों से पूर्ण अवगत हैं लकिन उसे परिभाषित करना आसान नहीं है। कुछ समाज शास्त्रियों ने नगरीय समुदाय को परिभाषित किया है जिसमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैः–

मैकाइवर के अनुसार – ''ग्रामीण और नगरीय समुदाय के विशय में बताया है कि इन दोनों के मध्य कोई ऐसी सुस्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है। जो यह निश्चित कर सके कि नगर का अमुक बिन्दु पर अंत होता है तथा देहात का अमुक बिन्दू पर प्रारम्भ होता है।'' **विलकाक्स के अनुसार** – नगरों के अर्न्तगत उन समस्त क्षेत्रों को लिया जा सकता है। जिनमें जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग मील एक हजार से अधिक हो और जहां वास्तव में कोई कृषि नहीं होती हो।**सोमवार्ट के अनुसार** – ''नगर वह स्थान है जो इतना बड़ा है कि उसके निवासी परस्पर एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं।''

नगरीय समुदाय की विशेषतायें – विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यक्त परिभाषाओं के अतिरिक्त नगरीय समुदाय को स्पष्ट करने के लिये आवश्यक है कि इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं की चर्चा की जाये जिससे सम्बन्धित प्रत्येक पक्ष सामने आकर नगरीय समुदाय को चित्रित कर सके। इसकी कुछ प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं।

(1) जनसंख्या का अधिक घनत्व – रोजगार की तलाश में गाँव से शिक्षित एंव अशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति शहर में आते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण आज सीमित जमीन में लोंगो को जीवन निवार्ह करना कठिन पड़ रहा है।

(2) विभिन्न संस्कृतियों का केन्द्र – कोई नगर किसी एक विशेष संस्कृति के जन समुदाय के लिये अशिक्षित नहीं होता। इसलिये देश के विभिन्न गाँवो से लोग नगर में आते हैं और वहीं बस जाते है। ये लोग विभिन्न रीति रिवाजों में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मानते हैं।

(3) औपचारिक सम्बन्ध – नगरीय समुदाय में औपचारिक सम्बन्ध का बाहुल्य होता है। देखा जाता है कि सदस्यों का व्यस्त जीवन आपसी सम्बन्ध औपचारिक होता है।

(4) अन्ध विश्वासों में कमी – नगरीय समुदाय में विकास के साधन एवं सुविधाओं की उपल्ब्धता के साथ–साथ यहां शिक्षा और सामाजिक बोध ग्रामीण समुदाय से अधिक पाया जाता है। अतएव स्पष्ट है कि यहां के लोगो का पुराने अन्धविशवासों एंव रुढ़ियों में कम विश्वास होगा।

(5) अनामकता – नगरीय समुदाय की विशालता एवं उसके व्यस्त जीवन के कारण लोगों को पता ही नहीं होता कि पड़ोस में कौन रहता है और क्या करता है। बहुधा देखा गया कि लोग एक–दूसरे के विषय में जानने तथा उनसे ताल–मेल रखने में कम रुचि रखते हैं। जब तब की उनका कोई विशेष लाभ नहीं या उनका पारिवारिक सम्बन्ध न हो।

(6) आवास की समस्या – आप विभिन्न कार्यकारी योजनाओं के बावजूद भी बड़े–बड़े नगरों मे आवास की समस्या अति गम्भीर होती जा रही हैं। अनेक गरीब एवं कमजोर लोग अपनी रातें सड़क की पटिटयों, बस अडड्े और रेलवे स्टेशनों पर व्यतीत करते हैं। अधिकाधिक मध्यमवर्गीय व्यक्तियों के पास औसतन केवल एक या दो कमरे के मकान होते हैं। कारखाने वाले नगरों में नौकरी की तलाश में श्रमिकों की संख्या बढ़ जाती है। जिसके कारण उनके रहने के लिये उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाता है और झुग्गी झोपडी जैसी बस्तियां बढ़ने लगती हैं।

7. वर्ग अतिवाद – नगरीय समुदय में धनियों के धनी और गरीबों में गरीब वर्ग के लोग पाये जाते हैं अर्थात यहाँ भव्य कोठियों के रहने वाले, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले तथा दूसरे तरफ मकानों के आभाव में गरीब एवं कमजोर सड़क की पटरियों पर सोने वाले, भरपेट भोजन न नसीब होने वाले लोग भी निवास करते हैं।

8. श्रम विभाजन – नगरीय समुदाय में अनेक व्यवसाय वाले लोग होते हैं। जहाँ ग्रामीण समुदाय में अधिकाधिक लोगों का जीवन कृषि एव उससे सम्बन्धित कार्यो पर निर्भर होता है वहीं दूसरी तरफ नगरीय समुदाय में व्यापार–व्यवसाय, नौकरी, अध्ययन् आदि पर लोगो का जीवन निर्भर करता है।

9. एकाकी परिवार की महत्ता – नगरीय समुदाय में उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा के फलस्वरूप संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियाँ वहन करना कठिनतम साबित होता है। अतएव शहरी समुदाय में एकाकी परिवार का बाहुल्य होता है। इन परिवार में लगभग स्त्री एवं पुरूषों की स्थिति में समानता पायी जाती है।

10. धार्मिक लगाव की कमी – शहरी जीवन में व्याप्त शिक्षा एवं भौतिकवाद उन्हें धार्मिक पूजा–पाठ एवं अन्य सम्बन्धित कर्म काण्डों से दूर कर देते हैं इसलिये यहाँ धर्म को कम महत्व दिया जाता है।

11. सामाजिक गतिशीलता – शहरी जीवन में अत्यधिक गतिशीलता पायी जाती है। जहाँ गाँव का जीवन एक शांत समुद्र की तरह होता है। वहीं शहर का जीवन उबाल खाते पानी की तरह होता है।

12. राजनैतिक लगाव – नगरीय जीवन की बढ़ती शिक्षा, गतिशीलता एवं परिवर्तित सभ्यता राजनैतिक क्षेत्र में लोगों की रूचि बढ़ा देती है। इनको अपने अधिकारों कर्तव्यों एवं राजनैतिक गतिविधि का ज्ञान होने लगता है और इससे राजनैतिक क्षेत्र में झुकाव बढ़ जाता है।

1.4 समुदायिक संगठन का अर्थ, उद्देश्य, सिद्धान्त एवं अंग

सामुदायिक संगठन साधारण बोलचाल में सामुदायिक संगठन का अभिप्रायः किसी समुदाय की आवश्यकताओं तथा साधनों के बीच समन्वय स्थापित कर समस्याओं का समाधान करने से है। सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है। इस रूप में सामुदायिक संगठन का तात्पर्य किस समुदाय या समूह में लोगों द्वारा आपस में मिलकर कल्याण कार्यो की योजना बनाना तथा इसके कार्यान्वयन के लिए उपाय तथा साधनों को निश्चित करना है किसी समुदाय से सम्बन्धित प्रक्रियांए अनेक प्रकार की हो सकती हैं। अतः सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया का अभिप्राय केवल उस प्रक्रिया से है जिसमें समुदाय की शक्ति और योग्यता का विकास किया जाता है।

सामुदायिक संगठन की प्रमुख परिभाषाओं का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। **मेकनील के अनुसार 1951ए** . ''सामुदायिक संगठन एक कार्यात्मक या भौगोलिक क्षेत्र की समाज कल्याण आवष्यकताओं और समाज कल्याण साधनों के बीच प्रगतिषील एवं अधिक प्रभाशाली समायोजन लाने और उसे बनाये रखने की प्रक्रिया है इसके उददे्श्य समाज कार्य के उददे्श्यों के अनुरूप है क्योंकि इसका प्राथमिक ध्यान बिन्दु व्यक्ति की आवश्यकताओं और इनको पूरा करने के उन माध्यमों का प्राविधान करना है। जो प्रजातांत्रिक जीवन के मूल्यों के अनुरूप हो।

लिण्डमैन 1921 के अनुसार :– ''सामुदायिक संगठन सामाजिक संगठन का वह स्तर है जिसमें समुदाय के द्वारा चेतन प्रयास किये जाते हैं तथा जिसके द्वारा वह अपने मामलों का

प्रजातांत्रिक ढ़ंग से नियंत्रित करता है तथा अपने विशेषज्ञों ,जो संगठनों, संस्थाओं तथा संस्थानों से जाने–पहचाने अन्तर सम्बन्धियों के द्वारा उनकी उच्च कोटि की सेवायें प्राप्त करता है।

पैटिट 1925 के अनुसार – ''सामुदायिक संगठन एक समूह के लोगों की उनकी सामान्य आवयकताओं को पहचानने तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करने के रूप में उत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है।''

सैण्डरसन एण्ड पोल्सन 1993 के अनुसार, '' सामुदायिक संगठन का उददेश्य समूहों तथा व्यक्तियों के मध्य ऐसे सम्बन्ध विकसित करना है जिससे उन्हें ऐसी सुविधाओं तथा समस्याओं का निर्माण करने तथा उन्हें बनाये रखने के लिए एक साथ कार्य करने में सहायता मिलेगी तथा जिसके माध्यम से समुदाय के सभी सदस्यों के समान कल्याण में अपने उच्चतम मूल्यों का अनुभव कर सके।

डनहम (1948) के अनुसार, '' समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन का अर्थ एक भौगोलिक क्षेत्र या कार्यक्षेत्र के समाज कल्याण संसाधनों में समायोजन लाने तथा बनाये रखने की प्रक्रिया से है''

फ्रीडलैण्ड 1955 के अनुसर – ''समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन को समाज कार्य की एक ऐसी प्रक्रिया कहकर परिभाशित किया जा सकता है। जिसके द्वारा एक भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर समाज कल्याण आवश्यकताओं एवं समाज कल्याण साधनों के बीच स्थापित किया जाता है''।

रौस 1956 के अनुसार – सामुदायिक संगठन के कार्यकर्त्ता द्वारा समुदायों की सहायता करने की एक प्रक्रिया कहा है। उनके अनुसार '' सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है। जिसके द्वारा समाज कार्यकर्त्ता अपनी अर्न्तदृष्टि एवं निपुणता का प्रयोग करके समुदायों (भौगोलिक तथा कार्यात्मक) को अपनी–अपनी समस्याओं को पहचानने और उनके समाधान हेतु कार्य करने में सहायता देता है''।

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामुदायिक संगठन में सेवार्थी समुदाय होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य समुदाय की इस प्रकार सहायता करना होता है। जिससे वह अपनी सहायता स्वंय करने में समर्थ हो सके। इसकी प्रक्रिया उद्देश्य मूलक होती है। सामुदायिक संगठन की कार्यविधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से अधिक समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर निर्भर करती है।

सामुदायिक संगठन के उद्देश्य:हार्पर एवं डनहम ने 1939 में नेशनल कान्फ्रेस ऑफ सोशल वर्क द्वारा नियुक्त की गई लेन कमेटी द्वारा अपने प्रतिवेदन में दिये गये सामुदायिक संगठन के निम्नलिखित उद्देश्यों का उल्लेख किया है।

(1) सामान्य उद्देश्य–

1. आवश्यकताओं की परिभाषा एंव खोज।
2. सामाजिक आवश्यकताओं और अयोग्यताओं की रोकथाम और समाप्ति।
3. साधनों और आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण और बदलती हुई आवश्यकताओं को अच्छे तरीके से पूरा करने के लिए साधनों का पुनः समायोजन।

(2) द्वितीयक उददेश्य–

1. ठोस नियोजन एवं प्रयास के लिए एक पर्याप्त वास्तविक आधार प्राप्त करना और उसको बनाये रखना।
2. कल्याणकारी कार्यक्रमों और सेवाओं को आरम्भ करना ,विकसित करना और उनमें आशोधन करना जिससे साधनों और आवश्यकताओं के बीच समायोजन स्थापित किया जा सके।
3. समाज कार्य के स्तर को ऊँचा करना और व्यक्तिगत संस्थाओं के प्रभाव में वृद्धि करना।
4. परस्पर सबंधों में सुधार करना और उन्हें सुविधाजनक (सरल) बनाना और समाज कल्याण कार्यक्रमों एवं सेवाओं के प्रदान करने से संम्बन्धित संगठनों, समूहों और व्यक्तियों के बीच समन्वय लाने के लिए प्रोत्साहित करना।
5. कल्याण सम्बन्धी समस्याओं, आवश्यकताओं और समाज कार्य उद्देश्यों, कार्यक्रमों और प्रणालियों के विषय में जनता में ज्ञान को विकसित करना।
6. समाज कल्याण सबंधी क्रियाकलापों के प्रति जनता का समर्थन और सहभागिता का विकास करना।

सैण्डर्सन तथ पाल्सन के अनुसार, इसके विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

1. सामुदायिक पहचान की चेतना जाग्रत करना।
2. सम्पूर्ण आवश्यकताओं की संतुष्टि करना।
3. समाजीकरण के साधन के रूप में सामाजिक सम्मिलन की वृद्वि करना।
4. सामुदायिक आत्मा और भक्ति भावना द्वारा सामाजिक नियन्त्रण को प्राप्त करना।
5. संघर्ष को रोकने तथा कुशलता एवं सहयोग की वृद्धि के लिय समूह और क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना।
6. समुदाय की अवांछनीय प्रभावों अथवा परिस्थितियों से रक्षा करना।
7. सामान्य आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए अन्य संस्थाओं तथा समुदायों से सहयोग करना।
8. एकमतता प्राप्त करने के साधनों का विकास करना।
9. नेतृत्व को विकसित करना।

सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त : मेकनील ने सामुदायिक संगठन के निम्नलिखित सिद्धान्तों का उल्लेख किया हैं:

(1) समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन व्यक्तियों औंर उनकी अवश्यकताओं से सम्बन्धित हैं।

(2) समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन में समुदाय एक प्राथमिक सेवार्थी माना जाता है। यह समुदाय, पड़ोस, नगर जनपद या राज्य या देश या अर्न्तराष्ट्रीय समुदाय हो सकता है।

(3) सामुदायिक संगठन में यह स्वयं –सिद्ध धारणा है कि समुदाय जैसा भी है, जहॉ भी है, उसे वैसा ही स्वीकार किया जाता है। समुदाय के वातावरण को समझना इस प्रक्रिया में अनिवार्य है।

(4) समुदाय के सभी व्यक्ति इसके स्वा–अध्याय एवं कल्याण सेवाओं में रूचि रखते हैं समुदाय के सभी कार्यो और तत्वों द्वारा संयुक्त प्रयासों में भाग लिया जाना सामुदायिक संगठन में अनिवार्य होता है।

(5) हर समय बदलती रहती मानव आवश्यकताएॅ और व्यक्तियों के आपसी सम्बन्धों की वास्तविकता ही सामुदायिक संगठन प्रक्रिया की गति मानी जाती है। सामुदायिक संगठन में इस उद्देश्य पूर्ण परिवर्तन को स्वीकार किया जाता है।

(6) सामुदायिक संगठन में समाज कल्याण की सभी संस्थाओं और संगठनों की परस्पर निर्भरता को माना जाता है कोई भी संस्था अकेले में उपयोगी नहीं हो सकती बल्कि दूसरी संस्थाओं के संन्दर्भ में ही कार्य करती है।

(7) समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया के रूप में सामान्य समाज कार्य का ही एक भाग है। समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन के अभ्यास के लिये व्यावसायिक शिक्षा समाज कार्य शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से ही अच्छे तरीके से दी जा सकती है।

रॉस ने भी सामुदायिक संगठन के सिद्धान्तों का उल्लेख किया है यह सिद्धान्त इस प्रकार है:–

(1) समुदाय में विधमान दशाओं के प्रति असंतोष के कारण संगठन का विकास।

(2) विशेष समस्याओं के सन्दर्भ में इस असंतोष का केन्द्रित किया जाना और इसे संगठन, नियोजन और प्रयासों में बदलना।

(3) असंतोष, जो सामुदायिक संगठन को आरम्भ करता है या जो इसे सजीव रखता है समुदाय के अधिक से अधिक सदस्यों द्वारा अनुभव किया जाता है।

(4) संघ/संस्था को ऐसे औपचारिक एवं अनौपचारिक नेताओं को अपने कार्यो में सम्मिलित करना जिनको समुदाय के प्रमुख उप–समूह स्वीकार करते हो।

(5) संघ/संस्था के उददेश्य एवं कार्यविधियों ऐसी हो जो सदस्यों को मान्य हो।
(6) संघ/संस्था के कार्यक्रमों में कुछ ऐसे भी क्रियाकलाप होने चहिए जो संवेगात्मक दृष्टिकोण विषय वस्तु लिए हो।
(7) संघ/संस्था को समुदाय में विधमान सद्भाव का प्रयोग करना चाहिए।
(8) संघ/संस्था के अन्दर और अपने और समुदाय के बीच अच्छे संस्कारों को विकसित करना चाहिए।
(9) संघ/संस्था को समूहों में सहकारिता की भावना का विकास करना चाहिए।
(10) संघ/संस्था को अपने संगठन और कार्यरीतियों को लचीला रखना चाहिए।
(11) संघ/संस्था को अपने कार्यो की गति को समुदाय की विधमान दशाओं के अनुरूप रखना चाहिए।
(12) संघ/संस्था को प्रभावशाली नेताओं का विकास करना चहिए।
(13) संघ/संस्था को समुदाय में अपनी सक्रियता स्थिरता और सम्मान को विकसित करना चाहिए।

सामुदायिक संगठन के अंगः सामुदायिक संगठन समाज कार्य की एक प्रणाली है, जिसके द्वारा कार्यकर्ता व्यक्ति को समुदाय के माध्यम से किसी संस्था अथवा सामुदायिक केन्द्र में सेवा प्रदान करता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास सम्भव होता है। इस प्रकार सम्पूर्ण सामुदायिक संगठन के कार्य तीन स्तम्भों पर आधारित है :–

(1) कार्यकर्ता
(2) समुदाय
(3) संस्था

(1) कार्यकर्ता – सामुदायिक संगठन कार्य में कार्यकर्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है, जो उस समुदाय का सदस्य नहीं होता, जिसके साथ वह कार्य करता है। इस कार्यकर्ता में कुछ निपुणतायें होती हैं : जो व्यक्तियों को कार्यो, व्यवहारों तथा भावनाओं के ज्ञान पर आधारित होती हैं। उसमें समुदाय के साथ कार्य करने की क्षमता होती है तथा सामुदायिक स्थिति से निपटने की शक्ति एंव सहनशीलता होती है उसका उद्देश्य सामुदाय को आत्मनिर्देशित तथा आत्म संचालित करना होता है तथा वह ऐसे उपाय करता है। जिससे समूह का नियंत्रण समुदाय–सदस्यों के हाथ में रहता है। वह सामुदायिक अनुभव द्वारा व्यक्ति में परिवर्तन एवं विकास लाता है। कार्यकर्ता को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता हैः–

(1) सामुदायिक स्थापना।
(2) संस्था के कार्य तथा उद्देश्य।
(3) संस्था के कार्यक्रम तथा सुविधायें।

(4) समुदाय की विशेषतायें।
(5) सदस्यों की संधियाँ, आवश्यक कार्य एंव योग्यतायें।
(6) अपनी स्वयं की निपुणतायें तथा क्षमतायें।
(7) समुदाय की कार्यकर्ता से सहायता प्राप्त करने की इच्छा।

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता अपनी सेवाओं द्वारा सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। वह व्यक्ति को स्वतंत्र विकास एवं उन्नति के लिए अवसर प्रदान करता है तथा व्यक्ति को सामान्य निमार्ण के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है। वह सामाजिक सम्बन्धों के आधार मानकर, शिक्षात्मक तथा विकासात्मक क्रियाओं का आयोजन व्यक्ति की समस्याों के समाधान के लिए करता है।

(2) समुदाय :– सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता अपने कार्य का प्रारम्भ समुदाय के साथ करता हैं और समुदाय के माध्यम से ही उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। वह व्यक्ति को समुदाय सदस्य के रूप में जानता हैं तथा उसकी विशेषताओं को पहचानता है समुदाय एक आवश्यक साधन तथा यन्त्र होता है जिसको उपयोग में लाकर सदस्य अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जिस प्रकार का समुदाय होता हैं कार्यकर्ता को उसी प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती हैं। सामुदायिक कार्य इस बात में विश्वास रखता है कि समुदाय का कार्य निपुणता प्राप्त करना नहीं है बल्कि प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक सदस्य का समुदाय में अच्छी प्रकार से समायोजन करना है।

(3) संस्था – सामाजिक सामुदायिक कार्य में संस्था का विशेष महत्व होता है क्योंकि सामुदायिक कार्य का उत्पत्ति ही संस्थाओं के माध्यम से हुई है। संस्था की प्रकृति एंव कार्य, कार्यकर्ता की भूमिका को निश्चित करते हैं। सामुदायिक कार्यकर्ता अपनी निपुणताओं का उपयोग एजेन्सी के प्रतिनिधि के रूप में करता है क्योंकि समुदाय एजेन्सी के महत्व को समझता है तथा कार्य करने की स्वीकृति देता है। अतः कार्यकर्ता के लिए आवश्यक होता है कि वह संस्था के कार्यो से भली–भाँति परिचित हो। समुदाय के साथ कार्य प्रारम्भ करने से पहले कार्यकर्ता को संस्था की निम्न बातों को भली–भाँति समझना चाहिए:–

(1) कार्यकर्ता को संस्था के उद्देश्यों तथा कार्यो का ज्ञान होना चाहिए।
(2) संस्था की सामान्य विशेषताओं से अवगत होना तथा उसके कार्य क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए।
(3) उसको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार संस्था समुदाय की सहायता करती है तथा सहायता के क्या–2 साधन के श्रोत हैं।
(4) संस्था में सामुदायिक संबंध स्थापना की दशाओं का ज्ञान होना चाहिए।
(5) संस्था के कर्मचारियों से अपने संबंध के प्रकारों की जानकारी होनी चाहिए।

(6) उसको जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी संस्थायें तथा समुदाय कितने है जिनमें किसी समस्याग्रस्त सदस्य को सन्दर्भित किया जा सकता है।

(7) संस्था द्वारा समुदाय के मुल्यांकन की पद्धति का ज्ञान होना चाहिए।

सामुदायिक एंव संस्था के माध्यम से ही समुदाय अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं तथा विकास की और बढ़ते हैं।

1.5 सार संक्षेप

प्रस्तुत ईकाई में समुदाय का अर्थ एवं विशेषताओं को विस्तारपूर्वक समझाया गया है। इसी ईकाई में सामुदायिक संगठन का अर्थ, उद्देश्य एंव सिद्वान्त को बताया गया है। इसके साथ ही साथ सामुदायिक संगठन के अंगभूतों को विस्तार से समझाया गया है।

1.6 अभ्यास प्रश्न

1– समुदाय की अवधारणा को समझाइये।

2–सामुदायिक संगठन के उद्देश्य को बताइये।

3–समुदाय का अर्थ तथा प्रकारों का वर्णन कीजिये।

4–सामुदायिक संगठन के अर्थ को समझाइये।

5–सामुदायिक संगठन कार्य में प्रयोग होने वाले सिद्वान्तों की विस्तृत चर्चा कीजिये।

6–सामुदायिक संगठन में प्रयोग होने वाली प्रविधियों एंव निपुणताओं का वर्णन कीजिये।

7–सामुदायिक संगठन के अंगभूतो पर टिप्पणी कीजिये।

8–सामुदायिक नियोजन एंव सामुदायिक विकास के अर्थ को समझाइये।

1.7 पारिभाषिक शब्दावली

Community	समुदाय
Community Orgnaization	सामुदायिक संगठन
Components	अंगभूत
Agency	संस्था
Community organization worker	सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता
Community Planning	सामुदायिक नियोजन
Community Development	सामुदायिक विकास

1.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

(1) पाण्डेय तेजस्कर और पाण्डेय ओजस्कर, समाज कार्य, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ।

(2) सिंह डॉ0 सुरेन्द्र, मिश्रा डॉ0 पी0डी0, समाज कार्य इतिहास, दर्शन और प्रणालियॉ, न्यूरायॅल बुक कम्पनी, लखनऊ।

(3) सूदन डॉ0 कृपाल सिंह, समाज कार्य सिद्धान्त एवं अभ्यास, नव ज्योति सिमरन जीत पब्लिकेशन, लखनऊ, पृष्ठ सं0–364.374

(5) अगृवाल डॉ0 जी0 के0, सामाजिक विघटन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, पृष्ठ–संख्या 435.436

(6) तिलारा कुँबर सिंह, समाज कार्य, सिद्वान्त और व्यवहार, प्रकाश केन्द्र, लखनऊ। पृष्ट–संख्या 213,14,128,

इकाई–2

सामुदायिक संगठन का ऐतिहासिक विकास एवं समाज कार्य में इसकी सार्थकता

Historical Development of Community Organisation & its relevance in Social Work

इकाई की रूपरेखा

2.1 परिचय
2.2 उद्देश्य
2.3 सामुदायिक संगठन का ऐतिहासिक विकास एवं समाज कार्य में सामुदायिक संगठन की सार्थकता
2.4 सामुदायिक नियोजन एवं सामुदायिक विकास
2.5 सामुदायिक संगठन, सामुदायिक विकास एवं सामुदायिक कार्य में संबंध
2.6 सार संक्षेप
2.7 पारिभाषिक शब्दावली
2.8 अभ्यास प्रश्न
2.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

2.1 परिचय

सामुदायिक संगठन शब्द उतना ही प्राचीन है। जितना कि सामुदायिक जीवन। ऐसा इसलिए है क्योंकि जहॉ कहीं भी लोग एक साथ रहते हैं। संगठन आवश्यक हो जाता है। लेकिन तब जीवन अधिक जटिल हो जाता है। जो ऐसी दशा में समुदाय के कल्याण के लिये कुछ औपचारिक संगठनों की आवश्यकता प्रतीत होती है। इंग्लैण्ड का इलिजाबेथ का निर्धन कानून इस दिशा में प्रथम प्रयास माना जा सकता है।

2.2 उद्देश्य

इस ईकाई को पढ़ने के बाद आप –

- सामुदायिक संगठन के सतत् विकास के बारे में जान सकेगें।
- समाज कार्य में सामुदायिक संगठन की सार्थकता को समझ सकेगें।
- सामुदायिक संगठन, सामुदायिक कार्य एवं सामुदायिक विकास के संबन्ध को

जान सकेगें।

2.3 सामुदायिक संगठन का ऐतिहासिक विकास एवं समाजकार्य में सामुदायिक संगठन की सार्थकता

दान संगठन समिति आधुनिक सामुदायिक संगठन की आधार शिला थी। सन् 1889 में लंदन में इसलिये स्थापना की गयी जिससे दान या सहायता देने वाली संस्थायें यह जान सकें कि किसको किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। सभी को बिना जॉच–पड़ताल किये आर्थिक सहायता न प्रदान करें। सन् 1877 में अमेरिका के बफैलो नगर में पहली बार दान संगठन समिति की स्थापना की गयी। उसके बाद पेन्सलवानियाा, बोस्टन, न्यूयार्क, फिलाडेल्फियां तथा अन्य स्थानों पर भी इसकी स्थापना की गयी इस दान संगठन समिति का मूल उददे्श्य एक क्षेत्र की सभी दान संस्थाओं में सहयोग स्थापित करना तथा उनके प्रयत्नों में एकात्मकता या एकीकरण लाना या। सैटेलमेण्ट हाउस आन्दोलन सामुदायिक संगठन की दिशा में दूसरा कदम था। सबसे पहला पड़ोसी गिल्ड सन् 1886 में न्यूयार्क में स्थापित किया गया। इसके पष्चात् ये अन्य औधोगिक नगरों में स्थापित होते चले गये। प्रथम विश्व युद्व के समय अमरीका रेडक्रास गृह सेवा कार्यक्रम चलाया गया था जिसका व्यवहारिक स्वरूप व्यवसायिक समाज कार्य जैसा था। उसी दौरान अन्य संस्थायें जैसे यंगमेन्स क्रिश्चियन एसोसियेशन यंग विमन्स क्रिश्चियन एसोसियेशन ब्वायज स्काउटस गर्ल गाइड आदि कार्यक्रम चलाये गये।

समाज कार्य में सामुदायिक संगठन की सार्थकता : व्यक्ति एवं समाज एक दूसरे पर आश्रित हैं। जहाँ समाज ने व्यक्ति को मानवीय अस्तित्व प्रदान किया है, वही समाज द्वारा निर्धनता, बेकारी जैसी विविध प्रकार की समस्यायें भी उत्पन्न की गयी हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु आदिकाल से ही प्रयास किये जाते रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की श्रंखला में समाज कार्य एक महत्वपूर्ण कड़ी है। समाज कार्य प्रभावपूर्ण सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक अनुकूलन के मार्ग में आने वाली सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्यों का वैज्ञानिक ढ़ग से समाधान प्रस्तुत करता है।

समाज कार्य वैज्ञानिक ज्ञान एंव प्राविधिक निपुणताओं का प्रयोग करते हुए समस्याग्रस्त व्यक्तियों, समूहों एंव समुदायों की मनो–सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हुए उन्हें आत्म सहायता करने के योग्य बनाता है।

इस प्रकार समाज कार्य एक सहायता मूलक कार्य है जो वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपुणताओं तथा मार्गदर्शन का प्रयोग करते हुए व्यक्तियों की एक व्यक्ति, समूह के सदस्य अथवा समुदाय के निवासी के रूप में उनकी मनो–सामाजिक समस्याओं का अध्ययन एंव निदान करने के पश्चात् परामर्श, पर्यावरण में परिवर्तन तथा आवष्यक सेवाओं के माध्यम से

सहायता प्रदान करता है ताकि वे समस्याओं से छुटकारा पा सकें। सामाजिक क्रिया में प्रभावपूर्ण रूप से भाग ले सकें, लोगों के साथ संतोषजनक समायोजन कर सकें, अपने जीवन में सुख एवं शान्ति का अनुभव कर सकें, तथा अपनी सहायता स्वयं करने के योग्य बन सकें।

सेवार्थी एक व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय हो सकता है। जब सेवार्थी एक व्यक्ति होता है तो अधिकांश समस्यायें मनो–सामाजिक अथवा समायोजनात्मक अथवा सामाजिक क्रिया से संबंधित होती है और कार्यकर्ता वयैक्तिक समाज कार्य प्रणाली का प्रयोग करते हुए सेवायें प्रदान करता है। जब सेवार्थी एक समूह होता है तो प्रमुख समस्यायें प्रजातांत्रिक मूल्यों तथा नेतृत्व के विकास, सामूहिक तनावों एंव संघर्षो के समाधान तथा मैत्री एंव सौहार्द पूर्ण संबधों के विकास से संबंधित होती है। सामूहिक कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान उत्पन्न होने वाली अन्तःक्रियाओं को निर्देषित करते हुए समूह में सामूहिक रूप से कार्य करते हुए सामान्य सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति की क्षमता उत्पन्न करता है। जब सेवार्थी एक समुदाय होता है तो समुदाय की अनुभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ–साथ सामुदायिक एकीकरण का विकास करने का प्रयास किया जाता है। एक सामुदायिक संगठनकर्ता समुदाय में उपलब्ध संसाधनों एवं समुदाय की अनुभूत आवश्यकताओं के बीच प्राथमिकताओं के आधार पर सामंजस्य स्थापित करता है और लोगों को एक–दूसरे के साथ मिल–जुलकर कार्य करने के अवसर प्रदान करते हुये सहयोगपूर्ण मनोवृत्तियों, मूल्यों एवं व्यवहारों का विकास करता है।

सामुदायिक संगठन समाज कार्य की एक प्रणाली है किन्तु कुछ समाज कार्य शिक्षक यह कहते हैं कि मूलरुप से समाज कार्य की दो ही प्रणालियां हैं। क्योंकि समाज कार्य की प्रणालियां व्यक्ति और समूहों के साथ कार्य करती है और व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रुप से कार्य करते हैं या समूहों के सदस्य के रुप में/दूसरे शिक्षक समुदायों के साथ कार्य करने को समाज कार्य की एक विशिष्ट प्रणाली मानते हैं जिसमें न केवल व्यक्ति एवं समूह के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है बल्कि समुदाय के अध्ययन् में भिन्न निपुणताओं, विस्तृत ज्ञान और विरोधी व्यक्तियों और समूहों की प्राप्ति के लिये गतिमान करने की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार समाज कार्यों में से कुछ कार्य ऐसे हैं जिनका संबन्ध केवल समाज सेवी के साथ है किन्तु अनेक कार्य ऐसे हैं जिन्हें किसी व्यवसाय के साथ सम्बद्ध नहीं किया जा सकता। समाज कार्य में मुख्य रुप से वैयक्तिक समाज कार्य में मुख्य रुप से वैयक्तिक समाज कार्य, सामूहिक समाज कार्य तथा सामुदायिक संगठन का उपयोग किया जाता है। परन्तु समाज कार्य में इन पद्धतियों को एक दूसरे से पूर्णतः पृथक करना कठिन है। सामुदायिक संगठन वैयक्तिक समाज कार्य और सामूहिक समाज कार्य के उद्देष्य लगभग एक समान हैं। इसी प्रकार इन तीनों प्रकार की पद्धतियों में लगभग समान प्रक्रियाओं और

सिद्धांतो का प्रयोग किया जाता है। समाज कार्य की विभिन्न पद्धतियों में कुछ तत्व समान रूप से पाये जाते हैं, जैसे सामाजिक अध्ययन और उपचार, साधनों का उपयोग, साधनों का उपयोग, परिवर्तन, मूल्यांकन इत्यादि। परन्तु सामुदायिक संगठन के पद्धति में कुछ विषेश बातों का समावेष होता है।

बड़े–2 नगरों में सामुदायिक जीवन बिगड़ने के कारण और परम्परागत ग्रामीण समुदाय में उन्नति लाने की आवष्यकता ने समाज कार्य का का ध्यान सामुदायिक विकास की ओर आकर्षित किया है। तकनीकी परिवर्तन के सामाजिक परिणामों के कारण हस्तक्षेप के माध्यम से नियोजित सामाजिक विकास पर बल दिया जाने लगा है। इस हस्तक्षेप के चेतन प्रयोग का उद्देश्य तकनीकी परिवर्तन के कारण व्यक्तियों और समूहों पर पड़ने वाले आघात को रोकना और तेजी से बदलती हुई विचारधाराओं, कार्य करने की विधियों आदि के साथ अनुकूलन स्थापित करने में सहायता देना है। सामुदायिक कार्यकर्ता यह मानते हैं कि परिवर्तन पूर्ण समुदाय को प्रभावित करता है। उसका उद्देश्य समुदाय द्वारा इस परिवर्तन को स्वीकार करने में सहायता देना है और अपनी इच्छा से सुधार लाने के लिए तैयार करना हैं। समाज कार्य यह कार्य सामुदायिक संगठन प्रणाली के प्रयोग से करता है।

इससे स्पष्ट होता है कि सामुदायिक संगठन का समाज कार्य में महत्व पूर्ण भूमिका है।

2.4 सामुदायिक नियोजन एवं सामुदायिक विकास

नियोजन सामुदायिक संगठन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। स्वास्थ्य और कल्याण के लिये नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति, समूह और समुदाय में चेतन रुप से उन दशाओं, कार्यक्रमों और सुविधाओं को निधार्रित करने, उनकी स्थापना और उन्हें बनाये रखने का प्रयास करते हैं जो उनकी दृष्टि में वैयक्तिक एवं सामूहिक जीवन को भंग होने से बचा सकते हैं और सभी व्यक्तियों के लिये एक उच्च स्तर के कल्याण को सम्भव कर सकते हैं। सामुदायिक नियोजन की परिभाषा में जनता द्वारा समर्थन को जुटाना, आवश्यक सूचनाओं का प्रयास, उपयुक्त कमेटियों की नियुक्ति, विरोधी भावों का सुना जाना, उसका विश्लेशण और विरोधी भावों में समझौता सभी कुछ सम्मिलित हैं। सामुदायिक नियोजन में उन्हीं प्रणलियों का प्रयोग होता है जिनका प्रयोग सामुदायिक संगठन में होता है और जैसा समाज कार्य इन्हें समझता और इनका प्रयोग करता है।

स्वास्थ्य और समाज कल्याण के ठोस नियोजन में समुदाय के मौलिक तथ्यों और शक्तियों का प्रयोग होता है। सामुदायिक नियोजन छोटे स्थानीय क्षेत्रों, नगरों, जनपदों और क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। नियोजन का अर्थ है कि भविश्य में जो प्रयास किये जाने हैं, उनका पहले से ही प्रतिपादन किया जाना। नियोजन का अर्थ है कि समाज कल्याण के कार्यक्रम किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किये जाने हैं, उन्हें स्पष्ट किया जाना है और उसे कैसे किया जाना है अर्थात, उसे करने के लिये किस प्रणाली या विधि का

प्रयोग किया जाएगा। यह क्रिया–कलाप कितना अच्छा किया जाना है, अर्थात प्रणाली या करने की विधि में किस स्तर की गुणता और विशेषज्ञता होगी। किस प्रकार क्रिया–कलाप का समर्थन किया जायेगा। इन सबको एक साथ पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है।''

नियोजन तो एक सु–स्थापित तथ्य होता है। एक सामूहिक और परस्पर निर्भर समाज अपने सदस्यों को अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए, अन्तिम रूप से, अपनी नियोजन प्रक्रियाओं पर निर्भर रहता है। नियोजन का अर्थ है सामुदायिक जीवन के क्षेत्रों में क्रमबद्ध चिन्तन लाना क्योंकि नियोजन चिन्तन का चेतन और सोद्देश्य निर्देशन होता है जिससे उन उददेश्यों, जिन पर समुदाय में समझौता हो, की पूर्ति के लिए तर्कपूर्ण साधनों का सृजन किया जा सके। नियोजन में सदैव और अनिवार्य रूप से प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाती हैं और मूल–निर्णय लेने पड़ते हैं। नियोजन उन मानवीय समस्याओं से निपटने का मौलिक और प्रधान तरीका है जो हमारे सामने आती है। नियोजन एक दृष्टिकोण होता है, एक मनोवृत्ति है और ऐसी मान्यता है जो हमें यह बताती है कि हमारे लिये क्या सम्भव है कि हम अपने भाग्य के विषय में अनुमान लगा सकते हैं। भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसे निर्देषित कर सकते है और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम सामुदायिक नियोजन की धारणा को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपने दर्शनशास्त्र की व्यवस्था करते हैं या व्यक्तियों और उनके द्वारा अपने भविष्य को नियंत्रित करने की क्षमता के विषय में अपना पूर्ण मत प्रकट करते हैं। नियोजन के लिये व्यवसायिक कार्यकर्ता और विशेष निपुणताओं की आवश्यकता पड़ती है और इस निपुणता का प्रयोग नियोजन के पाँच पक्ष दर्शाता है।

(1) व्यावसायिक निपुणता एक निरन्तर प्रक्रिया की स्थापना के लिये आवश्यक है। जिसके द्वारा सामुदायिक समस्याओं को पहचाना जाता है।

(2) व्यवसायिक निपुणता तथ्यों के संकलन हेतु एक प्रक्रिया की स्थापना के लिये आवश्यक होती है। जिससे समस्या से संबन्धित सभी सूचनाओं का सरलता से प्रकार किया जा सके।

(3) योजना के प्रतिपादन के लिये एक कार्यात्मक प्रणाली का सृजन करने के लिये व्यवसायिक निपुणता का प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है।

(4) योजना का प्रतिपादन सामुदायिक संगठन की सम्पूर्ण प्रक्रिया में एक बिन्दू मात्र ही होता है। इस प्रतिपादन के पहले और बाद में क्या होता है। वह अधिक महत्वपूर्ण होता है।

(5) योजना के कार्यन्वयन में कार्यविधियों के निर्धारित किरने में व्यवसायिक निपुणता की आवश्यकता पड़ती है।

नियोजन शून्य में नहीं किया जाता है। इसके लिये उद्देश्य चाहिए। योजना के परिणाम स्वरूप कुछ उपलब्धियां होनी चाहिए। उद्देश्य तो एक मानचित्र होते हैं। जो हमें यह दिखाते हैं कि हमें कहां जाना है और हम किन रास्तों से जा सकते हैं। हमें उस समुदाय

का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जहां हम सामुदायिक संगठन के अभ्यास के लिये जाते हैं। समाज कार्य के कार्य, समुदाय में संस्था या अभिकरण की भूमिका, समूह की विशिष्ट आवश्यकताएँ और व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताएँ चार प्रमुख क्षेत्र हैं। जो उद्देश्यों के निर्धारण में हमारी सहायता करते हैं।

समुदाय में मनोवैज्ञानिक तत्परता का सृजन करते और उसमें नियोजन करने की इच्छा का सृजन करने के लिये सहायता दी जानी चाहिए। यह समझना आवश्यक है कि नियोजन एक सकारात्मक प्रक्रिया है न कि एक नकारात्मक प्रक्रिया। नियोजन के प्रति यह नहीं चाहिए कि इससें एक परम नियंत्रण होता है। आंशिक नियोजन करना सही नहीं होता है।

नियोजन के सिद्धान्त–नियोजन के सिद्धान्तों में प्रशासन के जिन निम्न महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का उल्लेख ट्रेकर ने किया है। वह सामुदायिक संगठन के अभ्यास में भी उतनी ही महत्ता रखते हैं।

(1) प्रभावशाली होने के लिये नियोजन उन व्यक्तियों की अभिरूचियों और आवश्यकताओं से, जिनसे संस्था बनती है, उत्पन्न होनी चाहिए।

(2) प्रभावशाली होने के लिये नियोजन में वह लोग जो नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगें योजना के बनाये जाने में भागीदार होने चाहिए।

(3) अधिक प्रभावषाली होने के लिये, नियोजन का एक पर्याप्त तथ्यात्मक आधार होना चाहिए।

(4) अधिक प्रभावशाली योजनाएँ उस प्रक्रिया से जन्मती हैं जिसमें आमने–सामने सम्पर्क की प्रणालियों और अधिक औपचारिक कमेटी कार्य की प्रणालियों का मिश्रण होता है।

(5) परिस्थितियों की भिन्नता के कारण नियोजन प्रक्रिया का व्यक्तिकरण और विशिष्टीकरण किया जाना चाहिए अर्थात स्थानीय, परिस्थिति के अनुसार ही योजनाएं बनायी जानी चाहिए।

(6) नियोजन में व्यवसायिक नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है।

(7) नियोजन में स्वंय सेवकों, अल्पव्यवसायिक व्यक्तियों, सामुदायिक नेताओं के साथ–साथ व्यावसायिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों की भी आवश्यकता पड़ती है।

(8) नियोजन के दस्तावेजों को रखने और पूर्ण अभिलेखन की आवश्यकता पड़ती है, जिससे विचार विमर्ष के परिणामों की निरंतरता और निर्देशन के लिये सुरक्षित रखा जा सके।

(9) नियोजन में विधमान योजनाओं और साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए और हर बार प्रत्येक नई समस्या को लेकर आरम्भ से ही कार्य आरम्भ नहीं करना चाहिए।

(10) नियोजन क्रिया के पूर्व चिन्तन पर निर्भर करता है।

नियोजन में सहभागिता की भागीदारी के महत्व को कम नहीं समझना चाहिए। समुदाय के सदस्यों को नियोजन की प्रक्रिया में और योजना के कार्यन्वयन के सभी चरणों पर भाग लेना चाहिए। केन्द्रीकरण और विशेष्ज्ञता के कारण व्यक्ति भाग लेने में कठिनाई अनुभव करते हैं। योजना को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र भी प्रायः योजना स्थल से दूर होते हैं। यह सब सहभागिता में बाधायें हैं इन्हें दूर किया जाना चाहिए। नियन्त्रण केन्द्र और कार्यस्थल में निकट सम्पर्क होना चाहिए। समुदाय के सदस्यों द्वारा नियोजन और योजनाओं में भाग लेने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए संचार की सभी विधियों का प्रयोग करना चाहिये। जनता में निष्क्रियता की भावना को समाप्त किया जाना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब यह समझने का प्रयास किया जाए कि किस सीमा तक समुदाय के सदस्य, समुदाय की प्रकृति और उसकी विशेषताओं और समस्याओं को समझते हुए उनके सामाधान के प्रयासों में भाग लेने के उत्तरदायित्व को समझते हैं, किस सीमा तक समुदाय संचार के माध्यम स्थापित करता है जिससे विचारों, मतों, अनुभवों, योगदानों की दूसरों तक पहुंचाया जा सके, किस सीमा तक समुदाय के सदस्य और कार्यकारिणी के सदस्य आदि सरलता और प्रभावशाली तरीकों से सभी कार्यो में भाग लेते है, किस सीमा तक भाग लेने से सदस्यों को आत्म–सन्तुष्टि होती है और किस प्रकार कार्यकर्ता इस भागीदारी की प्रक्रिया का निर्देशन करते हैं।

सामुदायिक विकास – सामुदायिक विकास सम्पूर्ण समुदाय के चतुर्दिक विकास की एक ऐसी पद्वति है जिसमें जन–सह भाग के द्वारा समुदाय के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है भारत में शताब्दियों लम्बी राजनीतिक पराधीनता ने यहाँ के ग्रामीण जीवन को पूर्णतया जर्जरित कर दिया था इस अवधि में न केवल पारस्परिक सहयोग तथा सहभागिता की भावना का पूर्णतया लोप हो चुका था बल्कि सरकार और जनता के बीच भी सन्देह की एक दृढ़ दीवार खड़ी हो गयी थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय जो विषय परिस्थितियाँ विधमान थी उनका उल्लेख करते हुए टेलर ने स्पष्ट किया कि इस समय भारत में व्यापक निर्धनता के कारण प्रति व्यक्ति आयें दूसरे देशों की तुलना में इतनी कम थी कि भोजन के अभाव में लाखों लोगो की मृत्यु हो रही थी, कुल जनसंख्या का 84 प्रतिशत भाग अशिक्षित था कृषि उत्पादन बहुत कम था, ग्रामीण जनसख्या का 83 प्रतिशत भाग प्राकृतिक तथा सामाजिक रूप से एक दूसरे से बिल्कुल अलग–अलग था ग्रामीण उद्योग नष्ट हो चुके थे, जातियों का कठोर विभाजन सामाजिक संरचना को विषाक्त कर चुका था, लगभग 800 भाषाओं के कारण विभिन्न समुहों के बीच की दूरी निरन्तर बढ़ती जा रही थी, यातयात और संचार की व्यवस्था अत्यधिक बिगड़ी हुई थी तब अंग्रेजी शासन पर आधारित राजनीतिक नेतृत्व कोई भी उपयोग परिवर्तन लाने मे पूर्णतया असमर्थ था। '' स्वभाभिक है कि ऐसी दशा में भारत के ग्रामीण जीवन को पुर्नसंगठित किये बिना सामाजिक

पुनर्निर्माण की कल्पना करना पूर्णतया व्यर्थ है। कैम्ब्रिज में हुए एक सम्मेलन में सामुदायिक विकास स्पष्ट करते हुए कहा गया था कि " सामुदायिक विकास एक ऐसा आन्दोलन है जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण समुदाय के लिए एक उच्चतर जीवन स्तर की व्यवस्था करना है। इस कार्य में प्ररेणा शक्ति समुदाय की और से आनी चाहिए तथा प्रत्येक समय इसमें जनता का सहयोग होना चाहिए। ''

सामुदायिक विकास का अर्थ – समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से सामुदायिक विकास एक योजना मात्र नहीं है। बल्कि यह स्वयं में एक विचार–धारा तथा संरचना है। इसका तात्पर्य है कि एक विचारधारा के रूप में यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो व्यक्तियों को उनके उत्तरदायित्वों का बोध कराता है तथा एक संरचना के पारस्परिक प्रभावों को स्पष्ट करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भारतीय सन्दर्भ में सामुदायिक विकास का तात्पर्य एक ऐसा पद्धति से है जिसके द्धारा ग्रामीण समाज की संरचना, आर्थिक साधनों, नेतृत्व के स्वरूप तथा जनसहभाग के बीच समास्य स्थापित करते हुए समाज का चतुर्दिक विकास करने का प्रयत्न किया जाता है।

शाब्दिक रूप से सामुदायिक विकास का अर्थ है समुदाय का विकास या प्रगति।

सामुदायिक विकास की परिभाषा – सामुदायिक विकास को अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया है जो निम्न प्रकार से हैं–

1–: श्री एस0 के0 डे0– श्री एस0 के0 डे0 के अनुसार ''सामुदायिक विकास योजना नियमित रूप से समुदाय के कार्यो का प्रबन्ध करने के लिए अच्छी प्रकार से सोची हुई एक योजना हैं।''

2–: योजना आयोग– योजना आयोग के अनुसार ''जनता द्धारा स्वंय अपने ही प्रयासों से ग्रामीण जीवन में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने का प्रयास ही सामुदायिक विकास हैं। ''

3–: संयुक्त राष्ट्र संघ– संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ''सामुदायिक विकास योजना एक प्रक्रिया है, जो सारे समुदाय के लिए उसके पूर्ण सहयोग से आर्थिक और सामाजिक विकास की परिस्थितियों को पैदा करती है और जो पूर्ण रूप से समुदाय की प्रेरणा पर निर्भर करता है।''

उपर्युक्त परिभषाओं से स्पष्ट है कि सामुदायिक विकास समुदाय को भौतिक और प्रगति की दिशा में उत्साहित करता है। समुदाय के सदस्य अपने प्रयासों को संगठित करते हैं। इस संगठन कार्य में राज्य द्वारा प्राविधिक और वित्तिय सहायता प्रदान की जाती है।

सामुदायिक विकास के उद्देश्य :– जिस प्रकार सामुदायिक विकास के सिद्धान्त तथा दर्शन के बारे में विचारक एक मत नहीं है, उसी प्रकार सामुदायिक विकास के लाभो के सम्बन्ध में

भी अनेक प्रकार के विभेद हैं। परन्तु इस विभेद के फलस्वरूप भी सामुदायिक विकास के उद्देश्यों की रूपरेखा को हम निम्न भगों में विभक्त कर सकते हैं–

1–: ग्रामीण जनता को बेरोजगारी से पूर्ण रोजगार की दिशा में ले जाना।

2–: सहकारिता का प्रयास करना और ग्रामीण जीवन–स्तर की उन्नति करना।

3–: सामुदायिक हित के कार्यो को सम्पन्न करना।

4–: ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि के उत्पादन की वृद्धि के लिए आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान को सुभल करना।

समुदायिक विकास की विशेषताएँ – भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, एकीकरण पर आधारित है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रो के विकास पर विशेष बल दिया गया है। इस उद्देश्य के लिए प्रशासन के ढ़ाँचे में भी अनेक परिवर्तन किए गये हैं। इसके विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित विभाग पहले से ही मौजूत थे, अतः सामुदायिक स्तर पर विकास क्षेत्रो के रूप में विभिन्न विभगों के बीच समन्वय किया गया हौ। सम्पूर्ण कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक सगंढन तथा स्वावलम्बन को विशेष महत्व दिया गया हौ इस प्रकार सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषताए निम्न प्रकार है–

(1) विभिन्न विभागो के मध्य समन्वय – सामुदायिक विकास सम्बन्धित विभाग पहले से ही मौजूद थे जैसे कृषि, सहकारिता, उघोग, शिक्षा, पंचायत राज, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक निर्माण किन्तु इन विभागों के कार्यक्रम में किसी प्रकार का सहयोग तथा एकरूपता नहीं थी। अतः सामुदायिक के विकास अर्न्तगत इन सभी विभागों में समन्वय स्थापित किया गया है।

(2) क्षेत्रीय स्तर पर विकास का केन्द्रीयकरण – सामुदायिक विकास के लिए एक क्षेत्र को इकाई माना गया है। इस स्तर पर विविभ्न विभग एक दूसरे से सहयोंग ग्रमीण विकास के विविध कार्य क्रमों का संचालन करते है। दूसरे शब्दों में क्षेत्र विभिन्न विभागों में सभन्वय करने वाली एजेन्सी का कार्य करता है।

(3) जन सहयोग पर आधारित – जन सहयोग का आधार भी भारतीय समुदायिक विकास कार्यक्रम की एक विषेशता है। इस योजना के निर्माण का आरम्भ स्थानीय स्तर से होता है। स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं को देखते हुए कार्यक्रम निश्चित होता है। इसी प्रकार खण्ड स्तर, जिला स्तर, प्रादेशिक स्तर तथा राश्ट्रीय स्तर पर योजना के स्वरूप को अन्तिम रूप दिया गया है। इस प्रकार यह जनता की योजना है। यह सहयोग इसके लिये वांछनीय है।

(4) सामाजिक जीवन के समस्त पक्षों का समावेश –: भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामाजिक जीवन के किसी पहलू तक ही सीमित नही है। अतः तो आर्थिक योजना है और न पूर्णतया सामाजिक । इसके अर्न्तगत सामुदायिक जीवन के

आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृति तथा नैतिक तत्वों का समावेश है। इसका लक्ष्य सर्वागीण सामुदायिक विकास है।

2.5 सामुदायिक संगठन, सामुदायिक विकास एवं सामुदायिक कार्य में संबंध

सामुदायिक संगठन कार्य में प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता के ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग आवश्यक है। असंगठित एवं विघठित समुदाय में समाज कार्यकर्ता ही एक ऐसा प्रशिक्षित कार्यकर्ता है जो अपने व्यवहारिक ज्ञान से समुदाय की समस्याओं, उनकी आवष्यकताओं तथा विभिन्न उपलब्ध साधनों को जानकर सदस्यों में इन बातों की जाग्रति लाते हुए उनके कर्तव्यों का बोध कराता है अर्थात प्रशिक्षित कार्यकर्ता का अनुभवशील ज्ञान सामुदायिक ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होता है जिससे सदस्यगण आवश्यक कदम उठाने की योजना बनाते हैं और इसे कार्यान्वित करने के योग्य होते हैं। प्रशिक्षित कार्यकर्ता अपने ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग समुदाय द्वारा उठाये गए उनके विभिन्न कदमों एवं चरणों में कर सदस्यों को शिक्षित–प्रशिक्षित करते हुए उनके कार्य एवं लक्ष्य को आसान बनाता है।

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को पूर्ण ज्ञान होता है कि सामुदाय संगठन कार्य की सफलतता सामुदायिक सदस्यों पर ही निर्भर है। इसलिए सामुदाय कार्यकर्ता अपने उपयोगी ज्ञान को जो सामुदायिक सदस्यों के लिए आवश्यक है उसे करता है समस्या के समाधान के उचित कारणों का चयन करने के लिए आवश्यक है कि समस्या का अध्ययन किया जाय। इसलिए सर्वप्रथम समाज कार्यकर्ता सदस्यों की समस्याओं का अध्ययन् करते हुए सदस्यों में अध्ययन करने की स्वयं योग्यता का विकास करता हैं। जिससे वे स्वयं समस्या का अध्ययन करते हुए इसकी वास्तविक रूप–रेखा जान सकें। सामुदायिक संगठन की एक प्रक्रिया के रूप में किस प्रकार की भूमिका किसके साथ निभाता है। यदि सामुदायिक संगठन कार्य को इसकी अन्य अवधारणाओं से जोड़ा जाता है तो सभी संबंधित विषय जैसे–सामुदायिक विकास, सामुदायिक, कार्य, कार्य योजना सामुदायिक क्रिया आदि लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। उदाहरणार्थ सामुदायिक विकास कार्य से हमारा तात्पर्य उस प्रकार के विकास कार्य से है जिसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा सामुदायिक सदस्यों की योग्यता एवं उनकी सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक शक्तियों का विकास कर उसे राश्ट्रीय विकास से जोड़ना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामुदायिक विकास कार्य में सामुदायिक सदस्यों, में उनका सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर का विकास सरकारी, स्वयंसेवी एवं व्यवसायिक कार्यकर्ताओं के शिक्षण–प्रशिक्षण द्वारा किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि इस कार्य में भी सामुदायिक सदस्यों को उनकी अपनी विभिन्न उपलब्ध साधनों एवं सुविधाओं विकसित कर उसकी आवश्यक, दिशा में उपयोग करने के लिए उनकी योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास करना सम्मलित है। जिससे सामुदायिक विकास के साथ–2 राष्ट्रीय विकास कार्य को साकार बनाया जा सके।

इस प्रकार सामुदायिक विकास कार्य सरकारी विस्तार का कार्यो पर निर्भर होता है। इन विस्तार कार्यों में विभिन्न प्रकार के उपलब्ध संचालित कार्यक्रमों को के विषय में, जो समुदाय विशेष के लोगों के लिए आवश्यक है चाहे वह कृषि, के विकास से संबंधित हो या ग्रामीण विकास से संबंधित क्यों न हो, को इस योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है जिससे सभी सदस्य अपने आपसी सहयोग सहायता एवं सहभागिता के साथ संचालित आवश्यक कार्यक्रमों को समझते हुए अपने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपना सकें तथा लाभान्वित हो सकें। जबकि सामुदायिक सदस्यों की विभिन्न संगठन कार्यकर्ता द्वारा आवश्यताओं एवं उपलब्ध सरकारी एवं गैर सरकारी साधनों के बीच सदस्यों की योग्यता का विकास समझोता स्थापित करना है जिससे उपलब्ध साधनों को जरूरत मन्द लोगों तक पहुँचा कर संस्था एवं सेवा के उददेश्य को पूरा किया जाए। साथ–2 जरूरतमंद लोगों आष्यक सेवायें उनकी आवश्यकतानुसार, मिलती रहें औंर पारस्परिक सहयोग, सहायता एवं सहकारिता को बढ़ावा मिल सके।

सामुदायिक संगठन समाज कार्य की एक प्रणाली के रूप में – समाज कार्य एक सहायता मूलक कार्य है जो वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपुणताओं तथा मानव दर्शन का प्रयोग करते हुए व्यक्तियों की एक व्यक्ति, समूह के सदस्य अथवा समुदाय के निवासी के रूप में उनकी मनो–सामाजिक समस्याओं का अध्ययन एवं निदान करने के पश्चात् परामर्श, पर्यावरण में परिवर्तन तथा आवश्यक सेवाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करता है ताकि वे समस्याओं से छुटकारा पा सकें, सामाजिक क्रिया में प्रभावपूर्ण रूप से भाग ले सके, लोगो के साथ सन्तोषजनक समायोजन कर सके, अपने जीवन में सुख एवं शान्ति का अनुभव कर सकें तथा अपनी सहायता स्वयं करने के योग्य बन सकें।

समाज कार्य की इस प्राथमिक (सामुदायिक संगठन) प्रणाली का आविर्भाव वैसे तो मानव जीवन के साथ–2 माना जाता है लेकिन प्रमाणित रूप में एक दान समिति के प्रयासों से हुआ है। यह तब हुआ जब इस दान समिति ने विभिन्न अन्य कार्यरत गैर–सरकारी कल्याण समितियों के मजबूत संबन्धों, सहयोग एवं इन समितियों उचित उपयोग के विषय में कदम उठाया। इन प्रयासों से जन्मी प्रणाली को सामुदायिक संगठन का नाम दिया गया।

वर्तमान सामुदायिक जीवन के अध्ययन् एवं अवलोकन से ज्ञात होता है कि समुदाय का मौजूदा रूप शताब्दी पूर्ण के सामुदायिक जीवन से पूर्णतया भिन्न है। औधोगिकीकरण, नगरीकरण, यातायात और संचार की सुविधाओं, सामाजिक अधिनियम एवं राजनैतिक तथा समाज सुधार आन्दोलन हो न केवल नगरीय सामुदायिक जीवन के ही प्रभावित किया है बल्कि ग्रामीण सामुदायिक जीवन को भी फलस्वरूप वर्तमान सामुदायिक जीवन अपनी वास्तविक विशेषताओं जैसे सामुदायिक सहयोग, आपसी जिम्मेदारी, सामुदायिक कल्याण सुरक्षा एवं विकास से सुदूर सामुदायिक विघटन की तरफ बढ़ता जा रहा है। मात्रा की

दृष्टि से कहा जा सकता है कि नगरीय समुदाय का विघटन ग्रामीण समुदाय से अधिक हुआ है। इन दोनो समुदायों के पुर्नगठन एवं विकास के लिय सामुदायिक संगठन अत्यन्त आवश्यक है।

सामान्य बोलचाल की भाषा में सामुदायिक संगठन का अर्थ किसी निश्चित क्षेत्र या भू–भाग व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं एवं उस भू– भाग में उपलब्ध आन्तरिक एवं बाहय विभिन्न सांधनों के बीच समुचित एवं प्रभावपुर्ण संबंध स्थापित करते हुए उन व्यक्तियों में अपनी समस्याओं, कठिनाइयों का अध्ययन् करने तथा उपलब्ध साधनों से समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास करना है।

सामुदायिक संगठन कार्य में विघटित समुदाय के सदस्यों को आपस में एकत्रित कर उनकी सामुदायिक कल्याण एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं की खोज निकालने तथा उन आवश्यकताओं कि पूर्ति के लिए आवश्यक साधनों के जुटाने की योग्यता का विकास किया जाता है अर्थात सामुदायिक कार्यकर्ता का काम सामुदायिक सदस्यों के साथ मिलकर उनको अपनी समस्यों का अध्ययन करने, अपनी आवश्यकताओं को महसूस करने उपलब्ध साधनों के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने, सामूहिक समस्या समाधान के लिए उचित रास्ता अपनाने, एक होकर संघ बनाने आपसी सहयोग से योग्य नेता का चुनाव करने तथा वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्या का समाधान करने की योग्यता का विकास करता है। इस प्रकार सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में सामुदायिक समस्याओं के अभिकेन्द्रीकरण से लेकर उनके सामाधान तक किये गये समुचित कार्यों एंव चरणों को शामिल किया जाता है।

सामुदायिक संगठन कार्य अपनी कुछ सामान्य निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर समाज कार्य का अभिन्न अंग है।

(1) सामुदायिक संगठन एवं निश्चित भू–भाग के सदस्यों के विकास का कार्य है।
(2) सामुदायिक संगठन प्रशिक्षित समाज कार्य के ज्ञान एंव कौशल पर आधारित है।
(3) इसमें समस्या अध्ययन करने की योग्यता का विकास किया जाता है।
(4) सामुदायिक संगठन कार्य प्रजातांत्ररिक निर्णय पर आधारित है।
(5) साधनों को जानने एंव उसे संचालित करने का प्रयास किया जाता है।
(6) सामुदायिक नियोजन एंव एकता का विकास किया जाता है।
(7) सामुदायिक कल्याण के विकास को जनकल्याण में बदला जाता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि सामुदायिक संगठन समाज कार्य की एक प्रमुख प्रणाली है। जिसमें समाज कार्य के सभी प्राविधियों एंव निपुणताओं का प्रयोग किया जाता है।

2.6 सार संक्षेप

प्रस्तुत ईकाई में सामुदायिक संगठन के ऐतिहासिक विकास को बताया गया है। इस ईकाई में समाज कार्य में सामुदायिक संगठन की सार्थकता को विस्तार पूर्वक समझाया गया है।

इसी ईकाई में सामुदायिक नियोजन, सामुदायिक विकास, को समझाया गया है। तथा सामुदायिक संगठन, सामुदायिक विकास एवं सामुदायिक कार्य के सम्बन्ध को समझाया गया है।

2.7 अभ्यास प्रश्न

1. सामुदायिक संगठन के ऐतिहासिक विकास को बताइये।
2. सामुदायिक नियोजन को समझाइये ।
3. सामुदायिक संगठन के सतत् विकास के बारे में चर्चा कीजिये।
4. समाज कार्य में सामुदायिक संगठन की सार्थकता की व्याख्या कीजिये।
5. सामुदायिक संगठन, सामुदायिक कार्य एवं सामुदायिक विकास के संबन्ध का विवरण प्रस्तुत कीजिये।

2.8 पारिभाषिक शब्दावली

Relevance - औचित्य / सार्थकता

Community Work - सामुदायिक कार्य

Community Development - सामुदायिक विकास

2.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

(1) सिंह डॉ0 सुरेन्द्र, मिश्र डा0 पी0डी0, समाज कार्य इतिहास, दर्शन एंव प्रणालियॉ, न्यू रॉयल बुक कम्पनी, लखनऊ

(2) पाण्डेय तेजस्कर एवं पाण्डेय ओजस्कर, समाज कार्य, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ।

(3) सिंह सूदन, डॉ0 कृपाल, समाज कार्य सिद्धान्त एवं अभ्यास, नव ज्योति सिमरन जीत पब्लिकेशन, लखनऊ।

इकाई–3

सामुदायिक संगठन की प्रणालियां एवं कार्यविधियां
Methods and Procedures of Community Organization

इकाई की रूपरेखा

3.1 परिचय
3.2 उद्देश्य
3.3 सामुदायिक संगठन की विधियॉ या प्रणालियों
3.4 सामुदायिक संगठन के चरण
3.5 सामुदायिक कल्याण नियोजन
3.7 सामुदायिक परिषद तथा सामुदायिक दानपेटी
3.8 सामुदायिक विकास तथा सामुदायिक संगठन
3.9 सार संक्षेप
3.10 अभ्यास प्रश्न
3.11 पारिभाषिक शब्दावली
3.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची

3.1 परिचय

समुदायिक संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति उन संस्थाओं द्वारा, जो सामुदायिक संगठन में लगी रहती हैं, विशेष प्रकार के क्रियाकलापों द्वारा की जाती है। क्रियाकलापों और विधि या प्रणाली के भेद को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। क्रियाकलाप एक विशेष परियोजना या सेवा होती है जो प्रणली के प्रयोग होने के परिणामस्वरूप की जाती है। क्रियाकलाप वह वस्तु है जो की जाती है। और विधि या प्रणाली वह तरीका है जिसके द्वारा कोई भी क्रियाकलाप किया जाता है।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आपः–

- सामुदायिक संगठन की विधियॉ या प्रणालियों को समझ सकेगें।
- सामुदायिक संगठन के चरणों से अवगत हो सकेगें।
- सामुदायिक कल्याण नियोजन की व्याख्या कर सकेगें।

- सामुदायिक परिषद तथा सामुदायिक दानपेटी में अन्तर स्पष्ट कर सकेगें।
- सामुदायिक विकास तथा सामुदायिक संगठन में विभेद कर सकेगें।

3.3 सामुदायिक संगठन की विधियॉ या प्रणालियॉ

लेन ने सामुदायिक संगठन की निम्नलिखित विधियों या प्रणालियों का उल्लेख किया है–

1. निरन्तर केन्द्रीकृत अभिलेख एक प्रणाली है जिसका प्रयोग सामुदायिक संगठन में किया जाता है।
2. नियोजन, मुख्य रूप से दो या दो से अधिक संस्थाओं के लिए, दूसरी प्रणाली है जिसका प्रयोग सामुदायिक संगठन में किया जाता है।
3. तीसरी प्रणाली जिसका प्रयोग सामुदायिक संगठन में किया जाता है वह है विशेष अध्ययन या सर्वेक्षण।
4. संयुक्त बजट बनाना अर्थात् वित्त व्यवस्था का नियोजन, चौथी प्रणाली है जिसका प्रयोग सामुदायिक संगठन में किया जाता है।
5. सामुदायिक संगठन प्रक्रिया में शिक्षा, अर्थनिरूपण और जनसम्पर्क सम्बन्धी प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है जैसे दैनिक पत्रों, वार्षिक प्रतिवेदनों, रेडियों, नुमाइशों, पुस्तकों आदि द्वारा प्रचार।
6. सामुदायिक संगठन प्रक्रिया की प्रणालियों के रूप में कोष इकट्ठा करने के लिए संयुक्त अभियाानों का प्रयोजन और ऐसे अभियानों का चलाया जाना।
7. संगठन की प्रणालियों का प्रयोग।
8. क्षेत्रीय सेवा या अन्य तरीके से अन्तःअभिकरण परामर्श सामुदायिक संगठन की एक सामान्य प्रणाली है।
9. समूहिक विचार विमर्श, कन्फ्रेन्स प्रक्रिया का विकास और प्रयोग।
10. दो संस्थानों की आपसी विलीनता के लिए वार्ता द्वारा समझौते को प्रोत्साहित करना।
11. संयुक्त रूप से सेवाओं का दिया जाना एक सामान्य प्रणाली है।
12. सामाजिक क्रिया द्वारा सामाजिक विधानों को प्रोत्साहित करना।

यदि प्रणाली को ज्ञान, सिद्धान्तों एवं निपुणताओं पर आधारित विशेष प्रकार की कार्यरीति माना जाये, तो समाज कार्य की सभी प्रणालियों, व्यक्तिगत समाज कार्य, समूह समाज कार्य और सामुदायिक संगठन की एक समान आधार–शिला है। परन्तु कार्यप्रणाली या कार्यरीति के रूप में प्रणाली के अर्थ, ज्ञान और सिद्वान्तों के समिश्रण से अधिक व्यापक हो जाते है। इसके मूल अर्थ यह है: किसी एक क्रियाकलाप में ज्ञान और सिद्धान्तों का प्रयोग इस ढंग से करना कि बहुत ही प्रभावशाली तरीकों से परिवर्तन आ जाये। प्रणाली का अर्थ होता है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिचित कार्यविधियों का व्यवस्थित प्रयोग।

समाज कार्य में सामुदायिक संगठन की प्रणालियों का विकास अभ्यासकर्त्ताओं के प्रयासों से हुआ। सामुदायिक संगठन की निम्नलिखित कार्यविधियों का उल्लेख मेकनील ने किया है–

1. प्रशासकीय एवं प्रक्रिया अभिलेखन
2. अनुसंधान
3. परामर्श
4. सामूहिक काफ्रेन्स
5. कमेटी कार्य
6. अर्थ निरूपण
7. प्रशासन
8. साधनों का संगहण
9. संधिवार्ता या समझौते की बात–चीत

सामुदायिक विकास के साहित्य का अध्ययन करने से जिन मौलिक प्रक्रियाओं या विधियों या कार्यविधियों या ज्ञान होता है वह समाज कार्य के सिद्वान्तों और अभ्यास से बहुत निकट सम्बन्ध रखती है। यह प्रक्रियाएं या विधियाँ और उनका विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों और संकट में पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रयोग समाज कार्य से इनकी समानता दर्शाता है।

सामुदायिक विकास के मानवीय सम्बन्धों में इन प्रक्रियाओं की व्याख्या सर्वेक्षण द्वारा इस प्रकार की गई है:

1. स्थानीय समुदाय का ज्ञान ग्रहण करना और इसकी स्वीकृति प्राप्त करना।
2. स्थानीय समुदाय के विषय में सूचनाएँ एकत्र करना। समुदाय के विषय में तथ्यात्मक सूचनाएँ जैसे जनसंख्या का आकार, आयु लिंग व्यवसाय, आर्थिक स्तर, आदि सम्बन्धी ज्ञान।
3. स्थानीय नेता की पहचान।
4. समुदाय को यह समझने के लिए उद्दीपन और प्रेरणा देना कि उसके सामने समस्याएँ हैं।
5. व्यक्तियों को अपनी समस्याओं के विषय में विचार–विमर्श करने में सहायता देना।
6. व्यक्तियों को अपनी सबसे अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं को पहचानने में यहायता देना।
7. आत्म–विश्वास की पालना।
8. समाज कार्य का मौलिक उद्देश्य व्यक्यिों, समूहों और समुदाय में विश्वास का विकास करना, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के साधनों का प्रयोग करने में सहायता देना है।

9. एक क्रियात्मक कार्यक्रम के विषय में निर्णय लेना।
10. समुदायिक शक्तियों और साधनों की पहचान। व्यक्तियों को अपनी समस्याओं के समाधान में अपनी शक्तियों और साधनों को पहचानने और उन्हें गतिमान करने में सहायता देना।
11. व्यक्तियों को अपनी समस्याओं के समाधान कार्यों में निरन्तर लगे रहने में सहायता देना।
12. व्यक्तियों को अपनी सहायता आप करने की क्षमता में वृद्धि करना।

3.4 सामुदायिक संगठन के चरण

जिस प्रकार व्यक्तिगत समाज कार्य के अभ्यास में चरणों के होने का विचार रखा गया है जैसे अध्ययन, निदान और उपचार तीन प्रमुख चरण है, उसी प्रकार सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में भी चरणों की व्याख्या की गयी है। यही चरण सामुदायिक संगठन के अन्तर्गत किसी भी सामुदायिक संगठन परियोजना के संदर्भ में प्रमुख चरण माने जाते है। लिन्डमैन ने लगभग 700 सामुदायिक परियोजनाओं का अध्ययन करके 10 चरणों की व्याख्या की है। सामुदायिक संगठन में यह चरण निम्नलिखित है। इनके वर्गीकरण में समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण मिलता हैः

1. आवश्यकता की चेतना : समुदाय के अन्दर या बाहर का कोई व्यक्ति आवश्कता का प्रकटन करता है जो बाद में एक निश्चित परियोजना का रूप ले लेती है।
2. आवश्कता की चेतना का प्रसार समुदाय के अन्दर कोई समूह या संस्था के अन्दर कोई नेता अपने समूह या समूह के एक भाग को इस आवश्यकता की वास्तविकता के विषय में विश्वास दिलाता है।
3. आवश्यकता की चेतना का प्रक्षेपण : समुदाय का जो समूह आवश्यकता की पूर्ति में रूचि रखता है, वह आवश्यकता की चेतना का समुदाय के नेताओं पर प्रक्षेपण करता है और उन्हें आवश्यकता की पूर्ति के लिये तैयार करता है जिससे आवश्यकता की चेतना एक सामान्य रूप ग्रहण कर लेती है।
4. आवश्यकता को तुरन्त पूरा करने का भावनात्मक आवेग : एक भावानात्मक आवेग का उत्पन्न होना और उस आवश्यकता को तुरन्त पूरा करने के लिये कुछ प्रभावशाली सहायता जुटाई जाती है।
5. (आवश्यकता की पूति के लिये) समाधानों का प्रस्तुतीकरण : आवश्यकता की पूर्ति के लिये अन्य समाधानों को समुदाय के सामने रखा जाता है।
6. (आवश्यकता की पूर्ति के) समाधानों में संघर्षः विभिन्न प्रकार के विरोधी समाधान या सुझावों को प्रस्तुत किया जाता है और विभिन्न समूह इनमें किसी एक का समर्थन करते है।

7. अन्वेषण या जॉच पड़ताल : विशेषज्ञों की सहायता से परियोजना या समस्या की जॉच की जाती है।
8. समस्या के विषय में वाद–विवाद : एक विशाल सभा या कुछ व्यक्तियों के सम्मुख परियोजना या समस्या को प्रस्तुत किया जाता है और वह समूह जो अधिक प्रभाव रखते है अपनी योजनाओं की स्वकृति लेने का प्रयास करते है।
9. समाधानों का एकीकरण : जो भी समाधान सुझाव के रूप में सामने रखे जाते है उनकी परीक्षा करके सभी के अच्छे पक्ष चुनकर एक नया समाधान निकाला जाता है।
10. अस्थायी प्रगति के आधार पर समझौताः कुछ समूह अपनी–अपनी योजना का कुछ भाग त्याग देते है जिसके फलस्वरूप एक समझौता हो जाता है और उसी समझौते के आधार पर कार्य आरम्भ किया जाता है।

यह आवश्यक नही कि सभी परियोजनाएँ इन्ही चरणों के अनुसार ही कार्य रूप में आती है।

क्रॉस के अनुसार सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में छः प्रमुख चरण देखे जा सकते हैं, जैसे–

1. सेवा के उद्देश्यों का एक निश्चित कथन एवं विवरण।
2. तथ्यों की खोज : समस्याग्रस्त व्यक्तियों की विशेषताओं, समुदायिक साधनों और सेवाओं की समर्थताएँ आदि।
3. साधनों और आवश्यकताओं के बीच वांछित समायोजन के संदर्भ में प्रदान की जा सकने वाली सेवाओं की रूपरेखा।
4. अस्थायी योजना और चुनी गई सेवाओं की वैधता का परीक्षण करने के लिये जनता के सामने उसे प्रस्तुत करना।
5. मुख्य योजना का विकास जो अस्थायी योजना से अलग होती है और जो परीक्षण पर आधारित अनुभवों के कारण विकसित की जाती है।
6. अन्तिम चरण में इस मुख्य योजना को सेवा में बदला जाता है या सेवा में कार्यन्वित किया जाता है। इसमें वर्तमान सेवाओं का पुनः संगठन, वर्तमान सेवाओं का स्तर ऊँचा करना या उनका विस्तार करना या बिल्कुल नई सेवाओं का निर्माण करना सम्मिलित है।

सैन्डरसन और पौलसन के अनुसार सामुदायिक संगठन के सात प्रमुख चरण है जो इस प्रकार हैः

1. समुदाय का विश्लेषण एवं निदान : जिसमें समुदाय के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है। समुदाय के ढांचे, जनसंख्या का आकार, व्यावहारिक विशेषताओं और

प्रमुख सामाजिक शक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। सामुदायिक प्रथाओं, परम्पराओं जनरीतियों, मनोवृत्तियों, सम्बन्धों, संघर्षों नेताओं, परस्पर विरोधी शक्तियों आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है।

2. गतिकी : सामान्य आवश्यकताओं के प्रति, सामान्य रूचि का विकास और समुदाय को क्रियाशील बनाने के लिये उनमें उन्नति की इच्छा और वर्तमान परिस्थिति से असन्तुष्टि विकसित की जाती है।
3. परिस्थिति की परिभाषा : समुदाय के विश्लेषण और निदान और उसकी गतिकी को ध्यान में रखकर सामुदायिक परिस्थित की पुनः परिभाषा करके यह निश्चित किया जाता है कि समुदाय के लिये क्या वॉछित है और उसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं एवं संगठनों का मत मालूम किया जाता है और इन सब तथ्यों को सामने रखकर सामुदायिक परिस्थिति को पुनः परिभाषित किया जाता है।
4. औपचारिक संगठन : समुदाय का संगठन समुदाय के आकार और वर्तमान संगठनों की जटिलता को देखकर बनाया जाता है। जब समुदाय बड़ा होता है और उसमें संगठनों की संख्या अधिक होती है तो जो संगठन बनाया जाता है वह समन्वयात्मक रूप रखता है और उसमें उद्देश्य सभी संगठनों को संगठित किया जाना और उनमें समन्वय लाना होता है।
5. सर्वेक्षणः औपचारिक संगठन के बाद सामुदायिक दशाओं को समझने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। इसका उद्देश्य समुदाय के विषय में तथ्यों को ज्ञात करना होतो है। आरम्भ में एक या दो समस्याओं पद ही ध्यान दिया जाना लाभदायक होता है। इन समस्याओं के सुलझाने के लिए सर्वेक्षण द्वारा तथ्य एकत्रित किए जाते है।
6. कार्यक्रम : जिन आवश्यकताओं के पूरा करने में सदस्यों की सबसे अधिक रूचि होती है और जिनकी संतुष्टि में न्यूनतम संघर्ष की सम्भावना हो, उसी की पूर्ति के लिये सबसे पहले कार्यक्रम बनाया जाता है। इस अनुभव से जब समुदाय संगठित हो जाता है तो लम्बी अवधि के कार्यक्रम बनाये जाते है। कार्यक्रम की निर्माण में समुदाय के सभी सदस्यों और समूहों को योजना के विषय में अपना मत प्रकट करने और विचार–विमर्श की सुविधा दी जाती है।
7. नेतृत्व : एक प्रभावशाली नेतृत्व के बिना कार्यक्रम का होना पर्याप्त नही होता। समुदाय में से ही नेतृत्व का उत्तरदायित्व स्वीकार करना आवश्यक माना जाता है। बाहर का व्यक्ति समुदाय में चेतना उत्पन्न कर सकता है परन्तु नेतृत्व प्रदान करने का उत्तरदायित्व समुदाय का अपना होता है।

यूनाइटेड नेशन्स ने सामुदायिक विकास और सामुदायिक संगठन को एक दूसरे की पूरक आवधाणाएँ माना है। दोनों के सिद्धान्तों, विधियों और चरणों का विश्लेषण करने से दोनों के सिद्धान्तों, विधियों और चरणों में समानता देखी जा सकती है।

टेलर ने सामुदायिक विकास के निम्नलिखित चरणों और विधियों की व्याख्या की है जो समुदाय संगठन के चरणों और विधियों से मेल खाती है:

1. सामुदायिक विकास का पहला चरण समुदाय के सदस्यों द्वारा समान अनुभूत आवश्यकताओं के विषय में व्यवस्थित विचार विमर्श करना।
2- समुदायिक विकास का दूसरा चरण समुदाय द्वारा चयन की गई प्रथम स्वयं–सहायता परियोजना को पूरा करने के लिए व्यवस्थित नियोजन करना है।
3- सामुदायिक विकास का तीसरा चरण स्थानीय सामुदायिक समूहों की भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समर्थताओं को जुटाना और उन्हें गतिमान करना है।
4. सामुदायिक संगठन का चौथा चरण समुदाय में आकांक्षाओं का सृजन और समुदाय के सुधार हेतु अतिरिक्त परियोजनाओं को चलाने के लिए निर्णय लेना है।

3.5 सामुदायिक कल्याण नियोजन

नियोजन सामुदायिक संगठन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। स्वास्थ्य और कल्याण के लिये नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति, समूह एवं समुदाय चेतन रूप से उन दशाओं, कार्यक्रमों और सुविधाओं को निर्धारित करने, उनकी स्थापना और उन्हें बनाये रखने का प्रयास करते हैं जो उनकी दृष्टि में वैयक्तिक एवं सामूहिक जीवन को भंग होने से बचा सकते हैं और सभी व्यक्तियों के लिए एक उच्च स्तर के कल्याण को सम्भव कर सकते हैं। सामुदायिक नियोजन की परिभाषा में जनता द्वारा समर्थन को जुटाना, आवश्यक सूचनाआं का प्रसार, उपयुक्त कमेटियों की नियुक्ति, विरोधी भावों का सुना जाना, उनका विश्लेषण और विरोधी भावों में समझौता सभी कुछ सम्मिलित हैं। सामुदायिक नियोजन में उन्हीं प्रणालियों का प्रयोग होता है जिनका प्रयोग सामुदायिक संगठन में होता है और जैसा समाज कार्य इन्हें समझता और इनका प्रयोग करता है। स्वास्थ्य और समाज कल्याण के ठोस नियोजन में समुदाय के मौलिक तथ्यों और शक्तियों का प्रयोग होता है। समुदायिक नियोजन छोटे स्थानीय क्षेत्रों, नगरों, जनपदों और क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। नियोजन का अर्थ है कि भविष्य में जो प्रयास किये जाने हैं, उनका पहले से ही प्रतिपादन किया जाना। नियोजन का अर्थ है कि समाज कल्याण के कार्यक्रम किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किये जाने हैं, उन्हें स्पष्ट किया जाना है और उसे कैसे किया जाना है अर्थात् उसे करने के लिये किस प्रणाली या विधि का प्रयोग किया जाएगा। वह क्रियाकलाप कितना अच्छा किया जाना है, अर्थात् प्रणाली या करने की विधि में किस स्तर

की गुणता और विशेषज्ञता होगी। किस प्रकार क्रियाकलाप का समर्थन किया जायेगा। इन सबको एक साथ पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है।

नियोजन तो एक सुस्थापित तथ्य होता है। एक सामूहिक और परस्पर निर्भर समाज अपने सदस्यों को अच्छा जीवन प्रदान करने के लिये, अन्तिम रूप से, अपनी नियोजन प्रक्रियाओं पर निर्भर रहता है। नियोजन का अर्थ है सामुदायिक जीवन के क्षेत्रों में क्रमबद्ध चिन्तन लाना क्योंकि नियोजन चिन्तन का चेतन और सोद्देश्य निर्देशन होता है जिससे उन उद्देश्यों, जिन पर समुदाय में समझौता हो, की पूर्ति के लिये तर्कपूर्ण साधनों का सृजन किया जा सके। नियोजन में सदैव और अनिवार्य रूप से प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाती हैं और मूल–निर्णय लेने पड़ते हैं। नियोजन उन मानवीय समस्याओं से निपटने का मौलिक और प्रधान तरीका है जो हमारे सामने आती हैं। नियोजन एक दृष्टिकोण होता है, एक मनोवृत्ति है और ऐसी मान्यता है जो हमें यह बताती है कि हमारे लिए क्या संभव है कि हम अपने भाग्य के विषय में अनुमान लगा सकते हैं भविष्यवाणी कर सकते हैं उसे निर्देशित कर सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम सामुदायिक नियोजन की धारणा को स्वीकार की लेते हैं तो हम अपने दर्शनशास्त्र की व्याख्या करते हैं या व्यक्तियों और उनके द्वारा अपने भविष्य को नियंत्रित करने की क्षमता के विषय में अपना पूर्ण मत प्रगट करते हैं। नियोजन के लिये व्यावसायिक कार्यकर्त्ता और विशेष निपुणताओं की आवश्यकता पड़ती है और इस निपुणता का प्रयोग नियोजन के पांच पक्ष दर्शाता है :

1) व्यावसायिक निपुणता एक निरन्तर प्रक्रिया की स्थापना के लिये आवश्यक है जिसके द्वारा सामुदायिक समस्याओं को पहचाना जाता है।
2) व्यावसायिक निपुणता तथ्यों के संकलन हेतु एक प्रक्रिया की स्थापना के लिये आवश्यक होती है जिससे समस्या से संबंधित सभी सूचनाओ का सरला से प्रसार किया जा सके।
3) योजना के प्रतिपादन के लिये एक कार्यात्यक प्रणाली का सृजन करने के लिये व्यावसायिक निपुणता का प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है।
4) योजना का प्रतिपादन सामुदायिक संगठन की सम्पूर्ण प्रक्रिया में एक बिन्दु–मात्र ही होता है। इस प्रतिपादन के पहले और बाद में क्या होता है वह अधिक महत्वपूर्ण होता है।
5) योजना के कार्यान्वयन में कार्यविधियों के निर्धारित करने में व्यावसायिक निपुणत की आवश्यकता पड़ती है।

नियोजन शून्य में नहीं किया जाता। इसके लिए उद्देश्य चाहिये। योजना के परिणामस्वरूप कुछ उपलब्धियां होनी चाहिये। उद्देश्य तो एक मानचित्र होते हैं जो हमें यह दिखाते हैं कि हमें कहां जाना है और हम किन रास्तों से जा सकते है। हमें उस समुदाय का पूरा ज्ञान

होना चाहिये जहाँ हम सामुदायिक संगठन के अभ्यास के लिये जाते हैं। समाज कार्य के कार्य, समुदाय में संस्था या अभिकरण की भूमिका, समूह की विशिष्ट आवश्यकताएँ और व्यक्तियोंकी विशिष्ट आवश्यकताएँ चार प्रमुख क्षेत्र हैं जो उद्देश्यों के निर्धारण में हमारी सहायता करते हैं।

समुदाय में मनोवैज्ञानिक तत्परता का सृजन करने और उसमें नियोजन करने की इच्छा का सृजन करने के लिये सहायता दी जानी चाहिये। यह समझना आवश्यक है कि नियोजन एक सकारात्मक प्रक्रिया है न कि एक नकारात्मक प्रक्रिया। नियोजन के प्रति यह भय नहीं चाहिये कि इसमें एक परम नियंत्रण होता है। आंशिक नियोजन करना सही नहीं होता।

3.6 नियोजन के सिद्धान्त

नियोजन के सिद्धान्तों में प्रशासन के जिन निम्न महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का उल्लेख ट्रेकर ने किया है वह सामुदायिक संगठन के अभ्यास में भी उतनी ही महत्ता रखते हैं।

1) प्रभावशाली होने के लिये नियोजन उन व्यक्तियों की अभिरूचियों और आवश्यकताओं से, जिनसे संस्था बनती है, उत्पन्न होना चाहिए।
2) प्रभावशाली होने के लिये नियोजन में वह लोग जो नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगें योजना के बनाये जाने में भागीदार होने चाहिये।
3) अधिक प्रभावशाली होने के लिये, नियोजन का एक पर्याप्त तथ्यात्मक आधार होना चाहिये।
4) अधिक प्रभावशाली योजनाएँ उस प्रक्रिया से जन्मती हैं जिसमें आमने–सामने सम्पर्क की प्रणालियों और अधिक औपचारिक कमेटी कार्य की प्रणालियों की मिश्रण होता है।
5) परिस्थतियों की भिन्नता के कारण नियोजन प्रक्रिया का व्यक्तिकरण और विशिष्टीकरण किया जाना चाहिए। अर्थात् स्थानीय परिस्थिति के अनुसार ही योजनाएँ बनायी जानी चाहिये।
6) नियोजन में व्यावसासिक नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है।
7) नियोजन मे स्वयंसेवकों, अव्यावसायिक व्यक्तियों, सामुदायिक नेताओं के साथ–साथ व्यावसायिक कार्यकर्त्ताओं के प्रयासों की भी आवश्यकता पड़ती है।
8) नियोजन में दस्तावेजों को रखने और पूर्ण अभिलेखन की आवश्यकता पड़ती है जिससे विचार–विमर्श के परिणामों को निरंतरता और निर्देशन के लिये सुरक्षित रखा जा सके।
9) नियोजन में विद्यमान योजनाओं और साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिये और हर बार प्रत्येक नई समस्या को लेकर आरम्भ से ही कार्य आरम्भ नहीं करना चाहिये।

10) नियोजन क्रिया के पूर्व चिन्तन पर निर्भर करता है।

नियोहन में सहभागिता/भागीदारी के महत्व को कम नहीं समझना चाहिये। समुदाय के सदस्यों को नियोजन की प्रक्रिया में और योजना के कार्यान्वयन के सभी चरणों पर भाग लेना चाहिये। केन्द्रीकरण और विशेषज्ञता के कारण व्यक्ति भाग लेने में कठिनाई अनुभव करते हैं। यह सब सहभागिता में बाधाएँ हैं। इन्हें दूर किया जाना चाहिये। नियंत्रण केन्द्र और कार्यस्थल में निकट सर्म्पक होना चाहिये। समुदाय के सदस्यों द्वारा नियोजन और योजनाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए संचार की सभी विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जनता में निष्क्रियता की भावना को समाप्त किया जाना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब यह समझने का प्रयास किया जाए कि किस सीमा तक समुदाय के सदस्य समुदाय की प्रकृति और उसकी विशेषताओं और समस्याओं को समझते हुए उनके समाधान के प्रयासों में भाग लेने के उरदात्वि को समझते है; किस सीमा तक समुदाय संचार के माध्यम स्थापित करता है जिसस विचारों, मतों, अनुभवों, योगदानों को दूसरों तक पहुंचाया जा सके; किस सीमा तक समुदाय के सदस्य और कार्यकारिणी के सदस्य आदि सरलता और प्रभावशाली तरीके से सभी कार्यों में भाग लेते हैं; किस सीमा तक भाग लेने से सदस्यों को आत्म–संतुष्टि होती है और किस प्रकार कार्यकर्त्ता इस भागीदारी की प्रक्रिया का निर्देशन करते हैं।

3.7 सामुदायिक परिषद तथा सामुदायिक दानपेटी

अमरीका के नगरों तथा महानगरों में सामुदायिक परिषदें तथा सामुदायिक दान पेटियां सामुदायिक संगठन की प्राथमिक एवं प्रमुख इकाइयां मानी जाती है। सामुदायिक कल्याण परिषदें बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ये तीन प्रकार की है:

1. परम्परागत सामाजिक संस्थाओं की परिषदें
2. सामुदायिक कल्याण परिषदें
3. विशेषीकृत परिषदें।

पहली प्रकार की परिषदें समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित है। सामुदायिक कल्याण परिषदें सामान्य तथा समाज कल्याण से सम्बन्धित है तथा वे प्रायः सामाजिक क्रिया में लगी रहती है। वे सामाजिक संस्थाओं को समन्वित भी करती है। साथ ही साथ ये परिषदें स्वास्थ्य परिषदें एवं कल्याण कार्यक्रमों में सुधार भी लाती है। विशेषीकृत कौन्सिलें इन दोनों परिवार एवं बाल कल्याण, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, पुनर्वासन, युवा सेवाओं जैसे सुधारात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करती है।

परिषदें ऐच्छिक संस्थायें होती है जिनका कार्य तथ्यों का पता लगाना, नियोजन करना, वार्तालाप को प्रारम्भ करना तथा बढ़ाना, टोली भावना को प्रोत्साहन देना, संस्थाओं की कार्यात्मकता को बढ़ाना, जन सम्बन्धों को अधिक उपयोगी बनाना तथा सामाजिक क्रिया

को प्रोत्साहन देना होता है। सामुदायिक दानपेटियां आज के वित्तीय संगठनों का प्रतिरूप है। इनका महत्वपूर्ण कार्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए धनराशि एकत्रित करना है। इसके अतरिक्त ये दानपेटियां जनता से सामाजिक कल्याण की संस्थाओं को सहायता करने की अपील भी करती है।

3.8 सामुदायिक विकास तथा सामुदायिक संगठन

सामुदायिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामान्य रूप से आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति करने का प्रयास किया जाता। समुदाय स्वयं इन उपायों को करता है ताकि इसकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके। सामुदायिक विकास में मानव कल्याण के लिए दो प्रकार की शक्तियों का एकीकरण होना आवश्यक होता है। ये शक्तियां है :

1. सहयोग, आत्म सहायता, आत्मसात करने की योग्यता, तथा शक्ति।
2. सामुदायिक तथा आर्थिक क्षेत्र से सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान की उपलब्धता।

सामुदायिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता के प्रयासों को शासकीय सत्ता के साथ एकीकृत कर समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाओं में सुधार लाया जाता है। सामुदायिक विकास के निम्न तत्व उल्लेखनीय हैः

1. कार्यकलाप समुदाय की मूल आवश्यकताओं से सम्बन्धित हो। काय्र का सीधा सम्बन्ध लोगों की अनुभूत आवश्यकताओं से सम्बन्धित हो।
2- बहुउद्देशीय कार्यक्रम अधिक प्रभावी होते है।
3- जनसमुदाय की मनोवृत्तियों में बदलाव लाना आवश्यक होता है।
4- स्थानीय नेतृत्व को प्रोस्साहन दिया जाना चाहिए।
5- महिलाओं तथा युवकों की कार्यक्रम में सहभागिता सफलता की ओर ले जाता है।
6- स्वेच्छिक संस्थाओं के स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए।

सामुदायिक विकास तथा सामुदायिक संगठन में अन्तर है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सरकार द्वारा आर्थिक विकास के लिए जनता के बीच चलाये जाते है। यहॉ पर लोगों की आर्थिक दशा को सुधारने पर अधिक बल दिया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा दक्ष सेवायें प्रदान की जाती है। सामुदायिक संगठन द्वारा समुदाय की अनुभव की जाने वाली आवश्यकताओं एवं सामुदायिक संसाधनों में समायोजन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। सामुदायिक एकीकरण तथा परस्पर सहयोग पर अधिक बल दिया जाता है।

3.9 सार संक्षेप

सामुदायिक संगठन के कार्यक्रम सरकारी तथा स्वैच्छिक दोनों प्रकार के होते है जबकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम शासकीय होते है। सामुदायिक संगठन के कार्यक्रम जनसामान्य द्वारा सामुदायिक कार्यकर्ता की सहायता से चलाये जाते है। सामुदायिक विकास

के कार्यक्रम विकसित होने वाले देशों में आर्थिक विकास के लिए चलाये जाते है। सामुदायिक संगठन के कार्यक्रम सहयोग पूर्ण मनोवृत्तियों एवं व्यवहारों को विकसित करने एवं जीवन को सामाजिक रूप से सुखमय बनाने के लिए सभी देशों में चलाये जाते है।

3.10 अभ्यास प्रश्न

1. सामुदायिक संगठन की विधियॉ या प्रणालियों को समझाइये ?
2. सामुदायिक संगठन के चरणों की व्याख्या कीजिये ?
3. सामुदायिक कल्याण नियोजन से आप क्या समझते है ?
4. सामुदायिक परिषद तथा सामुदायिक दानपेटी को समझाइये ?
5. सामुदायिक विकास तथा सामुदायिक संगठन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये ?

3.11 पारिभाषिक शब्दावली

1.	Community	:	समुदाय
2.	Community Orgnaization	:	सामुदायिक संगठन
3.	Components	:	अंगभूत
4.	Agency	:	संस्था
5.	Community organization worker	:	सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता
6.	Community Planning	:	सामुदायिक नियोजन
7.	Community Development	:	सामुदायिक विकास
8.	felt needs	:	अनुभूत आवश्यकताओं

3.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Stroup H.H., Community Welfare Organization, Harper and Brothers, New York, 1952 P.42
2. Community organization is that phase of organization which constitutes a conscious efforts on the part of a community to control its affairs democratically and to secure the highest services from its specialists, organizations, agencies and institutions by means of tecognized interrelations.
Lindeman, Edward C., the community, Association Press, New York 1921, pp. 139-173
3. The term community organization is best defined as assisting a group of people to recognize their common needs and helping them to meet these needs.
Pettit, Walter w- quoted by Harper, E.B. and Dunham, A (ed). Community Organization in Action, Association Press, New york, 1959, p55.

4. The aim of community organization is to develop relationship between groups and individuals that will enable them to act together in creating and maintaining facilities and agencies through which they may realize their highest values in the common weltare of all members of the Community.
Sanderson, D. and Polson, R.A. Rural community Organization, John Willey and Sons, New York, 1950, p.74

इकाई–4

सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया

Process of Community Organisation

इकाई की रूपरेखा

4.1 परिचय
4.2 उद्देश्य
4.3 सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया
4.4 ग्रामीण जीवन पर सामुदायिक योजना के प्रभाव
4.5 लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण
4.6 आर्थिक विकास
4.7 मनोवृत्तियों में परिवर्तन
4.8 स्वास्थ्य तथा सफाई
4.9 साक्षरता में वृद्धि
4.10 संप्रेषण द्वारा चेतना
4.11 ग्रामीण नेतृत्व का विकास
4.12 मातृत्व तथा शिशु कल्याण
4.13 सार संक्षेप
4.14 अभ्यास प्रश्न
4.15 पारिभाषिक शब्दावली
4.16 संदर्भ ग्रन्थ सूची

4.1 परिचय

प्रारंभिक काल में सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार के योजना मंत्रालय से संबद्ध था परंतु बाद में इसके महत्त्व तथा व्यापक कार्यक्षेत्र को देखते हुए इसे एक नव–निर्मित मंत्रालय, सामुदायिक विकास मंत्रालय से संबद्ध कर दिया गया।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आपः–

- सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया को समझ सकेगें।

- ग्रामीण जीवन पर सामुदायिक योजना के प्रभाव को जान सकेगें।
- लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को समझ सकेगें।
- आर्थिक विकास को समझ सकेगें।
- मनोवृत्तियों में परिवर्तन को समझ सकेगें।
- स्वास्थ्य तथा सफाई की प्रासंगिकता को समझ सकेगें।
- साक्षरता में वृद्धि की अवधारणा समझ सकेगें।
- संप्रेषण द्वारा चेतना को जान सकेगें।
- ग्रामीण नेतृत्व का विकास को जान सकेगें।
- मातृत्व तथा शिशु कल्याण को जान सकेगें।

4.3 ग्रामीण जीवन पर सामुदायिक योजना के प्रभाव

सामुदायिक विकास योजना ,ग्रामीण जीवन के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। इस योजना के सामाजिक प्रभावों को केवल इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि एक सामान्य ग्रामीण का जीवन पहले की अपेक्षा न केवल काफी खुशहाल और सम्पन्न दिखाई देता है बल्कि जीवन और समाज के प्रति उसकी धारणाओं और विचारधाओं में काफी परिवर्तन हो गया है। ग्रामीण समुदाय में स्वास्थ्य के सतर को सुधारने, शिक्षा का प्रसार करने, स्त्रियों तथा बच्चों का कल्याण करने, एक नवीन चेतना उत्पन्न करने तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भी सामुदायिक विकास योजना के महत्व की अवहेलना नहीं की जा सकती। विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सामाजिक प्रभावों को इस प्रकार समझा जा सकता है।

4.4 लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण

इस योजना के फलस्वरूप आज लोकतात्रिक व्यवस्था का गांवों में विकेन्द्रीकरण हुआ है। ग्रामों में जिला परिषद्, ग्राम पंचायत तथा पंचायत समितियों द्वारा ग्रामीण विकास में अधिकाधिक योगदान इन लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को ही एक मूर्त अभिव्यक्ति है। इसके फलस्वरूप विकास योजनाओं में ग्रामीण जनता की रूचि निरन्तर बढ़ रही है तथा वह आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढी है। सामुदायिक विकास योजना का यह वह महत्वपूर्ण प्रभाव है जिसे प्रचार के किसी भी साधन अथवा प्रशिक्षण की किसी दूसरी योजना के द्वारा इतना सफल नहीं बनाया जा सकता है।

4.5 आर्थिक विकास

आर्थिक विकास के क्षेत्र में तो सामुदायिक विकास योजना ने ग्रामीण समुदाय के परम्परागत स्वरूप को पूर्णतया बदल दिया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को न केवल उत्तम

किस्म के खेती के उपकरण, बीज, रासायनिक खाद तथा कीटनाशक दवाइयों का वितरण किया गया बल्कि वर्षा पर खेती की निर्भरता को कम करने के लिए कुओं का निर्माण, नलकूपों की व्यवस्था तथा नहरें बनाने के कार्य को भी विशेष महत्व दिया गया। ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए भूमिहीन मजदूरों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसरों की व्यवस्था की गई, भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू किया गया तथा अनाज को मण्डियों तक ले जाने के लिए नई सडकों का निर्माण किया गया। सहायक व्यवसाय के रूप में मछली पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन तथा कुटीर उद्योग धन्धों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया जिससे ग्रामीण अपने अतिरिक्त समय से उपयोगी रम कर सकें। इन सभी प्रत्यनों के फलस्वरूप ग्रामीण जनता के रहन–सहन के स्तर में पहले की अपेक्षा बहुत अधिक सुधार हो सका है।

4.6 मनोवृत्तियों में परिवर्तन

भारत में सैकड़ों वर्षो से उदासीनता और शोषण के वातावरण में पलते हुए ग्रामीण समुदाय के जीवन में तब तक कोई सुधार सम्भव नहीं था जब तक उनके दृष्टिकोण, विचारधारा या वास्तविक अर्थो में उनकी मानसिकता में कोई परिवर्तन न किया जाता। सामुदायिक विकास योजना के फलस्वरूप विभिन्न विकास कार्यक्रमों में जैसे–जैसे ग्रामीणों का सहभाग बढता गया, उसी अनुपात में उनमें हीनता की भावना भी कम होती गयी। आज एक औसत ग्रामीण स्वयं को किसी वर्ग या व्यक्ति के अधीन मानकर कोई शोषण सहन करने के लिए तैयार नहीं है। उसमें आत्मनिर्भरता और स्वाभिान इस सीमा तक पहुंच चुका है कि वह अपने व्यवसाय और जीवन को किसी से नीचा नही मानता। इस योजना ने ग्रामीणों के विश्वास को बढ़ाया है उन्हें अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने का अवसर प्रदान किया है तथा उनमें एक ऐसी नव–चेतना उत्पन्न की है जो भविष्य में उनके जीवन को कहीं अधिक सूखी एवं समृद्ध बना सकती है।

4.7 स्वास्थ्य तथा सफाई

अतीत की अपेक्षा ग्रामीण अपने स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के प्रति आज कही अधिक जागरूक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रभाव से अब गन्दे तालाबों की जगह पीने के लिए स्वच्छ पानी का उपयोग किया जाता है। सड़कों को गन्दा करने की अपेक्षा शौचालयों के उपयोग को अच्छा समझा जाने लगा है। संक्रामक बिमारियों को देवी प्रकोप न समझकर ग्रामीण जनता चिकित्सक तथा बच्चे की देखभाल में अधिक रूचि लेने लगी है। तथा परिवार नियोजन के प्रति ग्रामीणों के उत्साह में भी वृद्धि हुई है। इस योजना का ही यह प्रभाव है कि गांवों में मृत्यु दर घटी है, जीवन अवधि में वृद्धि हुई है। परिवार का औसत आकार घट गया है, तथा स्वास्थ्य का सामान्य स्तर पहले की तुलना में कहीं अधिक

सन्तोषपद दिखायी देता है। इसी सुधार के फलस्वरूप ग्रामीणों की कार्यक्षमता में भी कल्पनातीत वृद्धि हुई है।

4.8 साक्षरता में वृद्धि

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भारत की ग्रामीण जनसंख्या में तेजी से साक्षरता का बढ़ना है। सामुदायिक विकास खण्डों की सहायता से आज गांव–गांव में शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है। प्रौढ स्त्री–पुरूषों को साक्षर बनाने के लिए विशेष केन्द्रों की स्थापना की गयी है। पुस्तकालयों तथा वाचनालयों के द्वारा बाह्य जगत से ग्रामीणों को जोड़ा गया है। तथा साक्षरता अभियान की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए समय–समय पर प्रत्यन किये जाते हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 20 वर्षो में ग्रामीण साक्षरता में 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

4.9 संप्रेषण द्वारा चेतना

गांवों में आज सम्प्रेषण अथवा संचार की सुविधाएं कहीं अधिक उन्नत स्थिति में हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नयी सड़कों का निर्माण पुरानी सड़कों की मरम्मत, मनोरंजन के लिए रेडियो, हाटों, खेलों तथा मेलों की व्यवस्था आदि के कारण ग्रामीणों को अन्य समूह से सम्पर्क में आने का अवसर मिला। नये बाजारों में ज्ञान तथा सरकार की योजनाओं से परिचित हो जाने के कारण उन्हें अपने श्रम का अधिक अच्छा मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिला तथा अपनी समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण धीरे–धीरे बदलने लगा। संचार की सुविधाओं के प्रभाव से ही ग्रामीण जीवन में सामाजिक समस्याओं, रूढ़ियों अन्धविश्वासों और स्वार्थ समूह के प्रति शोषण का प्रभाव दिन–प्रतिदिन कम होता जा रहा है।

4.10 ग्रामीण नेतृत्व का विकास

ग्रामीण समुदाय में नेतृत्व की एक नया रूप देने में भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का महत्व कम नहीं है। वास्तव में नेतृत्व का प्रत्यक्ष सम्बन्ध सामूहिक क्रियाओं में व्यक्ति के अधिकाधिक सहभाग से है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम और खण्ड स्तर पर अधिक कुशल और और उत्साही व्यक्तियों को अपने समूह को नेतृत्व देने का अवसर मिला, नवीन योजनाओं के क्रियान्वयन में नेतृत्व के अवसरों में वृद्धि हुई तथा ग्रामवासियों के जीवन स्तर में सुधार होने के साथ ही उन्होंने नेतृत्व की आवश्यकता तथा इसके महत्व को महसूस किया। आज ग्रामीणों द्वारा अपने उचित अधिकारों की मांग, शोषण के विरूद्ध संगठित प्रदर्शनों का आयोजन तथा समूह कल्याण के प्रति बढ़ती हुई रूचि जैसे–विशेषताएं ग्रामीण नेतृत्व के विकासशील स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है।

4.11 मातृत्व तथा शिशु कल्याण

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप ग्रामीण समुदाय में स्त्रियों, माताओं तथा बच्चों के जीवन में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ग्राम सेविकाएं, ग्रामीण महिलाओं को घर–घर जाकर स्वच्छता, पोषण, स्वास्थ्य, बच्चों की देख–रेख तथा भोजन के पौष्टिक तत्वों की जानकारी देती है। जिससे ग्रामीण महिलाओं के दृष्टिकोण में अब काफी परिवर्तन आ गया है। स्वयं गांव में ही आयोजित विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से स्त्रियों ने अपने दैनिक जीवन, रहन–सहन तथा दूसरों समूहों से सम्बन्धों का पुनर्मूल्याकन करना आरम्भ कर दिया है। ग्रामों में महिला मण्उलों की स्थापना ने स्त्रियों में भी नेतृत्व की कुशलता उत्पन्न की है। सामुदायिक विकास से सम्बन्धित कल्याण कार्यक्रमों के प्रभाव से ग्रामीण स्त्रियों का शोषण कम होता जा रहा है। स्त्रियां अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही हैं, उनके स्वास्थ्य सतर में सुधार हुआ है तथा बच्चों की देख–रेख में अब पहले से अधिक कुशल हो चुकी है।

4.12 सार संक्षेप

हाल में ही मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में हुए अनेक ग्रामीण सर्वेक्षणों से ये तथ्य प्रकाश में आये कि ग्रामीण समुदाय में अनुसूचित जातियों की स्थिति में भी निरन्तर सुधार हो रहा है। कुछ संकीर्ण और धर्मान्ध प्रकृति के स्वार्थी व्यक्तियों को छोडकर अधिकांश ग्रामीण जातिगत भेदभाव के खोखलेपन को समझने लगे हैं। ग्रामीणों से भाग्यवादिता के स्थान पर श्रम के प्रति निष्ठा बढ़ी है तथा जीवन के प्रति ग्रामीणों की आकाक्षाएं एंव मनोवृत्तियां प्रगतिशील दशा में आगे बढ़ रही है ये सभी अनुभवसिद्ध निष्कर्ष ग्रामीण जीवन पर सामुदायिक कार्यक्रम के प्रभावों को स्पष्ट कर देते हैं।

4.13 अभ्यास प्रश्न

1. सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया को समझाईये ।
2. ग्रामीण जीवन पर सामुदायिक योजना के प्रभाव का वणर्न कीजिये।
3. लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का आशय क्या है।
4. आर्थिक विकास की प्रासंगिकता समझाईये।
5. मनोवृत्तियों में परिवर्तन को समझाईये ।
6. स्वास्थ्य तथा सफाई की प्रासंगिकता का वणर्न कीजिये।
7. साक्षरता में वृद्धि की अवधारणा क्या है।
8. संप्रेषण द्वारा चेतना के महत्व को समझाईये।
9. ग्रामीण नेतृत्व का विकास के विकास पर टिप्पणी कीजिये।

10. मातृत्व तथा शिशु कल्याण की सामुदायिक विकास के परिप्रेक्ष में प्रासंगिकता बताईये।

4.14 पारिभाषिक शब्दावली

ग्रामीण नेतृत्व	Rural Leadership	मातृत्व तथा शिशु कल्याण	Mother & Child Welfare
लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण	Democratic Decentralisation	सामुदायिक विकास मंत्रालय	Ministry of Community Development
आर्थिक विकास	Economic Development	साक्षरता	Leteracy

4.15 संदर्भ ग्रन्थ सूची

सिंह,मिश्रा सुरेन्द्र पी.डी., समाज कार्य इतिहास दर्शन एवं प्रणालियॉ, न्यू रायल पब्लिकेशंस, वर्ष1997

सिद्दीकी एच.वाई, वर्किंग विद कम्युनिटी, न्यू डेल्ही, हरनाम पब्लिकेशंस, वर्ष 1984।

खिन्दुका,एस.के.सोशलवर्क इन इण्डिया,सर्वोदय साहित्य समाज, राजस्थान, वर्ष 1962।

इकाई–5

सामुदायिक संगठन में निपुणता

Skills in Community Organisation

इकाई की रूपरेखा

5.1 परिचय
5.2 उद्देश्य
5.3 सामुदायिक संगठन में निपुणता का आशय
5.3.1 साक्षात्कार और परामर्श में निपुणता
5.3.2 अभिलेखन एवं प्रतिवेदन में निपुणता
5.3.3 अनुसंधान की विधियों में निपुणता
5.3.4 नीति निर्धारण
5.3.5 कार्यक्रम नियोजन, कल्याण साधनों का न्यायोचित आवंटन
5.3.6 कमेटी संगठन, प्रशासकीय कार्यविधियों में निपुणता
5.3.7 सामाजिक नीति के निर्धारण में विधायिक स्तरों का ज्ञान
5.4 सामुदायिक संगठन में कार्यकर्ता की भूमिका
5.4.1 कार्यकर्ता एक पथ प्रदर्शक के रूप में
5.4.2 एक सामर्थ्यदाता के रूप में
5.4.3 एक विशेषज्ञ के रूप में
5.4.4 एक सामाजिक चिकित्सक के रूप में
5.5 सार संक्षेप
5.6 अभ्यास प्रश्न
5.7 पारिभाषिक शब्दावली
5.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची

5.1 परिचय

सामुदायिक संगठन समाज कार्य की एक प्रणाली है। एक प्रणाली का अर्थ ज्ञान और सिद्धान्तों का योग ही नही है। प्रणाली का अर्थ ज्ञान और सिद्धान्तों का एक क्रियाकलाप में इस प्रकार प्रयोग कि उससे परिवर्तन हो जाए। यही निपुणता कहलाती है। इसे वर्जीनिया रॉबिन्सन (Virginia Robinson) ने किसी विशेष पदार्थ में परिवर्तन की एक प्रक्रिया को इस

प्रकार गतिमान करने और उसे नियन्त्रण में रखने की क्षमता कहा है जिससे परिवर्तन जो पदार्थ में आता है वह उस पदार्थ की योग्यता और गुणता के प्रयोग से प्रभावित हो।

5.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप :–

- सामुदायिक संगठन में निपुणता का आशय समझ सकेगें।
- साक्षात्कार और परामर्श में निपुणता को ज्ञात कर सकेगें।
- अभिलेखन एवं प्रतिवेदन में निपुणता को जान सकेगें।
- अनुसंधान की विधियों में निपुणता की व्याख्या कर सकेगें।
- नीति निर्धारण कर सकेगें।
- कार्यक्रम नियोजन, कल्याण साधनों का न्यायोचित आवंटन की प्रक्रिया को जान सकेगें।
- कमेटी संगठन, प्रशासकीय कार्यविधियों में निपुणता का विवरण कर सकेगें।
- सामाजिक नीति के निर्धारण में विधायिक स्तरों का ज्ञान प्राप्त कर सकेगें।
- सामुदायिक संगठन में कार्यकर्ता की भूमिका को जान सकेगें।
- कार्यकर्ता की एक पथ प्रदर्शक के रूप में भूमिका का वर्णन कर सकेगें।
- एक सामर्थ्यदाता के रूप में कार्यकर्ता की भूमिका का वर्णन कर सकेगें।
- एक विशेषज्ञ के रूप में कार्यकर्ता की भूमिका का वर्णन कर सकेगें।
- एक सामाजिक चिकित्सक के रूप में कार्यकर्ता की भूमिका का वर्णन कर सकेगें।

5.3 सामुदायिक संगठन में निपुणता का आशय

जॉनसन के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय की अपनी–अपनी निपुणताएँ होती हैं। निपुणताओं का मानकीकरण नहीं किया जा सकता। निपुणता में कार्यकर्त्ता और विषय की क्षमता सम्मिलित होती है उसके अनुसार क्षमता निम्न तरीकों से सामने आती है:

1. जिस तरीके से सौहार्द या घनिष्ठता स्थापित की जाती है:
2. जिस तरीके से व्यक्तियों की अपनी भावनाओं को निर्मुक्त करने में और प्रतिरोध पर काबू पाने में सहायता दी जाती है:
3. जिसे तरीके से व्यक्तियों को वैयत्तिक एवं सामाजिक प्रबोध का विकास करने और वांछित सामाजिक उद्देश्यों के लिये संप्रेरित किया जाता है;
4. जिस तरीके से व्यक्तियों को अपने विचार स्पष्ट करने और अपने उद्देश्यों की व्याख्या करने में सहायता दी जाती है;

5. जिस तरीके से समाज कल्याण सम्बन्धी आवश्यकताओं, साधनों और कार्यक्रम का ज्ञान व्यक्तियों को उनके प्रयोग के लिये दिया जाता है;
6. जिस तरीके से विचारों की एकता और एकीकरण प्रयास के आधार के रूप में प्राप्त किया जाता है; और
7. जिस तरीके के उद्देश्यों की ओर गति को बनाये रखा जाता है।

सामुदायिक संगठन में निपुणताओं और कार्यविधियों का उल्लेख करते हुए राव ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता से कार्य करने के लिए सामुदायिक कार्यकर्त्ता को समाज कार्य की मौलिक प्रणालियों में अपने प्रशिक्षण पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है जिसमें उसकी मनोवृतियॉ, ज्ञान और प्रबोध और अभ्यास सम्मिलित होते है। सामुदायिक संगठन में कार्यकर्त्ता के ज्ञान का आधार सामुदायिक प्रक्रियाओं जैसे सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक स्तरीकरण, नेतृत्व, सामूहिक गतिकी आदि पर होता है। सबसे अधिक महत्पूर्ण सामाजिक अन्तःक्रियाओं (सकारात्मक एवं नकारात्मक) और सामाजिक नियन्त्रण के साधनों का ज्ञान होता है। राव ने जॉनसन का हवाला देते हुए सामुदायिक संगठन कार्यकर्त्ता में कई प्रकार की निपुणताओं का होना अनिवार्य बताया है जैसे (1) व्यक्तियों, समूहों और समुदाय के आन्तरिक सम्बन्धों का निर्माण और उन्हें बनाये रखने की योग्यता; (2) उर्पयुक्त समय को देखकर व्यावसायिक निर्णय के प्रयोग की मौलिक निपुणता; (3) समुदाय में रूचि के कम होने या समाप्त होने के प्रति संवेदनशीलता (4) समुदाय के कल्याण सम्बन्धी योजना को कब आरम्भ किया जाए और कब प्रयास को रोका जाए, इसकी सूझ–बूझ; और (5) सामान्य उद्देश्यों के लिये सामूहिक चिंतन को विकसित करने और उसका प्रयोग करने में निपुणताओं में राव ने जिनको माना है वह है:

5.3.1 साक्षात्कार और परामर्श में निपुणता

एक समाज कार्यकर्ता को साक्षात्कार एवं परामर्श सम्बन्धी समस्त जानकारी होनी चाहिये ताकि वह साक्षात्कार के दौरान उन सभी पहलुओं को शामिल कर सकें जो उस कार्य हेतु अति आवश्यक है और जो उद्देश्य पूर्ति हेतु सहजता प्रदान करते हैं। एक सामुदायिक कार्यकर्ता को साक्षात्कार की निपुणताओं एवं कौशलों का बड़ी निपुणता से पालन करना चाहिए। समुदाय की आवश्यकताओं एवं समस्याओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। परामर्श के दौरान निष्पक्षता से कार्य संपादित करना चाहिये। कि कुशल परामर्शदाता सदैव ही परामर्श की कुशलताओं का प्रयोग करते हुए कार्य करता है।

5.3.2 अभिलेखन एवं प्रतिवेदन में निपुणता

प्रत्येक कार्य की कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका अभिलेखन कितने प्रभावी ढ़ग से एवं कुशाग्रता से किया गया है। अभिलेखन की प्रभाविकता से ही कार्य संपादन एवं सार्थकता प्राप्त की जा सकती है।एक कुशल अभिलेखनकर्ता को ,अभिलेखन के

दौरान समाज कार्य की निपुणताओं का पूर्ण ज्ञान आवश्यक होता है जिसके द्वारा अभिलेखन को प्रभावी ढ़ग से सम्पादित किया जा सकता है।अभिलेखन एवं प्रतिवेदन की निपुणता से एक समाज कार्य कर्ता अपने कार्यकुशलताओं का प्रयोग करते हुए कार्य प्रतिपादित करता है।

5.3.3 अनुसंधान की विधियों में निपुणता

आंकडे एकत्रित करते समय समाज कार्य कर्ता अनुसंधान की प्रविधियों का प्रयोग करता है जिससे उसे कार्य क्षेत्र से सम्बधित तथ्यपरक एवं वास्तविक आंकडे एकत्रित किये जा। प्राथमिक एवं द्वितीय आंकडों के संग्रहण में अनुसंधान कर्ता को क्षेत्र से सम्बन्धित आंकड़ों के संग्रहण में प्राथमिक एवं द्वितीय विधियों का प्रयोग करता है।जो कि आगे चलकर समस्या समाधान में प्रभावकारी भूमिका निभातें है। अतः एक समाज कार्य कर्ता को आंकडों के संग्रहण के दौरान अनुसंधान की प्रविधियों का प्रयोग करते हुए तथ्यों का संग्रहण करना चाहिये जो कि वास्तविक अनुसंधान में सहायक सिद्द होते है।

5.3.4 नीति निर्धारण

एक समाज कार्य कर्ता को नीति निर्धारण के समय वस्तुनिष्ठता के साथ कार्य सम्पादित करना चाहिये क्योंकि एक सामाजिक कार्य कर्ता नीति निर्धारण के समय समस्या के समस्त पहलुओं के ज्ञान के पश्चात ही नीति का निर्धारण करता है जोकि उसे समस्या समाधान में सहायक होती है।

5.3.5 कार्यक्रम नियोजन, कल्याण साधनों का न्यायोचित आवंटन

कार्यक्रम नियोजन में एक सामाजिक कार्य कर्ता का यह सर्वोपरि दायित्व होता है कि वह कार्यक्रम नियोजन के समय बिना भेदभाव के कल्याण के साधनों का न्यायोचित आवंटन करें ताकि लाभ का अंश सभी में समान रूप से वितरित हो सके। समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम नियोजन किया जाना चाहिये।

5.3.6 कमेटी संगठन, प्रशासकीय कार्यविधियों में निपुणता

एक सामाजिक कार्य कर्ता को सामुदायिक संगठन की प्रभाविकता को बनाए रखने के लिए एवं कल्याण के साधनों का न्यायोचित आवंटन करने हेतु प्रशासकीय कार्यविधियों में निपुणता होना अति आवश्यक है जिससे कि एक सामाजिक कार्य कर्ता सरकारी योजनाओं से सामुदायिक जन को लाभान्वित करा सके एवं सरकारी योजनाओं का सामुदायिक स्तर पर समानता से वितरण करा सकने में सार्मथ्यदाता की भूमिका निभाना तथा लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराना ताकि वे अपना लाभ सुनिश्चत कर सके।

5.3.7 सामाजिक नीति के निर्धारण में विधायिक स्तरों का ज्ञान

कई बार देखने में आता है कि सामुदायिक स्तर पर योजनाओं के लाभान्वितों को लाभ का पूरा अंश नहीं मिल पाता है एवं स्थानीय स्तर पर अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार व्याप्त रहते है

जिससे लाभ सही रूप में आम जन तक नहीं पहुँच पाता है अतः ऐसे में यदि एक सामुदायिक कार्य कर्ता को योजनाओं की पूर्ण जानकारी एवं विधायिक स्तरों का ज्ञान होगा तो सामुदायिक स्तर पर योजनाओं के लाभ को आम हित तक सुनिश्ति किया जा सकेगा।

5.4 सामुदायिक संगठन में कार्यकर्ता की भूमिका

सभी समाज कार्य की भाँति सामुदायिक संगठन कार्य में भी सम्बन्धों का कुशलतापूर्वक प्रयोग एक प्रमुख उपकरण के रूप में किया जाता है जिससे कार्यकर्ता अधिक संतोषजनक रहन–सहन की प्राप्ति के लिए अपने आप का चतन और नियत्रित प्रयोग सुदाय की सहायता के लिए करता है। व्यक्तिगत समाज कार्य कार्यकर्ता और समूह समाज कार्यकर्ता की भाँति उसे भी अपने आपक ाक और पनी सम्प्रेरणाओं का ज्ञान होना चाहिए और नियत्रंण और जोड–तोड़ की भावनाओं का ज्ञान होना चाहिए। उन परिस्थितियों में जब समुदाय में उचच स्तरीय सरकारी और निजी संस्थाएँहों और उनमें समन्वय हो तो कार्यकर्ता में प्रशासन, वित्त, कमेटी कार्य नियोजान और नीति को कार्य रूप देने की निपुणता और अनुभव भी होना चाहिए।

कार्यकर्ता समुदाय को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता देता है उसे पूरे समुदाय या उस भाग, जिसमें उसे कार्य करने को कहा गया है, का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसे अपनी और समुदाय क प्राधिकार की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। से इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार व्यक्तियों और समूहों क साथ कार्य किया जाता है और उसके कार्य करने का क्या उद्देश्य है। वह व्यक्तियों और उनके औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों को साथ मिलने और आपस में सहयोग करने मे सहायता देता है। सामुदायिक संगठन में विभिन्न प्रकर के क्रियाकलाप और विधियाँ सम्मिलित हैं। इसमें कई प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। इन कार्यो को सफलता से करने के लिये कार्यकर्ता को कई प्रकार ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। कार्यकर्ता के व्यक्तिगत गुण और विशेषताएँ, सामान्य शिक्षा और अनुभव मिलकर उसे समुदाय में अपनी भूमिका निभाने में सहायता करते हैं। डनहम के अनुसार कार्यकर्ता को अपनी भूमिका को सफलता से निभाने के लिये निम्नलिखित बातों की आवश्कता पड़ती है –

1. व्यक्तियों से निपटने के लिये अनुभव की आवश्यकता।
2. समाज कल्याण क्षेत्र और स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के समाज कल्याण साधनों का अच्छा कार्यात्मक ज्ञान ।
3. सामुदायिक संगठन का प्रबोध और कार्यात्मक ज्ञान सामुदायिक संगठन के अभ्यास में निपुणता ।
4. व्यक्तिगत गुण जैसे–ईमानदारी,हिम्मत,सवेगात्मक संतुलन एवं समायोजन कल्पना, वस्तुनिष्ठता आदि।

5. सामुदायिक संगठन का एक ठोस दर्शनशास्त्र।

रौस ने सामुदायिक संगठन में व्यावसायिक कार्यकर्ता की चार प्रमुख भूमिकाएँ बतायी हैं –

1. कार्यकर्ता एक पथ प्रदर्शक के रूप में
2. एक सामर्थ्यदाता के रूप में
3. एक विशेषज्ञ के रूप में
4. एक सामाजिक चिकित्सक के रूप में

5.4.1 कार्यकर्ता एक पथ प्रदर्शक के रूप में :सामुदायिक संगठन में व्यावसायिक कार्यकर्ता एक पथ प्रदर्शक के रूप में प्राथमिक भूमिका निभाता हुआ समुदाय को अपने उद्देश्यों को निश्चित करने और प्राप्त करने में साधनों का पता लगाने में सहायता करता है। समुदाय को अपने विकास को खुद निर्धारित की गयी दिशा की ओर बढ़ने में सहायता देता है। अपने ज्ञान और भूतपूर्व अनुभव के आधार पर समुदाय को अपनी दिशा को चयन करने में सहायता देता है। वह समुदाय को अपने निजी स्वार्थो के लिए उपयोग नहीं करता और न ही अपने स्वार्थ के लिए समुदाय में जोड़–तोड़ करता है। **पथ प्रदर्शक के रूप में उसकी भूमिका निम्नलिखित दृष्टिकोण लिये होती है।**

क) पहल : पथ प्रदर्शक की भूमिका में हस्तक्षेप न करने की नीति नहीं होती। यदि कोई समुदाय सहायता लेने खुद नहीं आता तो कार्यकर्ता खुद समुदाय के पा पहुचने में पहल करता है, वहस् थानीयय पहल को प्रोत्साहन देता है पर एक निष्क्रिय व्यक्ति नहीं बना रहता। कुछ परिस्थितियों में वह समुदाय में असन्तोष की भावना लाने में पहल करता है। जिससे समुदाय की अवांछनीय दशाओं में सुधार लाया जा सकें।

ख) वस्तुनिष्ठा: वह समुदाय की दशाओं के प्रति वस्तुनिष्ठता का भाव रखता है।

ग) समुदाय से तादात्मीकरण: वह समुदाय के किसी एक भाग के साथ नहीं मिलता। वह समूह की अपेक्षा सम्पूर्ण समुदाय में अपने आपको सम्मिलित करता है और इस प्रकर किसी एक भाग या किसी एक समूह या वर्ग के चुंगल में नहीं फंसता।

घ) भूमिका की स्वीकृति: कार्यकर्ता अपनी भूमिका को स्वीकार करता है और उसे आसानी और सुखद भावना से निभाता है।

ड.) भूमिका के अर्थनिरूपण : कार्यकर्ता अपनी भूमिका के अर्थ स्पष्ट करता है जिससे वह समुदाय द्वारा ठीक से समझी जा सकें।

5.4.2 एक सामर्थ्यदाता के रूप में : सामर्थ्यदाता के रूप में कार्यकर्ता की भूमिका केवल संगठन की प्रक्रिया को सफल बनाना है। परन्तु यह भूमिक इतनी ही विस्तृत एव जटिल होती है जितनी कोई परिस्थिति जटिल होती है। यह भूमिका निम्नलिखित दृष्टिकोण लिए होती हे।

क) असंतोष को केन्द्रित करना : कार्यकर्ता समुदाय की दशाओं के प्रति असंतोष को जागृत करके और उस केन्द्रित करने में समुदाय की सहायता करता है। वह समुदाय के सदस्यों को अपने भीतर झांकने में और सामुदायिक जीवन के विषय में अपनी गहन भावनओ की खोज करने में सहायता देत है और उन्हें इन भावनाओं के स्फुटीकरण में सहायता देता है। जिन बातों के विषय में घोर मतभेद होता है उनका स्पष्टीकरण करता है और समुदाय में सहयोग की भावना का विकास करने में सहायता देता है।

ख) संगठन को प्रोत्साहित करना: बहुत से समुदाय ऐसे होते हैं जो आसानी से संगठित होने की दिशा में नहीं चल पाते। नगरीय समुदायों में उदासीनता का एक सामाजिक दोष होता है और इसके साथ शिथिलता का तत्व होता है। इसलिए कार्यकर्ता का समुदाय में धैर्य के साथ संगठन लाने में सहायता करनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार के समुदायों में सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया बहुत धीमे–धीमे होती है।

ग) अच्छे अर्न्तवयैक्तिक सम्बन्धों को बढ़ावा देना: कार्यकर्ता समुदाय के सदस्यों के अच्छे अर्न्तवैयक्तिक सम्बन्धों के प्रति संतुष्टि की मात्रा को बढ़ाने और सहकारिता की भावना में वृद्धि करने में सहायता देता है। सामुदायिक संगठन के प्रथम चरणो में कार्यकर्ता ही विभिन्न समूहों के बीच एक मात्र कड़ी के रूप में कार्य करता है और विभिन्न समूहों के आपस में मिलने का माध्यम बनता है।

घ) सामान्य उद्देश्यों पर बल : व्यावसायिक कार्यकर्ता समुदायिक साधनां और प्रभावशाली नियोजन का विकास करने के लिए सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति पर बल देता है। एक सामर्थदाता के रूप में कार्यकर्ता की भूमिका समुदाय के नेताओं के माध्यम से समुदाय को अपनी समर्थताओं की नियुक्ति में सहायता देना है। वह व्यक्तियों को सामाकि समस्याओं के विषय में अपनी चिन्ता व्यक्त करने का अवसर देता है। समुदाय को एकत्र करता ह और प्रयासा में सहाकारिता लाकर संतुष्टि प्राप्त करने में सहायता देता है। वह खुद समुदाय का नेतृत्व नहीं करता। वह केवल स्थानीय प्रयास को ही प्रोत्साहन देता है। वह समुदाय में संगठन और क्रिया या प्रयास करने का उत्तरदायित्व नहीं लेता वरन् समुदाय के सदस्य जो इसका उत्तरदायित्व ग्रहण करते है उन्हें उत्साह और सहयोग देता है।

5.4.3 कार्यकर्ता एक विशेषज्ञ के रूप में : एक विशेषज्ञ के रूप में कार्यकर्ता समुदाय की सूचना और अनुभव के आधार पर परामर्श देता है। विशेषज्ञ के रूप में वह अनुसंधान के निष्कर्ष या अनुसंधान पर आधारित सूचनाएँ, प्राविधिक अनुभव, साधन सामग्री, कार्य प्रणालियों के विषय में परामर्श आदि उपलब्ध करता है। वह समुदाय को उससे सम्बन्धित तथ्यों और साधनों का ज्ञान कराता है। समुदाय को क्या करना और क्या नही करना चाहिए इस सम्बन्धी सिफारिश नहीं करता बल्कि ऐसी सूचना और सामग्री उपलब्ध कराता

है जिसके आधार पर समुदाय खुद निर्णय ले कि उसे क्या करना चाहिए। एक विशेषज्ञ के रूप में वह सामाजिक तथ्यों को समुदाय के सामने रखता है। कार्यकर्ता की यह भूमिका निम्नलिखित दृष्टिकोण लिये होती है।

क. सामुदायिक निदान : कार्यकर्ता समुदाय के विश्लेषण एवं निदान में एक विशेषज्ञ के रूप में सहायता देता है। बहुत से समुदाय अपनी संरचना और संगठन का ज्ञान नहीं रखते। कार्यकर्ता समुदाय की विशेषताओं को समुदाय को बताता है।

ख) अनुसंधान निपुणता : कार्यकर्ता को अनुसंधान की विधियों में निपुण होना चाहिये स्वतन्त्र रूप से समुदाय के अध्ययन और अनुसंधान नीति के प्रतिपादन के योग्य होना चाहिए।

ग. दूसरे समुदाय के विषय में जानकारी : कार्यकर्ता को अन्य समुदायों में हुए अध्ययन, अनुसंधान और प्रयोगात्मक कार्यो का पूरा ज्ञान होना चाहिये । इन पर आधारित उपयोगी सिद्धान्तों के विषय में उसे समुदाय को जानकारी देनी चाहिए जिससे वह अन्य समुदायों के अनुभवों से लाभाविन्त हो सके और उन गलतियों से बच सके जो दूसरे समुदायों ने की हो।

घ) प्रणालियों या विधियों सम्बन्धी परामर्श : कार्यकर्ता को संगठन और इसकी कार्यविधियों का विशेष ज्ञान (expert knowledge) होता है। वह सामुदाकि संगठन के पहले चरणों में समुदाय के सभी प्रमुख समूहों को प्रतिनिधत्व देने की सलाह दे सकता है।

ड.) प्राविधिक सूचना : कार्यकर्ता को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए जिससे वह तकनीकी योजनाओं में साधन सामग्री समुदाय को दे सके। अर्थात् से ज्ञान होना चाहिये कि कौन सी सामग्री या पदार्थ जो परियोजना के लिए आवश्यक है, कहा और कैसे मिल सकते है। उसे सरकारी विभागों, निजी संस्थाओं, अर्न्तराष्ट्रीय संगठनों और विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त करन के पूरे तरीकों का ज्ञान होना चाहिए।

य) मूल्याकंन : सामुदायिक संगठन में जो भी सामूहिक कार्य किये जाते हैं उनका मूल्यांकन समुदाय के सामने रखने की योग्यता उसमें होनी चाहिए।

5.4.4 कार्यकर्ता एक सामाजिक चिकित्सक के रूप में: समुदाय में कुछ व्यावसायिक कार्यकर्ता एक सामाजिक चिकित्स के रूप में कार्य करते हैं। चिकित्सा का अर्थ यहाँ सामुदायिक चिकित्सा से है। यह चिकित्सा समुदाय के स्त पर होती है। इसका अर्थ सम्पूर्ण समुदाय का निदान और उपचार है। कार्यकर्ता उन सामाजिक शक्तियों एवं निषेध विचारें का पता लगाता है जो समुदाय में विघटन लाते है और संघर्ष उत्पन्न करते है। एक सामाजिक चिकित्सक के रूप में वह समुदाय को यह बताता है कि वह संघर्ष को किस प्रकार दूर करे और किस प्रकार समुदाय में एकता और अनुरूपता उत्पन्न करें। समुदाय के

निदान के लिए उसे सम्पूर्ण समुदाय या उसके विभिन्न भागों की उत्पत्ति और इतिहास का ज्ञान होना चाहिये तथा उसे समुदाय की प्रकृति और विशेषताओं का ज्ञान होना चाहियें।

5.5 सार संक्षेप

सामुदायिक संगठन में कार्यकर्ता और सामाजिक चिकित्साकी विधियों में केवल मात्रा का ही अन्तर है। सामाजिक चिकित्सक अधिक गहन स्तर पर कार्य करता है अचेतन शक्तियों और अर्न्तवैयाक्तिक सम्बन्धों के अधिक सूक्ष्म और मौलिक स्तरों का कार्य करता है। एक साधारण कार्यकर्ता निदान और उपचार के क्षेत्र में जाने से डरता है क्योंकि ऐसी दशा में उसे अपने और समुदाय की आन्तरिक चिन्ताओं और संघर्षो से निपटाना पड़ सकता है जिसका प्रशिक्षण उसे न मिला हो, परन्तु उच्च स्तरीय संगठन में ही कार्यकर्त्ता इस प्रकार का कार्य करते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कार्यकर्त्ता अपनी इन भूमिकाओं के सम्पादन में समुदाय में आत्म–विश्वास, आत्म–निर्देशन और आत्म–निर्भरता का विकास करता है। उसे अपना कार्यक्रम स्वयं बनाने, स्वयं निर्णय लेने और सहकारिता के आधार पर संयुक्त सामुदायिक प्रयासकरने में सहाता देता है। वह सामुदायिक नेतृत्व नहीं ग्रहण करता वरन् समुदाय के सदस्यों में ही नेतृत्व की योग्ता का विकास करता है।

5.6 अभ्यास प्रश्न

1. सामुदायिक संगठन में निपुणता का क्या आशय है ?
2. सामुदायिक कार्यकर्ता के साक्षात्कार और परामर्श में निपुणता को ज्ञात करने पर टिप्पणी कीजिये।
3. अभिलेखन एवं प्रतिवेदन में निपुणता की व्याख्या कीजिये।
4. अनुसंधान की विधियों में निपुणता की व्याख्या कीजिये।
5. कार्यक्रम नियोजन, कल्याण साधनों का न्यायोचित आवंटन की प्रक्रिया को समझाईये।
6. कमेटी संगठन, प्रशासकीय कार्यविधियों में निपुणता का विवरण प्रस्तुत कीजिये।
7. सामाजिक नीति के निर्धारण में विधायिक स्तरों का ज्ञात करने पर टिप्पणी कीजिये।
8. सामुदायिक संगठन में कार्यकर्ता की भूमिका को समझाईये।
9. कार्यकर्ता की एक पथ प्रदर्शक के रूप में भूमिका का वर्णन कीजिये।
10. एक सामर्थ्यदाता के रूप में कार्यकर्ता की भूमिका का वर्णन कीजिये।
11. एक विशेषज्ञ के रूप में कार्यकर्ता की भूमिका का वर्णन कीजिये।
12. एक सामाजिक चिकित्सक के रूप में कार्यकर्ता की भूमिका का वर्णन कीजिये।

5.7 पारिभाषिक शब्दावली

एक सामर्थ्यदाता	Worker As an	भूमिका की स्वीकृति	Acceptance of Role

के रूप में सामुदायिक निदान	Enabler	भूमिका के अर्थनिरूपण	Interpretation of Role
समुदाय से तादात्मीकरण	Identification with Community	वस्तुनिष्ठा	Objectivity

5.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची

सिंह,मिश्रा सुरेन्द्र पी.डी., समाज कार्य इतिहास दर्शन एवं प्रणालियॉ, न्यू रायल पब्लिकेशंस, वर्ष1997

सिद्दीकी एच.वाई, वर्किंग विद कम्युनिटी, न्यू डेल्ही, हरनाम पब्लिकेशंस, वर्ष 1984।

खिन्दुका,एस.के.सोशलवर्क इन इण्डिया,सर्वोदय साहित्य समाज, राजस्थान, वर्ष 1962।

इकाई–6

सामुदायिक संगठन के प्रारूप,आयाम एवं रणनीतियां
Approaches , Models & Strategies of Community Organisation

इकाई की रूपरेखा

6.1 परिचय
6.2 उद्देश्य
6.3 सामुदायिक संगठन का अर्थ
6.4 सामुदायिक संगठन के उपागम
6.5 सामुदायिक संगठन के प्रारूप
6.6 सामुदायिक संगठन की रणनीतियॉ
6.7 सार संक्षेप
6.8 अभ्यास प्रश्न
6.9 परिभाषिक शब्दावली
6.10 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

6.1 परिचय

वर्तमान सामुदायिक जीवन के अध्ययन व अवलोकन से ज्ञात होता है कि पूर्व सामुदायिक जीवन की अपेक्षा वर्तमान सामुदायिक जीवन से विभिन्न परिवर्तन हुये हैं जैसे कि औद्योगीकरण, नगरीकरण, यातायात और संचार की सुविधाओं इत्यादि प्रगति के कारण सामुदायिक जीवन में परिवर्तन सम्भव हुआ है। इन सब प्रगति के फलस्वरूप सामुदायिक जीवन में विघटन, असंतोष, अपराध, बाल अपराध इत्यादि सामाजिक समस्यायें हमारे वर्तमान समाज के सामने खड़ी हैं इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सामुदायिक संगठन का प्रादुर्भाव हुआ है।

6.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः–

- सामुदायिक संगठन का अर्थ एवं इसके उपागम के बारे में जान सकेंगे
- सामुदायिक संगठन के प्रारूपों के विषय में जानकारी कर सकेंगे।
- गठन की रणनीतियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी।

6.3 सामुदायिक संगठन

सामुदायिक संगठन कार्य में विघटित समुदाय के सदस्यों को आपस में एकत्रित कर सामुदायिक कल्याण एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं को खोज निकालने तथा उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक साधनों को एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है। सामुदायिक कार्यकर्ता का कार्य समुदायिक सदस्यों के साथ मिलकर उनकी अपनी समस्याओं का अध्ययन करने, अपनी आवश्यकताओं को महसूस करने, उपलब्ध साधनों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में, सामूहिक समस्या समाधान के लिये उचित रास्ता अपनाने, एक होकर संघ बनाने, आपसी सहयोग से योग्य नेता का चुनाव करने तथा वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्या का समाधान करने की योग्यता का विकास करना है। इस प्रकार सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में सामुदायिक समस्याओं के अभिकेन्द्रीकरण से लेकर उनके समाधान तक लिये गये समुचित कार्यों एवं चरणों को सम्मिलित किया जाता है।

सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज कार्यकर्ता अपनी अंर्तदृष्टि एवं निपुणता का प्रयोग करके समुदायों (भौगोलिक एवं कार्यात्मक) को अपनी समस्याओं को पहचानने एवं उनके समाधान हेतु कार्य करने में सहायता देता है। सामुदायिक संगठन का लक्ष्य समूहों और व्यक्तियों में ऐसे संबंधों को विकसित करना है जो एक साथ कार्य करने के योग्य बना सकें। ऐसी सुविधाओं एवं संस्थाओं का निर्माण और रखरखाव करने के योग्य बना सकें। जिसके माध्यम से वे अपने सरलतम मूल्यों को समुदाय के सभी सदस्यों के सामान्य कल्याण के लिए प्राप्त कर सकें।

6.4 सामुदायिक संगठन के उपागम

सामुदायिक संगठन में समुदायिक कल्याण के लिए विभिन्न अभिगमों का प्रयोग संगठनकर्ता द्वारा किया जाता है। सामुदायिक संगठन में अभिगमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्यकर्ता अपने वैज्ञानिक ज्ञान एवं निपुणताओं के माध्यम से सामुदायिक कल्याण एवं विकास के लिए विभिन्न उपागमों का प्रयोग बड़ी ही बुद्धिमत्तापूर्वक करता है।

1.वैयक्तिक उपागम : सामुदायिक संगटन में कार्यकर्ता वैयक्तिक उपागम का प्रयोग करते हुए समुदाय के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सामुदायिक विकास के लिए चयनित कर समुदाय के साथ मिलकर कार्य करता है।

2.सामुदायिक शिक्षा उपागम : सामुदायिक संगठन में संगठनकर्ता समुदाय के प्रत्येक सदस्य को उसकी आवश्यकताओं के प्रति जागरूक करता है तथा सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षित एवं प्रशिक्षित करता है। वह समुदाय के आंतरिक एवं वाह्य साधनों की जानकारी करता है साधनों के कार्यान्वयन के लिए सदस्यों की सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करता है।

3.आवश्यकता निर्धारण उपागम : सामुदायिक संगठनकर्ता प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकताओं को निर्धारण करता है तथा यह जानकारी करता है कि कौन सी आवश्यकता सदस्यों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है और उसके आधार पर सदस्यों की सहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए उनके लिए उपयुक्त कार्यक्रम का चयन सदस्यों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करता है।

4.विस्तृत उपागम : सामुदायिक संगठन में संगठनकर्ता व्यापक उपागमों का उपयोग कर पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। संगठनकर्ता को ऐसे कार्यक्रमों को अपनाना चाहिए जो समुदाय के सदस्यों के अनुरूप हों तथा संगठनकर्ता एक विस्तृत सोच को विकसित करके वैज्ञानकि ज्ञान एवं निपुणता के माध्यम से सामुदायिक विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ करता हैं।

5.सामाजिक क्रिया उपागम : समुदाय कार्यकर्ता समुदाय कल्याण के लिए सदस्यों और समुदाय के मध्य बेहतर तालमेल बनाने का प्रयास करता है। वह समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंतःक्रिया के माध्यम से विकास करने का प्रयास करता है। सामुदायिक संगठन में कार्यकर्ता सदस्यों में आत्म चेतना, जागरूकता तथा स्वस्थ जनमत तैयार करता है।

6.5 सामुदायिक संगठन के प्रारूप

समुदायिक संगठन के प्रारूप आवश्यक लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीति है क्योंकि समान विषयों को लेकर विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जा सकता है।

रॉठमैन जैक ने तीन प्रारूपों के द्वारा सामुदायिक संगठन के विषय में बताया है:–

1.स्थानीय विकास प्रारूप : स्थानीय विकास प्रारूप सामुदायिक संगठन की वह प्रक्रिया है जिसमें सामुदायिक कार्यकर्ता अथवा संस्था निश्चित क्षेत्र की जनसंख्या की आवश्यकताओं के लिए विभिन्न सेवाओं तथा कार्यक्रमों को बनाता है अथवा उनका प्रारूप तैयार करता है। इस प्रारूप में विभिन्न सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है तथा नवीन कार्यक्रमों तथा सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है।

2.सामाजिक नियोजन प्रारूप : इस प्रारूप में एक सामाजिक कार्यकर्ता या संस्था किसी शहर, कस्बे, गांव, नगर–पालिका, क्षेत्र तथा राज्य में उपलब्ध सेवाओं तथा आवश्यकताओं का विश्लेषण करते हैं तथा उन्हें और अधिक कुशलता से उपलब्ध कराने के लिए रूपरेखा तैयार करते हैं। जैसे–शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासीय, महिला सशक्तीकरण इत्यादि।

3.सामाजिक क्रिया प्रारूप : इस प्रारूप के अंतर्गत वे सेवाएं आती हैं जिसका संबंध उन विशेष मुद्दों से है जिसमें सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता है। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता तथा संस्था इन मुद्दों पर समुदाय के लोगों तथा समूहों को शिक्षा तथा प्रेरणा द्वारा सक्रिय करके जनमत का निर्माण करता है।

एच.वाई. सिद्दीकी के अनुसार तीन प्रारूप निम्नवत हैंः–

1.सामुदायिक विकास प्रारूप : इस प्रारूप में कार्यकर्ता का कार्य इस प्रकार की प्रक्रिया को उत्पन्न करना है जिससे समुदाय के व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु समुदाय प्रयास कर सके। इस प्रकार के प्रारूप में समुदाय के अन्दर एक स्वतः संगठित आंतरिक संगठन की परिकल्पना की आवश्यकता है। जो सामाजिक कार्यकर्ता सेवा प्रदान करने वाले अभिकरणों से सामुदायिक विकास की विधि को आत्मसात कर सके। जैसे–समुदाय में विद्यमान विभिन्न जातियों, असामाजिक समूहों, धार्मिक आस्थाओं को मानने वाले लोग, छोटे परिवार की मान्यता तथा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति दृष्टिकोण इत्यादि में विचार विमर्श करा सकते हैं। इस प्रारूप के चरण निम्नवत हैंः–

1.भौतिक क्षेत्र की पहचान स्थिति की परख करना।
2.समुदाय में प्रयोग।
3.समुदाय में विभिन्न वर्गो की आवश्यकता की पहचान करना।
4.कार्यात्मक नियोजन का प्रयोग।
5.संसाधन नियोजन का प्रयोग।
6.समुदाय में एक संगठनात्मक संजाल का विकास करना।
7.निश्चित समय सीमा में समाज कार्य द्वारा आंशिक रूप से बाहर निकालना।

2.व्यवस्था परिवर्तन प्रारूप : इस प्रकार के प्रारूप के अंतर्गत समाज में सेवाएं प्रदान करने वाली व्यवस्थायें शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवायोजन, पर्यावरण, संरक्षण, बाल विकास, महिला सशक्तीकरण। इस प्रारूप की यह मान्यता है कि व्यवस्था अनेक कारकों की वजह से कार्य करना बन्द कर देती है जैसे–जनसंख्या वृद्धि के कारण वस्तुओं की मांग में बढोत्तरी हो सकती है उसी प्रकार मूल्य में परिवर्तन के साथ उत्पादन की गुणवत्ता में परिवर्तन अवश्य होगा या फिर प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के साथ ही उत्पादन प्रक्रिया की विधियों में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है।उदाहरण के लिए भारत की नौंवी शिक्षा नीति के मसौदे में लिखा गया है। 1968 की शिक्षा नीति में जिन उद्देश्यों को निर्धारित किया गया था वे कार्ययोजना में परिणित नहीं हो पाई तथा वित्तीय एवं संगठनात्मक सहायता भी स्पष्ट नहीं थी परिणामस्वरूप गुणवत्ता वित्तीय प्रबन्ध जनसंख्या इत्यादि की अनेक समस्यायें बढ़ती गई। इसलिए आवश्यक है कि इन समस्याओं का अत्यंत सावधानी के साथ तुरंत समाधान हो।

6.6 सामुदायिक संगठन की रणनीतियॉ

समुदाय को संगठित करने एवं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियॉ अपनायी जाती हैंः'

1.समस्या पहचान की रणनीति : सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को समुदाय की समस्याओं का पूर्व ज्ञान होता है। जो समुदाय की सफलता के लिए समुदायिक सदस्यों के साथ रणनीति बनाकर उनकी समस्याओं का निराकरण करता है। सामुदायिक कार्यकर्ता सामुदायिक सदस्यों को प्रेरित करता है जिससे कि वे अपनी समस्या को स्वयं पहचान कर उसके समाधान हेतु रणनीति तैयार करते हैं।

2.जनसहभागिता की रणनीति : सामुदायिक कार्यकर्ता समुदाय के सदस्यों के मध्य इस प्रकार जनसहभागिता उत्पन्न करता है कि वे समुदाय के सभी कार्यक्रमों में मिलजुलकर सहभागिता करें तथा केन्द्रीकरण और विशेषज्ञता के कारण व्यक्ति भाग लेने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, योजना को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र भी प्रायः योजना स्तर से दूर होते हैं। यह सब सहभागिता में बाधायें हैं। इन्हें दूर किया जाना चाहिए। जब यह समझने का प्रयास किया जाता है कि किस सीमा तक समुदाय के सदस्य समुदाय की प्रकृति और उसकी विशेषताओं एवं समस्याओं को समझते हुए उनके समाधान के लिए प्रयासों में भाग लेने के उत्तरदायित्व को समझते हैं किस सीमा तक समुदाय संचार के माध्यम स्थापित करता है जिससे विचारों, मतों, अनुभवों, योगदानों को दूसरों तक पहुंचाया जा सके।

3.कार्यक्रम नियोजन की रणनीति : इस रणनीति में सामुदायिक संगठन में नियोजन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिससे सहभागिता का पूरा योगदान प्राप्त होता है। जिसमें आवश्यकता को ध्यान में रख कर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्यकर्ता समुदाय के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करता है। समुदाय के सदस्यों नियोजन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा आने वाली बाधाओं को वैज्ञानिक निपुणताओं के माध्यम से दूर किया जाता है।

4.संसाधनों के उपयोग की रणनीति : इस रणनीति में सामुदायिक संगठन कर्ता समुदाय के उन संसाधनों की खोज करता है जिनसे समुदाय की समस्याओं की पूर्ति और समाधान सम्भव है। समुदाय ऐसी संस्थायें जो समुदाय के लिए कल्याणकारी हैं, को लक्ष्य कर इनकी सेवा के उपयोग पर बल देता है। समुदायिक संगठनकर्ता समुदाय की आंतरिक एवं वाहय संसाधनों का प्रयोग समुदाय की विभिन्न आवश्यकताओं एवं समस्याओं के समाधान हेतु करता है जिसमें जनसहभागिता को प्रोत्साहित कर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

5.सामुदायिक विकास की रणनीति : इस रणनीति के अंतर्गत समुदाय में सामुदायिक विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है। समुदाय के सदस्य विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सम्मिलित प्रयास करते है। इस प्रक्रिया में सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का सहयोग लिया जाता है। समुदाय के सदस्य अपनी सामुदायिक योजना एवं संगठन के माध्यम से समुदाय का विकास करते हैं। सामुदायिक

सदस्यों द्वारा समुदाय की सामान्य आवश्यकताओं एवं उपलब्ध विभिन्न साधनों के मध्य व्यवस्थित संतुलन स्थापित किया जाता है जिससे उनका विकास होता है।

6.7 सार संक्षेप

प्रस्तुत इकाई में सामुदायिक संगठन के उपागम, प्रारूप एवं रणनीतियों के बारे में विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। इस इकाई में वैयक्तिक, सामुदायिक शिक्षा, आवश्यकता निर्धारण,सामाजिक क्रिया आदि का वर्णन किया गया है साथ ही साथ सामुदायिक संगठन के स्थानीय विकास, सामाजिक नियोजन, सामाजिक क्रिया प्रारूपों का वर्णन करते हुए सामुदायिक संगठन की रणनीतियों की व्याख्या की गई है। सामुदायिक संगठन की रणनीतियों में समुदाय की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को पहचानना, जनसहभागिता, कार्यक्रम नियोजन, संसाधनों के उपयोग तथा सामुदायिक विकास को सम्मिलित किया गया है।

6.8 अभ्यास प्रश्न

1. सामुदायिक संगठन के अभिगम लिखिये?
2. सामुदायिक संगठन के प्रारूप लिखिये?
3. सामुदायिक संगठन की रणनीतियॉ बताइये?
4. सामुदायिक संगठन के प्रारूप एवं रणनीतियों के मध्य संबंध बतलाइये?

6.9 पारिभाषिक शब्दावली

Community Organization	सामुदायिक संगठन
Approaches	उपागम
Public Participation	जनसहभागिता
Needs	आवश्कताय
SocialPlanning	सामाजिक नियोजन
Problems	समस्यायें
Local Development	स्थानीय विकास
Social Action	सामाजिक क्रिया
Community Planning	साामुदायिक नियोजन
Barriers	बाधायें
Resource Utilization	संसाधनों का उपयोग
Strategy	रणनीति
Problem Identification	समस्या पहचान
System Change	व्यवस्था परिवर्तन

Social Development	सामाजिक विकास
Extensive	विस्तृत

6.10 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

सिंह,मिश्रा सुरेन्द्र पी.डी., समाज कार्य इतिहास दर्शन एवं प्रणालियॉ, न्यू रायल पब्लिकेशंस, वर्ष1997

सिद्दीकी एच.वाई, वर्किंग विद कम्युनिटी, न्यू डेल्ही, हरनाम पब्लिकेशंस, वर्ष 1984।

खिन्दुका,एस.के.सोशलवर्क इन इण्डिया,सर्वोदय साहित्य समाज, राजस्थान, वर्ष 1962।

इकाई–7

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

Community Development Programme

इकाई की रूपरेखा

7.1 परिचय
7.2 उद्देश्य
7.3 सामुदायिक विकास की अवधारणा
7.4 सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य
7.5 योजना का संगठन
7.6 योजना की प्रगति का मूल्यांकन
7.7 सार संक्षेप
7.8 अभ्यास प्रश्न
7.9 पारिभाषिक शब्दावली
7.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची

7.1 परिचय

सामुदायिक विकास सम्पूर्ण समुदाय के चतुर्दिक विकास की एक ऐसी पद्धति है जिसमें जन–सहभाग के द्वारा समुदाय के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है। भारत में शताब्दियों लम्बी राजनीतिक पराधीनता ने यहाँ के ग्रामीण जीवन को पूर्णतया जर्जरित कर दिया था। इस अवधि में न केवल पारस्परिक सहयोग तथा सहभागिता की भावना का पूर्णतया लोप हो चुका था बल्कि सरकार और जनता के बीच भी सन्देह की एक दृढ़ दीवार खड़ी हो गयी थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारतीय समाज में जो विषम परिस्थियॉ विद्यमान थी उनका उल्लेख करते हुए टेलर ने स्पष्ट किया कि इस समय ''भारत मे व्यापक निर्धनता के कारण प्रति व्यक्ति आय दूसरे देशों की तुलना में इतनी कम थी कि भोजन के अभाव में लाखों लोगों की मृत्यु हो रही थी, कुल जनसंख्या का 84 प्रतिशत भाग प्राकृतिक तथा सामाजिक रूप से एक–दूसरे से बिल्कुल अलग–अलग था, ग्रामीण उद्योग नष्ट हो चुके थे, जातियों का कठोर विभाजन सामाजिक संरचना को विषाक्त कर चुका था, लगभग 800 भाषाओं के कारण विभिन्न समूहों के बीच की दूरी निरन्तर बढ़ती जा रही थी, यातायात और संचार की व्यवस्था अत्यधिक बिगड़ी हुई थी तथा अंग्रेजी शासन पर आधारित राजनीतिक नेतृत्व कोई भी उपयोगी परिवर्तन लाने में पूर्णतया असमर्थ

था।'' स्वाभाविक है कि ऐसी दशा में भारत के ग्रामीण जीवन को पुनर्सगठित किये बिना सामाजिक पुनर्निर्माण की कल्पना करना पूर्णतया व्यर्थ था।

भारत की लगभग 74 प्रतिशत जनसंख्या आज ग्रामों में रहती है। जनसंख्या के इतने बड़े भाग की सामाजिक–आर्थिक समस्याओं का प्रभावपूर्ण समाधान किये बिना हम कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को किसी प्रकार भी पूरा नहीं कर सकते। यही कारण है कि भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद से ही एक ऐसी वृहत योजना की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी जिसके द्वारा ग्रामीण समुदाय में व्याप्त अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, कृषि के पिछड़ेपन, गन्दगी तथा रूढ़िवादिता जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके। भारत में ग्रामीण विकास के लिए यह आवश्यक था कि कृषि की दशाओं में सुधार किया जाये, सामाजिक तथा आर्थिक संरचना को बदला जाये, आवास की दशाओं में सुधार किया जाये, किसानों को कृषि योग्य भूमि प्रदान की जाये, जन–स्वास्थ्य तथा शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाया जाये तथा दुर्बल वर्गों को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाये। इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम सन् 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा तथा गोरखपुर जिलों में एक प्रायोगिक योजना क्रियान्वित की गयी। इसकी सफलता से प्रेरित होकर जनवरी 1952 में भारत और अमरिका के बीच एक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत भारत में ग्रामीण विकास के चतुर्दिक तथा व्यापक विकास के लिए अमरीका के फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया गया। ग्रामीण विकास की इस योजना का नाम 'सामुदायिक विकास योजना' रखा गया तथा 1952 में ही महात्मा गॉधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर से 55 विकास खण्डों की स्थापना करके इस योजना पर कार्य आरम्भ कर दिया गया।

7.2 उददेश्य्

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आपः–

- सामुदायिक विकास की अवधारणा को समझ सकेगें।
- सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्यों को जान सकेगें।
- योजना का संगठन को ज्ञात कर सकेगें।
- योजना की प्रगति का मूल्यांकन कर सकेगें।

7.3 सामुदायिक विकास की अवधारणा

ग्रामीण विकास के अध्ययन में रूचि लेने वाले सभी अर्थशास्त्रियों दृष्टिकोण से 'सामुदायिक विकास' के अर्थ को समझे बिना इस योजना के कार्यक्षेत्र तथा सार्थकता को समुचित ढंग से नहीं समझा जा सकता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामुदायिक विकास एक योजना मात्र नहीं समझा जा सकता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामुदायिक विकास एक योजना मात्र नही है बल्कि यह स्वयं में एक विचारधारा तथा संरचना है। इसका तात्पर्य है

कि एक विचारधारा के रूप में यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो व्यक्तियों को उनके उत्तरदायित्वों का बोध कराना है तथा एक संरचना के रूप में यह विभिन्न क्षेत्रों के पारस्परिक सम्बन्धों और उनके पारस्परिक प्रभावों को स्पष्ट करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भारतीय सन्दर्भ में, सामुदायिक विकास का तात्पर्य एक ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा ग्रामीण समाज की संरचना, आर्थिक साधनों, नेतृत्व के स्वरूप तथा जन–सहभाग के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए समाज का चतुर्दिक विकास करने का प्रयत्न किया जाता है।

शाब्दिक रूप से सामुदायिक विकास का अर्थ– समुदाय का विकास या प्रगति। इसके पश्चात भी सामुदायिक विकास की अवधारणा इतनी व्यापक और जटिल है कि इसे केवल परिभाषा द्वारा ही स्पष्ट कर सकना बहुत कठिन है। जो परिभाषाएँ दी गयी है, उनमें किसी के द्वारा एक पहलू पर अधिक जोर दिया गया है और किसी में दूसरे पहलु पर। इसके पश्चात भी कैम्ब्रिज में हुए एक सम्मेलन में सामुदायिक विकास को स्पष्ट करते हुए कहा गया था कि ''सामुदायिक विकास एक ऐसा आन्दोलन है जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण समुदाय के लिए एक उच्चतर जीवन स्तर की व्यवस्था करना है। इस कार्य में प्रेरणा–शाक्ति समुदाय की ओर से आनी चाहिए तथा प्रत्येक समय इसमें जनता का सहयोग होना चाहिए।'' इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सामुदायिक विकास ऐसा कार्यक्रम है जिसमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए समुदाय द्वारा पहल करना तथा जन–सहयोग प्राप्त होना आधारभूत दशाएँ है। इस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य किसी वर्ग विशेष के हितों तक ही सीमित न रहकर सम्पूर्ण समुदाय के जीवन–स्तर को ऊँचा उठाना है।

योजना आयोग (Planning Commission) के प्रतिवेदन में सामुदायिक विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि ''सामुदायिक विकास एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा नवीन साधनों की खोज करके ग्रामीण समाज के सामाजिक एवं आर्धिक जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है।

प्रो.ए.आर.देसाई के अनुसार ''सामुदायिक विकास योजना एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित ग्रामों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में रूपान्तरण की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का प्रयत्न किया जाता है।'' इनका तात्पर्य है कि सामुदायिक विकास एक माध्यम है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा निर्धारित ग्रामीण प्रगति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

रैना (R.N. Raina) का कथन है कि ''सामुदायिक विकास एक ऐसा समन्वित कार्यक्रम है जो ग्रामीण जीवन से सभी पहलुओं से सम्बन्धित है तथा धर्म, जाति सामाजिक अथवा आर्थिक असमानताओं को बिना कोई महत्व दिये, यक सम्पूर्ण ग्रामीण समुदाय पर लागू होता है।

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामुदायिक विकास एक समन्वित प्रणाली है जिसके द्वारा ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न किया जाता है। इस योजना का आधार जन–सहभाग तथा स्थानीय साधन है। एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में इस योजना में जहॉ एक ओर शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, कुटीर उद्योगों के विकास, कृषि संचार तथा समाज सुधार पर बल दिया जाता है, वहीं यह ग्रामीणों के विचारों, दृष्टिकोण तथा रूचियों में भी इस तरह परिवर्तन लाने का प्रयत्न करती है जिससे ग्रामीण अपना विकास स्वयं करने के योग्य बन सकें। इस दृष्टिकोण से सामुदायिक विकास योजना को सामाजिक–आर्थिक पुनर्निमाण तथा आत्म–निर्भरता में वृद्धि करने वाली एक ऐसी पद्धति कहा जा सकता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं का समावेश होता है।

7.4 सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य

सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना तथा ग्रामीण समुदाय की प्रगति एवं श्रेष्ठतर जीवन–स्तर के लिए पथ प्रदर्शन करना है। इस रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य इतने व्यापक है कि इनकी कोई निश्चित सूची बना सकना एक कठिन कार्य है। इसके पश्चात भी विभिन्न विद्वानों ने प्राथमिकता के आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अनेक उद्देश्यों का उल्लेख किया है।

प्रो.ए.आर. देसाई ने इस योजना के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए बताया है कि सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य ग्रामीणों में एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन उत्पन्न करना है। साथ ही इसका उद्देश्य ग्रामीणों की नवीन आकांक्षाओं, प्रेरणाओं, प्रविधियों एवं विश्वासों को ध्यान में रखते हुए मानव शक्ति के विशाल भण्डार को देश के आर्थिक विकास में लगाना है। लगभग उसी उद्देश्य को प्राथमिकता देते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिवेदन मे **डंग हैमरशोल्ड** ने स्पष्ट किया है कि ''सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य ग्रामीणों के लिए केवल भोजन वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और सफाई की सुविधाएँ देना मात्र नहीं है बल्कि भौतिक साधनों के विकास से अधिक महत्वपूर्ण इसका उद्देश ग्रामीणों के दृष्टिकोण तथा विचारों में परिर्वतन उत्पन्न करना है'' वास्तविकता यह है कि ग्रामवासियों में जब तक यह विश्वास पैदा न हो कि वे अपनी प्रगति स्वयं कर सकते हैं तथा अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझा सकते हैं, तब तक ग्रामों का चतुर्दिक विकास किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है। इस दृष्टिाकोण से ग्रामीण समु दाय की विचारधारा एवं मनोवृत्ति में परिर्वतन लाना निश्चित ही इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

डॉ. दुबे ने (S.C. Dube) सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य को भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया है:

(1) देश का कृषि उत्पादक प्रचुर मात्रा में बढ़ाने का प्रयत्न करना, संचार की सुविधाओं में वृद्धि करना, शिक्षा का प्रसार करना तथा ग्रामीण स्वास्थ्य और सफाई की दशा में सुधार करना।

(2) गाँवों में सामाजिक तथा आर्थिक जीवन को बदलने के लिए सुव्यवस्थित रूप से सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया का आरम्भ करना।

इससे स्पष्ट होता है कि डॉ. श्यामाचरण दुबे सामुदायिक विकास योजना के प्रमुख उद्देश्य के रूप में कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के पक्ष में है। आपकी यह धारणा है कि कृषि के समुचित विकास के अभाव में ग्रामीण समुदाय का विकास सम्भव नहीं है क्योंकि ग्रामिण समुदाय का सम्पूर्ण जीवन किसी न किसी रूप में कृषि से ही प्रभावित है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कृषि के विकास की अपेक्षा 'दृष्टिकोण में परिवर्तन' का उद्देश्य गौण है। यदि कृषि के विकास से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाये तो उनके दृष्टिकोण में तो स्वतः ही परिवर्तन हो जायेगा। भारत सरकार के सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना के 8 उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। ये उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना।
2. गाँवों में उत्तरदायी तथा कुशल नेतृत्व का विकास करना।
3. सम्पूर्ण ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भर एवं प्रगतिशील बनाना।
4. ग्रामीण जनता के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए एक ओर कृषि का आधुनिकीकरण करना तथा दूसरी ओर ग्रामीण उद्योगों को विकसित करना।
5. इन सुधारों को व्यावहारिक रूप देने के लिए ग्रामीण स्त्रियों एवं परिवारों की दशा में सुधार करना।
6. राष्ट्र के भावी नागरिकों के रू॰ में युवकों के समुचित व्यक्तित्व का विकास करना।
7. ग्रामीण शिक्षकों के हितों को सुरक्षित रखना।
8. ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा करना।

इन प्रमुख उद्देश्य के अतिरिक्त इस योजना में अन्य कुछ उद्देश्यों का भी उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए, (क) ग्रामीण जनता का आत्मविश्वास तथा उत्तरदायित्व बढ़ाकर उन्हें अच्छा नागरिक बनाना, (ख) ग्रामीणों को श्रेष्ठकर सामाजिक एवं आर्थिक जीवन प्रदान करना, तथा (ग) ग्रामीण युवकों में संकीर्ण दायरे के बाहर निकलकर सोचने और कार्य करने की शक्ति विकसित करना आदि भी इस योजना के कुछ सहयोगी उद्देश्य हैं। इस सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यदि व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाय तो यह कहा जा सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय के अन्दर सोई हुई क्रान्तिकारी शक्ति को जाग्रत करना है जिसमें ग्रामीण समुदाय अपने विचार करने और काय्र

करने के तरीकों को बदलकर अपनी सहायता स्वयं करने की शक्ति को विकसित कर सकें।

सामुदायिक विकास योजना के सभी उद्देश्य कुछ विशेष मान्यताओं पर आधारित हैं। सर्वप्रमुख मान्यता यह है कि सामुदायिक विकास योजनाएँ स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए। दूसरे,, उद्देश्य–प्राप्ति के लिए योजना में जन–सहभाग केवल प्रेरणा और समर्थन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, शक्ति के प्रयोग द्वारा नहीं। इसके लिए सामुदायिक विकास कार्यकर्ताओं के चयन और प्रशिक्षण में विशेष सावधानी रखना आवश्यक है। अन्तिम मान्यता यह है कि वह पूर्णतया नौकरशाही व्यवस्था द्वारा संचालित न होकर अन्ततः ग्रामीण समुदाय द्वारा संचालित होना चाहिए जिसके लिए योजना के आरम्भ से अन्त तक इसमें ग्रामीणों का सक्रिय सहयोग आवश्यक है।

7.5 योजना का संगठन

अपने प्रारम्भिक काल में सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार के योजना मंन्त्रालय से सम्बद्ध था परन्तु बाद में इसके महत्व तथा व्यापक कार्य–क्षेत्र को देखते हुए इसे एक नव–निर्मित मंन्त्रालय 'सामुदायिक विकास मंन्त्रालय' से सम्बद्ध कर दिया गया। वर्तमान समय में यह योजना 'कृषि तथा ग्रामीण विकास मंन्त्रालय' के अधीन है। वास्तव में सामुदायिक विकास योजना का संगठन तथा संचालन केन्द्र स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक में विभाजित है। इस दृष्टिकोण में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संगठन को प्रत्येक स्तर पर अलग–अलग समझना आवश्यक हैः

(1) केन्द्र स्तर – केन्द्रीय स्तर पर इस समय सामुदायिक विकास कार्यक्रम 'कृषि एवं ग्रामीण विकास मंन्त्रालय' से सम्बद्ध है। इस कार्यक्रम की प्रगति तथा नीति–निर्धारण के लिए एक विशेष सलाहकार समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष स्वयं हमारे प्रधानमंत्री है। कृषि मंत्री तथा योजना आयोग के सदस्य इस समिति के सदस्य होते है। इसके अतिरिक्त केन्द्र स्तर पर अनौपचारिक रूप से गटित एक परामर्शदात्री समिति भी होती है जिसके सदस्य लोक सभा के कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। यह सलाहकार समिति योजना की नीति एवं प्रगति के विषय में इस औपचारिक समिति से परामर्श करती रहती है।

(2) राज्य स्तर– सामुदायिक विकास कार्यक्रम को संचालित करने का वास्तविक दायित्व राज्य सरकारों का है। राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य में एक समिति होती है जिसका अध्यक्ष उस राज्य का मुख्यमन्त्री तथा समस्त विकास विभागों के मन्त्री इसके सदस्य होते है। इस समिति का सचिव एक विकास आयुक्त होता है जो ग्रामीण विकास से सम्बन्धित सभी विभागों के कार्यक्रमों तथा नीतियों के बीच समन्व स्थापित करता है। सन् 1969 के पश्चात् से सामुदायिक विकास योजना के लिए वित्तीय साधनों का प्रबन्ध राज्य के अधीन हो जाने के कारण विकास आयुक्त का कार्य पहले की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

विकास आयुक्त को परामर्श देने के लिए राज्यों में विधान–सभा तथा विधान परिषद् के कुद मनोनीत सदस्यों की एक अनौपचारिक सलाहकार समिति होती है।

(3) जिला स्तर – जिला स्तर पर योजना के समन्वय और क्रियान्वयन का सम्पूर्ण दायित्व जिला परिषद् का है। जिला परिषद् में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिसमें खण्ड़ पंचायत समितियों के सभी अध्यक्ष तथा उस जिले के लोकसभा के सदस्य एवं विधान सभा के सदस्य सम्मिलित हैं। इसके प्श्चात् भी जिला परिषद् की नीतियों के आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को संचालित करने का कार्य 'जिला नियोजन समिति' का है जिसका अध्यक्ष जिलाधीश होता है। कार्यक्रम की प्रगति के लिए जिलाधीश अथवा उसके स्थान पर उप–विकास आयुक्त ही उत्तरदायी होता है।

(4) खण्ड स्तर – आरम्भ में लगभग 300 गाँव तथा 1,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के ऊपर एक विकास खण्ड स्थापित किया जाता था लेकिन अब एक विकास खण्ड की स्थापना 100 से लेकर 120 गाँवों अथवा 1 लाख 20 हजार ग्रामीण जनसंख्या को लेकर की जाती है। विकास खण्ड के प्रशासन के लिए प्रत्येक खण्ड में एक खण्ड विकास अधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा इसकी सहायता के लिए कृषि, प्शुपालन, सहकारिता, पंचायत, ग्रामीण उद्योग, सामाजिक शिक्षा, महिला तथा शिशु–कल्याण आदि विषयों से सम्बन्धित आठ प्रसार अधिकारी नियुक्त होते है। खण्ड स्तर पर नीतियों के निर्धारण तथा योजना के संचालन का दायित्व क्षेत्र पंचायत का होता हैं। सरपच, गाँव पंचायतों के अध्यक्ष, स्त्रियों, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ व्यक्ति इस समिति के सदस्य होते हैं। प्रत्येक खण्ड में विकास योजना को कार्यान्वित करने के लिए 5–5 वर्ष के दो मुख्य चरण निर्धारित किये जाते है।

(5) ग्राम स्तर – यद्यपि गाँव स्तर पर योजना के क्रियान्वयन का दायित्व गाँव पंचायत पर होता है लेकिन इस स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्राम सेवक की होती है। ग्राम सेवक को सामुदायिक विकास योजना के सभी कार्यक्रमों की जानकारी होती है। वह किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं होता लेकिन सरकारी अधिकारीयों तथा ग्रामीण समुदाय के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। साधारणतया 10 गाँव के ऊपर एक ग्राम सेवक को नियुक्त किया जाता है। यह व्यक्ति कार्यक्रम के सभी नवाचारों का ग्रामीण समुदाय में प्रचार करता है। ग्रामीण की प्रतिक्रिया से अधिकारियों को परिचित कराता है तथा विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के बीच समन्वय बनाये रखने का प्रयत्न करता है। ग्राम सेवक के अतिरिक्त गाँव स्तर पर प्रशिक्षित दाइयाँ तथा ग्राम सेविकाएँ भी महिला तथा शिशु–कल्याण के लिए कार्य करती है।

इससे स्पष्ट होता है कि सामुदायिक विकास योजना का सम्पूर्ण संगटन पाँच प्रमुख स्तरों में विभाजित है। डॉ0 देसाई का कथन है कि इस पाँच स्तरीय संगठन की सम्पूर्ण शक्ति एवं

नियन्त्रण का प्रवाह श्रेणीबद्ध नौकरशाही संगठन के द्वारा ऊपर से नीचे की ओर हाता है। इसके पश्चात् भी विभिन्न समितियों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में नौकरशाही व्यवस्था के प्रभावों को कम करने के प्रयत्न किये जाते रहे हैं। सम्भवतः इसलिए बलवन्तराय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर सामुदायिक विकास को स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं से जोड़ने का प्रयत्न किया गया। आज जिला स्तर पर जिला पंचायत, खण्ड स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम स्तर पर गाँव पंचायतों का इस योजना के क्रियान्वयन में विशेष महत्व है। यह कार्यक्रम क्योंकि जनता के लिए तथा जनता के द्वारा था, इसलिए नौकरशाही के दोषों से इसे बचाने के लिए विभिन्न स्तरो पर जन–सहयोग को सर्वोच्च महत्व दिया गया।

7.6 सामुदायिक विकास योजना की उपलब्धियाँ

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को ग्रामीण जीवन के चतुर्दिक विकास के लिए अब एक आवश्यक शर्त के रूप में देखा जाने लगा है। यद्यपि विगत कुछ वर्षों से योजना की सफलता के बारे में तरह–तरह की आशंकाएँ की जाने लगी थीं लेकिन इस योजना की उपलब्धियों को देखते हुए धीरे–धीरे ऐसी आशंकाओं का समाधान होता जा रहा है। इस कथन की सत्यता इसी तथ्य से आँकी जा सकती है कि सन् 1952 में इस समय सम्पूर्ण भारत में इन विकास खण्ड़ों की संख्या 5,304 है तथा इनके द्वारा आज देश की लगभग सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को विभिन्न सुविधाएँ सुविधाएँ प्रदान की जा रही है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के वर्तमान स्वरूप में आज महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर पाँचवीं योजना के काल तक (1951 से 1979) इस कार्यक्रम को ग्रामीण विकास के एक पृथक और स्वतन्त्र कार्यक्रम के रूप में ही क्रियान्वित किया गया था। इसके बाद ग्रामीण विकास के लिए समय–समय पर इतने अधिक कार्यक्रम लागू कर दिये गये कि उन्हें समुचित रूप से लागू करने और उनके बीच समन्वय स्थापित करने में कटिनाई महसूस की जाने लगी। इस स्थिति में यह महसूस किया जाने लगा कि सामुदायिक विकास खण्ड़ों के माध्यम से ही विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करके इनका अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप आज न केवल सामुदायिक विकास खण्ड़ों के स्वरूप में कुछ परिवर्तन हो गया है बल्कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास की उन सभी योजनाओं का समावेष हो गया है जिन्हे आज बहुत अधिक महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। इस प्रकार ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के वर्तमान दायित्वों तथा उपलब्धियों को समझना आवश्यक हो जाता है।

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम – समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सामुदायिक विकास खण्डों द्वारा पूरा किया जाने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसी को

अक्सर समन्वित सामुदायिक विकास कार्यक्रम' भी कह दिया जाता है। यद्यपि कुछ समय पहले तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 'लघु किसान विकास एजेन्सी' तथा 'सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम' का स्थान प्रमुख था लेकिन बाद में यह अनुभव किया गया कि इन कार्यक्रमों से ग्रामीण जनता के जीवन–स्तर में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हो सका है। इस स्थिति में सन् 1978–79 से ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया गया जिसे हम 'समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम' कहते है। इसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोगारी को कम करना तथा ग्रामीणों के जीवन–स्तर में इस तरह सुधार करना है कि वे गरीबी की सीमा–रेखा से ऊपर उठ सके। भारत में आज ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 25 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे है। इन लोगों को आवश्यक सुविधा देने के लिए यह निश्चय किया गया है कि प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड के द्वारा प्रति वर्ष अपने क्षेत्र में से 600 निर्धनतम परिवारों का चयन करके उन्हें लाभ प्रदान किया जायें। इनमें से 400 परिवारों का कृषि से सम्बन्धित सुविधाओं द्वारा, 100 परिवारों को कुटीर–उद्योग धन्धों द्वारा शेष 100 को अन्य सेवाओं द्वारा लाभ दिया जायेगा। यह एक बड़ा लक्ष्य है, इसलिए 5 वर्ष की अवधि में 3,000 परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड के लिए 35 लाख रूपयें की राशि निर्धारित की गयी। आरम्भ में यह योजना देश के सभी विकास खण्डों में लागू कर दिया गया है। इस योजना का सम्पूर्ण व्यय केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा आधा–आधा वहन किया जाता है। व्यय के दृष्टिकोण से सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम रहा जिस पर इन दो योजनाओं के अन्तर्गत ही 19,000 करोड़ से भी अधिका रूप्या व्यय किया गया तथा इसके द्वारा 3.15 करोड़ ग्रामीण परिवारों के जीवन–स्तर को गरीबी की सीमा–रेखा से ऊपर उठाया जा सका। केवल सन् 1995 से 1997 के बीच ही इसके द्वारा 39.85 लाख निर्धन परिवारों को लाभ दिया गयो।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम– गाँवों में बेरोजगारी की समस्या का मुख्य सम्बन्ध मौसमी तथा अर्द्ध–बेरोजगारीसे है। इसके लिए किसानों को एक ओर कृषि के अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है तो दूसरी ओर अधिक निर्धन किसानों को खाली समय में रोजगार के नये अवसर देना आवश्यक है। आरम्भ में 'काम के बदले अनाज' योजना के द्वारा इस आवश्यकता को पूरा करने का प्रयत्न किया गया था लेकिन सन् 1981 से इसके स्थान पर 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम' आरम्भ किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खाली समय में कृषकों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर देना; उन्हें कृषि के उन्नत उपकरण उपलब्ध कराना तथा ग्रामीणों की आर्थिक दशा में सुधान करना है। छठी पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास खण्डों के माध्यम से इस योजना को लागू करके इस पर लगभग 1,620 करोड़ रूपये व्यय किया गया। सातवीं योजना के अन्तर्गत

सन् 1989 से इसके स्थान पर एक नयी रोजगार योजना आरम्भ की गयी जिसे 'जवाहर रोजगार योजना' कहा जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक निर्धन तथा गाँवों के भूमिहीन किसानों के परिवार में किसी एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार देना है। सन् 1989 से 1998 तक इस योजना पर केन्द्र और राज्य सरकारों ने लगभग 30 हजार करोड़ रूपये से भी अधिक के विनियोजन द्वारा बहुत बड़ी संख्या के निर्धन परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान किये।

3. सूखा–ग्रस्त क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम– हमारे देश में अनेक हिस्से ऐसे हैं जहॉ अक्सर सूखे की समस्या उत्पन्न होती रहती है। ऐसे क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त कार्यक्रम इस उद्देश्य से आरम्भ किया गया है कि किसानों को कम पानी में भी उत्पन्न होने वाली फसलों की जानकारी दी जा सके, जल स्त्रोतों का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके, वृक्षारोपण में वृद्धि की जा सके तथा पशुओं की अच्छी नस्ल को विकसित करके ग्रामीण निर्धनता को कम किया जा सके। इस समय 74 जिलों के 557 विकास किया जा रहा है।

4. मरूस्थल विकास कार्यक्रम – भारत में सामुदायिक विकास खण्डों के माध्यम से यह कार्यक्रम सन् 1977–78 से आरम्भ किया गया। इसका उद्देश्य रेगिस्तानी, बंजर तथा बीहड़ क्षेत्रों की भूमि पर अधिक से अधिक हरियाली लगाना, जल–स्त्रोतों को ढूँढकर उनका उपयोग करना, ग्रामों में बिजली देकर ट्यूब–वैल को प्रोत्साहन देना तथा पशु–धन और बागवानी का विकास करना है। इस योजना के आरम्भिक वर्ष से सन् 1997 तक सामुदायिक विकास खण्डों के द्वारा इस पर कुल 982 करोड़ रूपया व्यय किया जा चुका है।

5. जनजातीय विकास की अग्रगामी योजना – इस योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश,बिहार तथा उड़ीसा के कुछ आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जनजातीय विकास के प्रयत्न किये गये हैं। इसके द्वारा आर्थिक विकास, संचार, प्रशासन, कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में जनजातीय समस्याओं का गहन अध्ययन करके कल्याण कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। विकास खण्डों के द्वारा लोगों को पशु खरीदने, भूमि–सुधार करने, बैलगाड़ियों की मरम्मत करने और दस्तकारी से सम्बन्धित कार्यों के लिए ऋण दिलवाने में भी सहायता की जाती है।

6. पर्वतीय विकास की अग्रगामी योजना – पर्वतीय क्षेत्र के किसानों का सर्वांगीण विकास करने तथा उनके रहन–सहन के स्तर में सुधार करने के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में यह कार्यक्रम आरम्भ किया गया। आरम्भ में इसे केवल पॉचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि तक ही चालू रखने का प्रावधान था लेकिन बाद में इस कार्यक्रम पर छठी योजना की अवधि में भी कार्य किया गया।

7. पौष्टिक आहार कार्यक्रम – यह कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनीसेफ की सहायता से केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य पौष्टिक आहार के उन्नत तरीकों से ग्रामीणों को परिचित कराना तथा प्राथमिक स्तर पर स्कूली बच्चों के लिए दिन में एक बार पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना है। पौष्टिक आहार की समुचित जानकारी देने के लिए गॉव पंचायतों युवक तथा महिला मण्डलों की भी सहायता ली जाती है। भारत में अब तक लगभग 2556 विकास खण्ड ग्रामीण समुदाय के लिए यह सुविधा प्रदार कर रहे है तथा भविष्य में इस कार्यक्रम का प्रसार औश्र अधिक खण्डों में करने के प्रयत्न किये जा रहे है।

8. पशु पालन – पशुओं की नस्लों में सुधार करने तथा ग्रामीणों के लिए अच्छी नस्ल के पशुओं की आपूर्ति करने में भी विकास खण्डों का योगदान निरन्तर बढ़ता जा रहा है। अब प्रत्येक विकास खण्ड द्वारा औसतन एक वर्ष में उन्नत किसत के 20 पशुओं तथा लगभग 400 मुर्गियों की सप्लाई की जाती है तथा वर्ष में औसतन 530 पशुओं का उन्नत तरीकों से गर्भाधान कराया जाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की नस्ल में निरन्तर सुधार हो रहा है।

9. ऐच्छिक संगठनों को प्रोत्साहन – सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता का मुख्य आधार इस योजना में ऐच्छिक संगठनों का अधिकाधिक सहभाग प्राप्त होना है। इस दृष्टिकोण से विकास खण्डों द्वारा अब मण्उल तथा युवक मगल जैसे ऐच्छिक संगठनों के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस कार्य के लिए ऐच्छिक संगठनों के पंजीकरण के नियमों को सरल बनाना, कार्यकारिणी के सदस्यों को प्रशिक्षण देना, विशेष कार्यक्रमों के निर्धारण में सहायता देना, रख–रखाव के लिए अनुदान देना, उनकी कार्यप्रणाली का अवलोकन करना, महिला मण्डलों को प्रेरणा पुरस्कार देना तथा कुछ चुनी हुई ग्रामीण महिलाओं को नेतृत्व का प्रशिक्षण देना आदि वे सुविधाऐं हैं जिससे ऐच्छिक संगठन ग्रामीण विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

10. स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन – ग्रामीणों में छोटे आकार के परिवारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा उनके स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करने के लिए सामुदायिक विकास खण्डों ने विशेष सफलता प्राप्त की है। जून 1997 तक हमारे देश में 22,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 1.36 लाख से भी अधिक उपकेन्द्रों के द्वारा ग्रामीण जनसख्या के स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयत्न किया गया था। अब विकास खण्डों द्वारा ग्रामीण विस्तार सेवाओं के अन्तर्गत ग्रामीणों को जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा देने का कार्य भी किया जाने लगा है।

11. शिक्षा तथा प्रशिक्षण– सामुदायिक विकास योजना के द्वारा ग्रामीण शिक्षा के व्यापक प्रयत्न किये गये इसके लिए गांवों में महिला मण्डल, कृषक दल तथा युवक मंगल दल

स्थापित किये गये। समय–समय पर प्रदर्शनियों, उत्सवों तथा ग्रामीण नेताओं के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करके उन्हें कृषि और दस्तकारी की व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है। वर्तमान में सामुदायिक विकास खण्ड प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार करके भी ग्रामीण साक्षरता में वृद्धि करने का प्रत्यन कर रहे हैं। ग्रामीणों के अतिरिक्त विद्यालय के शिक्षकों, पंचायत के सदस्यों तथा ग्रामीण युवकों के लिए भी विशेष गोष्ठियों ओर शिविरों का आयोजन किया जाता है। जिससे लोगों में शिक्षा के प्रति चेतना उत्पन्न करके विभिन्न योजनाओं से लोगों को परिचित कराया जा सके।

इन सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास कार्य्क्रम की उपलब्धियां न केवल सन्तोषप्रद है बल्कि अनेक क्षेत्रों में निर्धारण लक्ष्य से भी अधिक सफलता प्राप्त की गई है।

7.7 योजना की प्रगति का मूल्यांकन

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सभी पक्षों को देखते हुए अक्सर एक प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि क्या भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल रहा है? और यदि हाँ तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं? इस प्रश्न की वास्तविकता को समझने के लिए हमें योजना के प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखकर इसका निष्पक्ष मूल्यांकन करना होगा।

वास्तव में सामुदायिक विकास योजना में सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों का समय–समय पर अनेक विद्धानों ने मूल्यांकन किया है। इन अध्ययनों से एक बात यह निश्चित हो जाती है कि इस कार्यक्रम ने हीनता की ग्रन्थि से मस्त करोड़ों ग्रामीणों के मन में विकास के प्रति जागरूकता का संचार किया है। इस दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को पूर्णतया असफल कह देना न्यायपूर्ण नहीं होगा। इसके पश्चात भी इस योजना पर जितना धन व्यय किया गया तथा जो लक्ष्य निर्धारित किये गये उसके अनुपात से हमारी सफलताएं बहुत कम है योजना के प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट किया गया था कि इस कार्यक्रम में प्रत्येक स्तर पर जन–सहभाग को विशेष महत्व दिया जायेगा परन्तु व्यावहारिक रूप से योजना के आरम्भ से अब तक इसमें जन सहभाग का नितान्त अभाव रहा है।

स्वतन्त्रता के पश्चात् प्रथम बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से सभी वर्गो तथा स्तरों को विकास की समान सुविधाएं देते हुए सांस्कृतिक आधुनिकीकरण का दर्शन सामने रखा गया। इस दर्शन का आधार यह था कि आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय स के क्षेत्र में किसी प्रकार का विभेदीकरण नहीं होना चाहिए परन्तु वास्तविकता यह है कि इस योजना के अधीन जिन ग्रामीणों को लाभ प्राप्त हुआ भी है उनमें 60 प्रतिशत से भी अधिक ग्रामीण अभिजात वर्ग के हैं। इसका तात्पर्य है कि यह कार्यक्रम जिन मूलभूत सिद्धान्तों को लेकर आरम्भ किया गया था उन्हें व्यावहारिक रूप देने में यह सफल नहीं हो सका। कार्यक्रम में यह निर्धारित किया गया था कि ग्रामीण समुदाय में कृषि के विकास को सर्वोच्च

प्राथमिकता दी जायेगी क्योंकि इसके बिना उसके जीवन स्तर में कोई भी वांछित सुधार नही लाया जा सकता। इसके पश्वात् भी विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत की सफलता के लिए सबसे अधिक आवश्यक था। इसका कारण सम्भवतः ग्राम सेवकों तथा अधिकारियों की सामान्य किसानों के प्रति घोर उदासीनता का होना है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम की असफलता के पीछे कार्यक्रम से सम्बद्ध अधिकारियों तथा कर्मचारियों में ग्रामीण अनुभव तथा दूर–दृष्टि का अभाव होना भी एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ। विभिन्न विद्वानों तथा मूल्यांकन समितियों ने जिन दशाओं के आधार पर इस योजना की समीक्षा की हैं, उनहें प्रो. देसाई के आठ प्रमुख परिस्थतियों के आधार पर स्पष्ट किया है–

1- इस योजना की प्रकृति नौकरशाही विशेषताओं के युक्त है।
2- प्रशासकीय आदेशों के समान ही सभी निर्णय उच्च स्तर से निम्न स्तर के लिए सम्प्रेषित किये जाते है।
3- संगठन के किसी भी स्तर पर आधारभूत सिद्धान्तों के क्रियान्वयन का अभाव रहा है।
4- अन्य सरकारी विभागों की भॉति ही इस योजना के प्रशासन के प्रति भी जनसाधारण के मन में अधिक विश्वास नही है।
5- विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के अधिकारों और कार्यो को उनके स्तर और प्रतिष्ठा से जोड़ना एक बड़ी भ्रान्ति रही है।
6- प्रशासकीय कार्यकर्ताओं के विभाग में अनेक कार्यो का इतना दोहरीकरण है कि इसके कारण न केवल कार्यो का बोझ बढ़ गया है बल्कि विभिन्न कार्यो के प्रति कार्यकर्ताओं में दायित्व का विभाजन भी समुचित रूप से नही हो पाता।
7- कार्यकर्ताओं में सेवा–मनोवृत्ति का अत्यधिक अभाव है।
8- कर्मचारियों में सामाजिक सेवा की निपुणता कम होने के साथ उनके साधन भी बहुत सीमित है।

ये दोष योजना के प्रारूप से अधिक सम्बन्धित हैं, अधिकारियों की कार्यकुशलता अथवा निष्ठा से बहुत कम। वास्तविकता यह है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सम्पूर्ण प्रारूप मुख्य रूप से जनता के सहभाग से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित है। इसके विपरीत शिक्षा की कमी तथा जनसामान्य की उदासीनता के कारण सरकारी तन्त्र को ग्रामीण समुदाय से कोई महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त नही हो पाता। इस दृष्टिकोण से डॉ. दुबे ने सामुदायिक विकास योजना का वैज्ञानिक मूल्यांकन करते हुए इतनी संरचना से सम्बद्ध चार मुख्य दोषों का उल्लेख किया है–

1- ग्रामीण जनसंख्या के अधिकांश भाग की सामान्य उदासीनता।
2- योजना के क्रियान्वयन में अधिकारियों तथा बाहरी व्यक्तियों प्रति सन्देह तथ्ज्ञा अविश्वास।

3- संचार के साधनों की विफलता।

4- परम्पराओं तथा सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव।

इस प्रकार भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता अथवा धीमी प्रगति के लिए जो उत्तरदायी कारण बताये गये है, उन्हें संक्षेप में निम्नांकित रूप से स्पष्ट किया जा सकता हैं

1- **जन सहयोग का अभाव** – सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रत्येक स्तर पर जनसहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता थी लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रत्येक स्तर पर इसका नितान्त अभाव है। इस कार्यक्रम में श्रमदान आन्दोलन को अत्यधिक महत्व दिया गया है लेकिन आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से टुकड़ों में विभाजित ग्रामीण समुदाय से ऐसा कोई सहयोग नहीं मिल सका। डॉ. दुबे ने स्वयं अनेक श्रमदान आन्दोलनों का निरीक्षण करके अनेक तथ्य प्रस्तुत किये है। आपके अनुसार ग्रामों में ऊँची सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले लोगों ने श्रमदान के द्वारा सड़कों के निर्माण और मरम्मत की योजना में काफी रूचि ली लेकिन स्वयं इस वर्ग ने कोई योगदान नही किया। गॉवों के केवल निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों ने ही शारीरिक श्रम के कार्य में कुछ योगदान दिया। फलस्वरूप श्रमदान की अवधि में यह वर्ग उतने समय की मजदूरी से भी वंचित रह गया जबकि योजना से इस वर्ग को कोई प्रत्यक्ष लाभ नही पहुॅच सका। इस कारण कुछ व्यक्ति तो श्रमदान को बेगार–प्रथा की ही पुनरावृत्ति मानने लगे। इसके विपरीत श्रमदान में कोई योगदान न देने वाला गॉव का उच्च वर्ग सड़कों के निर्माण से अर्थिक रूप से अधिक लाभान्वित हुआ। साथ ही उसे अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने तथा नेतृत्व दिखाने का अवसर भी मिला। इससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा जब तक निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले वर्गों को वास्तविक लाभ नहीं पहुॅचता, यह योजना अधिक प्रभावपूर्ण नही बन सकेगी।

2- **कार्यक्रम क क्रियान्वयन में अतिशीघ्रता**–सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफलता बहुत बड़ी सीमा तक उसके संगठनात्मक पहलु से सम्बन्धित थी। देश में इस योजना के सम्पूर्ण जाल को फैलाने में इतनी अधिक शीघ्रता और उत्साह दिखाया गया कि योग्य तथा कुशल कार्यकर्ताओं के अभाव में सामान्य कार्यकर्ताओं के हाथों में ही योजना के क्रियान्वयन की बागडोर सौप दी गयी। कार्यक्रम का प्रसार उच्च से निम्न अधिकारियों के लिए होता था, इसलिए उच्च स्तर के अधिकारी जनसामान्य की भावनाओं तथा आवश्यकताओं से अनभिज्ञ ही बने रहे। इसके फलस्वरूप नीतियों का निर्माण ही दोषपूर्ण हो गया। सम्पूर्ण योजना फाइलों और कागजों में सिमटकर रह गयी। जनसाधारण को इसका न कोई लाभ मिला और न ही उन्होंने इसमें कोई सहयोग देना लाभप्रद समझा।

3- **कार्यक्रम में नौकरशाही का बोलबाला** – सामुदायिक विकास योजना के प्रत्येक स्तर पर नौकरशाही प्रवृति का बोलबाला रहा है। योजना के उच्च पदस्थ अधिकारी निम्न अधिकारियों को आदेश तो देते रहे लेकिन अपने नीचे ग्रामीण स्तर के अधिकारियों की अनुभवसिद्ध तथा विश्वस्त बात सुनने के लिए तैयार नही हो सके। इसके फलस्वरूप ग्राम सेवक, जिस पर इस योजना की सफलता आधारित थी, गॉव के प्रभावशाली व्यक्तियों की चाटुकारी करने में लग गया। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश प्रशासन के अभ्यास अधिकारी ग्रामीण समुदाय से किसी प्रकार का सम्पर्क रखना अथवा प्राथमिक रूप से उनकी समस्याओं को समझना अपनी प्रतिष्ठा के विरूद्ध समझते है।

4- **प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का अभाव** – इस योजना के आरम्भिक काल से ही इनमें प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का नितान्त अभाव रहा हैं। यद्यपि सरकार ने कुछ कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों तथा विशेष शिविरों का आयोजन किया लेकिन वह व्यवस्था इतनी अपर्याप्त थी कि जिस तेजी से विकास खण्ड़ों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, उतनी तेजी से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित नहीं किया जा सका। इसके फलस्वरूप विभिन्न स्तरों पर नियुक्त अधिकारी, कार्यकर्ता तथा कर्मचारी अपने दायित्व को समुचित रूप से निर्वाह नहीं कर सके।

5- **स्थानीय नेतृत्व का अभाव** – कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्थानीय नेतृत्व का विकास करना था लेकिन आरम्भ से ही इस ओर अधिक ध्यान नही दिया गया। वास्तव में ग्रामीण समुदाय में व्याप्त अशिक्षा, अज्ञानता, सामाजिक आर्थिक असमानता, भाषागत भिन्नताओं तथा उच्च जातियों के शोषण के कारण नियोजित प्रयास किये बिना स्वस्थ नेतृत्व को विकसित करना सम्भव नही था। जब ग्रामों में स्वस्थ नेतृत्व ही विकसित नही हुआ तो जन–सहभाग प्राप्त होने कोई प्रश्न ही नही था। सहभाग की अनुपस्थिति में थोड़े से प्रशिक्षित और कुशल कार्यकर्ता भी विभिन्न कार्यक्रमों को अधिक प्रभावपूर्ण रूप से लागू नही कर सके।

6- **सांस्कृतिक कारक** – भारतीय ग्रामों में कुछ ऐसी सांस्कृतिक परिस्थितयॉ भी विद्यमान रही है जिनके कारण सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रगति बहुत सीमित हो गयी। उदाहरण के लिए उदासीन तथा भाग्य प्रधान स्वभाव, कार्य करने के परम्परागत तरीके, धार्मिक विश्वास तरह तरह के कर्मकाण्ड और सरकारी अधिकारियों के प्रति अविश्वास आदि ऐसे कारक रहे है जो जन सहभाग को दुर्बल बनाते रहे है। डॉ. दुबे ने अपने अध्ययन के आधार पर इन कारकों के प्रभाव का व्यापक विश्लेषण करके सामुदायिक विकास योजना की धीमी प्रगति में इनके प्रभाव को स्पष्ट किया है।

7- **प्रभावशाली संचार का अभाव** – सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत सचार के परम्परागत तथा आधुनिक दोनों तरीकों का साथ–साथ उपयोग किया गया लेकिन कार्यक्रम

को सफल बनाने में ये अधिक प्रभावपूर्ण सिद्ध नही हो सके। इसका कारण संचार के तरीकों का दोषपूर्ण उपयोग था। डॉ. दुबे ने कृषि, पशुपालन एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 16 नवाचारों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 270 उत्तरदाताओं से सम्पर्क किया। इस अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि 84 प्रतिशत उत्तरदाता केवल 2 नवाचारों से अवगत थे, 14 प्रतिशत उत्तरदाता किसी भी नवाचार के बारे में कुछ नही जानते थे तथा केवल 2 प्रतिशत ग्रामीण ही ऐसे थे जो सभी नवाचारों से परिचित थे। इस अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण समुदाय को जब नवीन योजनओं तथा कार्यक्रमों की जानकारी ही नहीं है तो किस प्रकार वे इनके प्रति जागरूक होकर इनमें अपना योगदान कर सकते है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कृष्णमाचारी ने कहा था ''मैं कार्यक्रम मे ग्रामीण स्तर के अप्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को लेने की अपेक्षा यह अधिक पसन्द करूँगा कि इस आन्दोलन का प्रसार धीरे–धीरे हो।

7.8 सार संक्षेप

आरम्भ से ही सामुदायिक विकास योजना की संरचना तथा इसके क्रियान्वयन में कुछ ऐसे आधारभूत दोष विद्यमान रहे है जिनके कारण इस योजना में आशातीत सफलता प्राप्त नही हो सकी। इस असफलता के लिए किसी एक पक्ष को उत्तरदायी मान लेना उचित नही है। इसके पश्चात भी भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं को देखते हुए योजना में प्रमुख उत्तरदायित्व उन अभिकर्ताओं का था जिनके ऊपर योजना के निर्देशन और क्रियान्वयन का भार था। आाधार रूप से इन्ही व्यक्तियों की अदूरदर्शिता, संगठनात्मक कमजोरियों तथा नौकरशाही प्रवृतियों के कारण यह योजना भारतीय गॉवों का सर्वागीण विकास करने में असफल रही। फिर भी हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस कार्यकाल के फलस्वरूप ग्रामीण समुदाय की मनोवृत्तियों और दृष्टिकोण में परिर्वतन भी समने आया है। भविष्य में यदि योजना के लिए उत्तरदायी स्थानीय कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का समुचित विस्तार किया जाये, नीति निर्माण में स्थानीय आवश्यकताओं को प्रमुख स्थान दिया जाये तथा संचार व सम्प्रेषण में अधिकाधिक वृद्धि की जाये तो ग्रामीण समुदाय के सहभाग में भी वृद्धि होगी और योजना के लक्ष्यों को भी व्यावहारिक रूप से प्राप्ति किया जा सकेगा। वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यकता इस बात की है कि योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित निर्देश ऊपर से नीचे की ओर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर सम्प्रेषित हो। यही सामुदायिक विकास योजना की सफलता का मुख्य आधार है।

7.9 अभ्यास प्रश्न

1. सामुदायिक विकास कार्यक्रम से आप क्या समझते है? विवेचना कीजिए।
2. भरत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रगति का पुनरावलोकन कीजिए।

3. ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण में सामुदायिक विकास योजना की भूमिका का मूल्याकंन कीजिए।
4. सामुदायिक विकास योजना के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
5. सामुदायिक विकास से आप क्या समझते है? समन्वित सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है?
6. भारत के ग्रामीण विकास में सामुदायिक विकास योजना की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
7. भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रकृति तथा उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए।
8. भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
9. भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के मुख्य कारण क्या है? इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव दीजिए।
10. निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

अ) सामुदायिक विकास एवं सामाजिक कल्याण

ब) सामुदायिक विकास कार्यक्रम।

7.10 पारिभाषिक शब्दावली

योजना आयोग	Planning Commission	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	National Rural Employment Programme
सम्प्रेषण	Communication	सांस्कृतिक कारक	Cultural Factor
विश्व स्वास्थ्य संगठन	World Health Organisation[WHO]	सामाजिक कल्याण	Social Welfare

7.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. C.C. Tylor and Other, India's Roots of Democracy : A Sociological Analysis of Rural Experience in Planned Development since Independence. pp 1-2
2- Team report on community development programmes in India, Pakistan and Philipines', International Co-operation Administration, (1955)
3- Planning Commission First Five Year Plan.
4- The community Development Projects is the method through which five Year Plan seeks to initiate a process of transformation of the social and economic life of the village"

5- "Community Development is an integrated programme touching on all aspects and intended to apply to the Village Community as whole, cutting across religion, caste, social and economic differences"-Rains, Community Development and people's participation.
6- Desai op ctt.
7- S.C. Dube, India's Changing Villages.
8- S.C. Dube, "Social Structure and Peasant Communities, in A.R, Desai, Rural Sociology in India (Ed.)
9- Ministry of Community Development, Govt. of India, A guide to community development.
10- आठवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा उस परिवार को जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे माना गया जिसकी वार्षिक आय 11000 रूपये से कम है।
11- S.C. Dube Community Development: A Critical Review in A.R. Deasi, Rural Sociology in India.
12- S.C. Dube, India's Changing Villages.
13- S.C. Dube 'Communication Innovation and Planned Changes in India in D. Lerner and W. Schramm, Communication and Change in the Developing Countries (Ed.)
14- A.R Desai, Community Development Projects: A Sociological Analysis in rural Sociology in India.

इकाई–8

सामाजिक क्रिया : एक परिचय

Social Action : an Introduction

इकाई की रूपरेखा

8.1 परिचय
8.2 उद्देश्य
8.3 सामाजिक क्रिया की परिभाषा एवं विशेषतायें
8.4 सामाजिक क्रिया के मौलिक तथ्य
8.5 सामाजिक क्रिया के सिद्धांत
8.6 सार संक्षेप
8.7 अभ्यास प्रश्न
8.8 परिभाषिक शब्दावली
8.9 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

8.1 परिचय

सामाजिक क्रिया समाज कार्य की सहायक प्रणाली है। प्रारम्भ से ही समाज कार्य का आधार मानवता रही है। सामाजिक क्रिया का जिसे प्रारम्भ में समाज सुधार का नाम दिया गया है, समाज कार्य के अभ्यास में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

1922 में मेरी रिचमंड ने सामाजिक क्रिया का उल्लेख समाज कार्य की चार प्रमुख प्रणालियों के अंतर्गत एक प्रणाली के रूप में किया था। 1940 में जॉन फिच द्वारा एक कांफ्रेंस में सामाजिक क्रिया पर एक निबन्ध प्रस्तुत किया गया।1945 में केनिथ एलियम प्रे ने 'सोशल वर्क एण्ड सोशल एक्शन' नामक लेख लिखा जिसके अनुसार यह माना गया कि सामाजिक क्रिया सामुदायिक संगठन का एक अंग नहीं है। एक अलग विधि के रूप में इसकी पहचान बनी।

कालांतर में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया गया कि सामुदायिक संगठन में कार्य एक सीमित क्षेत्र में होता है किन्तु सामाजिक क्रिया में यह बड़े स्तर पर किया जाता है।

8.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः–

- सामाजिक क्रिया की अवधारणा एवं परिभाषा के बारे में जान सकेंगे
- **सामाजिक क्रिया की परिभाषा एवं विशेषतायें**

- 8.4 सामाजिक क्रिया के उद्देश्य
- 8.5 सामाजिक क्रिया के सिद्धांत

i) सामाजिक क्रिया की विशेषताओं के बारे में लिख सकेंगे

ii) उद्देश्यों

8.3 सामाजिक क्रिया की परिभाषा एवं विशेषतायें

सामाजिक क्रिया के सिद्धांतों के बारे में जान सकेंग प्रमुख विचारकों द्वारा दी गई सामाजिक क्रिया की परिभाषायें निम्नवत् हैं–

मेरी रिचमंड (1922) : 'प्रचार एवं सामाजिक विधान के माध्यम से जनसमुदाय का कल्याण सामाजिक क्रिया कहलाता है।'

ग्रेस क्वायल (1937) : समाज कार्य के एक भाग के रूप में सामाजिक क्रिया सामाजिक पर्यावरण को इस प्रकार बदलने का प्रयास है जो हमारे जीवन को अधिक संतोषप्रद बनाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को प्रभावित न करके सामाजिक संस्थाओं, कानूनों, प्रथाओं तथा समुदाय को प्रभावित करना है।

सैनफोर्ड सोलेण्डर (1957) : समाज कार्य क्षेत्र में सामाजिक क्रिया समाज कार्य दर्शन, ज्ञान तथा निपुणताओं के संदर्भ में व्यक्ति, समूह तथा प्रयासों की एक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य नवीन प्रगति तथा सेवाओं की प्राप्ति हेतु कार्य करते हुए सामाजिक नीति व सामाजिक संरचना की क्रिया में संशोधन के माध्यम से समाज कल्याण में वृद्धि करना है।

हिल जॉन (1951) : सामाजिक क्रिया को व्यापक सामाजिक समस्याओं के समाधान का संगठित प्रयास कहा जा सकता है या मौलिक सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं को प्रभावित करके वांछित सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित सामूहिक प्रयास कहा जा सकता है।

फ्रीडलैण्डर (1963) : सामाजिक क्रिया समाज कार्य दर्शन तथा अभ्यास की संरचना के अंतर्गत एक वैयक्तिक, सामूहिक अथवा सामुदायिक प्रयत्न है जिसका उद्देश्य सामाजिक प्रगति को प्राप्त करना, सामाजिक नीति में परिवर्तन करना तथा सामाजिक विधान, स्वास्थ्य तथा कल्याण सेवाओं में सुधार लाना है।

सामाजिक क्रिया की विशेषतायें:–

1. सामाजिक क्रिया में समाज कार्य के सिद्धांत, मान्यताओं, ज्ञान तथा कौशल का प्रयोग किया जाता है, अतः यह समाज कार्य का ही एक अंग है।
2. इसका उद्देश्य सही अर्थों में सामाजिक न्याय और समाज कल्याण की प्राप्ति है।
3. इस प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने एवं अनावश्यक तथा अवांछनीय सामाजिक परिवर्तन को रोकने का प्रयास किया जाता है।

4. यथासम्भव अहिंसात्मक ढंग से कार्य किया जाता है।
5. उद्देश्यपूर्ति के लिए सामूहिक सहयोग अपेक्षित होता है।
6. इसमें कार्य जनतांत्रिक मूल्यों और संविधान में दिये गये नागरिक अधिकारों पर आधारित सहमतिपूर्ण आन्दोलन के रूप में होता है।

8.4 सामाजिक क्रिया के मौलिक तथ्य

सामाजिक क्रिया में निम्नांकित तत्वों का समावेश होता हैः–

1. समुदाय की सक्रियता नियोजित एवं संगठित होनी चाहिए। सामाजिक क्रिया तभी सफल हो सकती है जब समूह अथवा समुदाय सक्रिय हो।
2. नेतृत्व का विकास करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि नेता का चयन समाज की सहमति से हो।
3. इसमें कार्य प्रणाली जनतांत्रिक तथा विधि जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए।
4. संबंधित समूह या समुदाय के सभी भौतिक या अभौतिक साधनों पर पूर्व विचार कर लेना चाहिए।
5. साधनों का सही अनुमान लगाने के बाद ही समस्या का चयन किया जाना चाहिए।
6. सामाजिक क्रिया के लिए स्वस्थ जनमत आवश्यक है।
7. सामाजिक क्रिया के लिए समुदाय के सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है।

8.5 सामाजिक क्रिया के उद्देश्य

1. सामाजिक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार करना।
2. स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में स्थानीय, प्रांतीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करना।
3. आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं सूचनाओं का विश्लेषीकरण करना।
4. अविकसित तथा पिछड़े समूहों के विकास के लिए आवश्यक मांग करना।
5. समस्याओं के लिए ठोस निराकरण एवं प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
6. नवीन सामाजिक स्रोतों का अंवेषण।
7. सामाजिक समस्याओं के प्रति जनता में जागरूकता लाना।
8. जनता का सहयोग प्राप्त करना।
9. सरकारी तंत्र का सहयोग लेना।
10. नीति निर्धारक सत्ता से प्रस्ताव स्वीकृत कराना।

8.6 सामाजिक क्रिया के सिद्धांत

सामाजिक क्रिया नीतियों में परिवर्तन कर स्वस्थ जनमत का निर्माण करती हैं। इसके प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैंः–

1. **विश्वनीयता का सिद्धांत** : वह समूह या समुदाय, जिसके लिए नेतृत्व कार्यक्रम क्रियांवित करता है, उसे नेतृत्व के प्रति विश्वास को अक्षुष्ण रखना चाहिए।
2. **स्वीकृति का सिद्धांत** : समूह या समुदाय को उसकी वर्तमान स्थिति में स्वीकार करते हुए प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्वस्थ जनमत तैयार किया जाना इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है।
3. **वैधता का सिद्धांत** : संदर्भित जनता जिसके लिए आंदोलन चलाया जा रहा है या कार्य किया जा रहा है तथा जनसामान्य को विश्वास हो कि आंदोलन नैतिक तथा सामाजिक रूप से उचित है। इस मान्यता के आधार पर ही सहयोग प्राप्त होता है।
4. **नाटकीकरण का सिद्धांत** : नेता कार्यक्रम को इस प्रकार जनता के समक्ष प्रस्तुत करता है ताकि जनता स्वयं सांवेगिक रूप से उस कार्यक्रम से जुड़ जाये एवं अति आवश्यक मानकर उसके साथ अनवरत एवं सक्रिय रूप से सम्बद्ध हो जाये।
5. **बहुआयामी रणनीति का सिद्धांत** : चार प्रकार की रणनीतियॉ सामाजिक क्रिया में प्रयुक्त होती हैं–

i) शिक्षा संबंधी रणनीति– 1. प्रौढ़ शिक्षा द्वारा
2. प्रदर्शन द्वारा

ii) समझाने की रणनीति

iii) सुगमता की रणनीति

iv) शक्ति की रणनीति

6. **बहुआयामी कार्यक्रम का सिद्धांत** : इसमें तीन प्रकार के कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं–
1.सामाजिक कार्यक्रम
2.आर्थिक कार्यक्रम
3.राजनैतिक कार्यक्रम

8.7 सार संक्षेप

प्रस्तुत इकाई में सामजिक क्रिया की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, विशेषताओं एवं सिद्धांतों के बारे में विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है जिसमें सामाजिक क्रिया को समाज कार्य की सहायक प्रणाली के रूप में बताया गया है। सामाजिक क्रिया जनसमुदाय के संगठित प्रयास द्वारा सामाजिक आवश्यकताओं एवं समस्याओं का निदान करता है। सामाजिक क्रिया में सामाजिक परिवर्तन वैधानिक उपायों एवं जनसमुदाय के सक्रिय सहयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है। सामाजिक क्रिया में प्रचलित परम्परागत प्रक्रियाओं के स्थान पर नवीन परिवर्तन जन्म लेते हैं। सामाजिक क्रिया अपने सिद्धांतों प्रभावी उपयोग द्वारा सामान्य परिवर्तन लाता है। उपरोक्त सभी विषयों को इस इकाई में सम्मिलित किया गया है।

8.8 अभ्यास प्रश्न

1. सामाजिक क्रिया का अर्थ एवं परिभाषा लिखिये?
2. सामाजिक क्रिया की विशेषताओं को बतलाते हुए इसके सिद्धांतों का उल्लेख कीजिये?
3. सामाजिक क्रिया का अर्थ एवं उद्देश्य विस्तृत रूप में लिखिये?
4. सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुये इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिये?

8.9 पारिभाषिक शब्दावली

Social Action	सामाजिक क्रिया
Social Legislation	सामाजिक विधान
Public Community	जनसमुदाय
Social Policy	सामाजिक नीति
Social Structure	सामाजिक संरचना
Social Welfare	समाज कल्याण
Organized Effort	संगठित प्रयास
Assumption	मान्यतायें
Social Justice	सामाजिक न्याय
Non-Violence	अहिंसा
Democratic Values	लोकतांत्रिक मूल्य
Constitution	संविधान
Movement	आंदोलन
Custom	प्रथा
Traditions	परम्परायें
Co-operation	सहयोग
Government Machinery	सरकारी तंत्र
Credibility	विश्वसनीयता
Acceptance	स्वीकृति
Legitimization	वैधता
Dramatization	नाटकीकरण
MultipleStrategies	बहुआयामी रणनीति
Manifold Programs	बहुआयामी कार्यक्रम

8.10 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. सद्दीकी एच.वाई, सोशल वर्क एण्ड सोशल एक्शन, न्यू डेल्ही, हरनाम पब्लिकेशंस, वर्ष 1984 |
2. खिन्दुका, एस.के., सोशल वर्क इन इण्डिया, सर्वोदय साहित्य समाज, राजस्थान, वर्ष 1962 |
3. सिंह,मिश्रा सुरेन्द्र पी.डी., समाज कार्य इतिहास दर्शन एवं प्रणालियॉ, न्यू रायल पब्लिकेशंस, वर्ष1997

इकाई – 9

सामाजिक क्रिया का क्षेत्र

Scope of Social Action

इकाई की रूपरेखा

9.1 उद्देश्य
9.2 परिचय
9.2 सामाजिक क्रिया का क्षेत्र
9.3 सामाजिक क्रिया द्वारा सामाजिक विधान को लागू कराना
9.4 सार संक्षेप
9.5 परिभाषिक शब्दावली
9.6 अभ्यास प्रश्न
9.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

9.1 परिचय

ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से समाज कार्य के वर्तमान वैज्ञानिक स्वरुप का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि 1922 में ही मेरी रिचमण्ड ने सामाजिक क्रिया का उल्लेख समाज कार्य की चार प्रमुख प्रणालियों में से एक प्रणाली के रूप में किया था। 1940 में जॉन फिच ने एक कान्फ्रेन्स में सामाजिक क्रिया की प्रकृति के ऊपर एक महत्वपूर्ण निबन्ध प्रस्तुत किया। एक वर्ष के बाद उन्होनें सोशल वर्क इयर बुक में सामाजिक आन्दोलन पर निबन्ध लिखा। उसके कुछ ही दिनों के बाद समाज कार्य के क्षेत्र में सामाजिक क्रिया की व्यापक चर्चा चल पड़ी। 1945 में केनिथ एलियम प्रे ने ''सोशल वर्क ऐण्ड सोशल ऐक्शन'' नामक एक लेख लिखा जिसके अनुसार यह माना जाने लगा कि सामाजिक क्रिया सामुदायिक संगठन का एक अंग नही है। यह समाज कार्य की एक अलग विधि है। बाद में चलकर यह बात और भी स्पष्ट रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सामुदायिक संगठन के अन्तर्गत कार्य एक सीमित क्षेत्र में किया जाता है किन्तु सामाजिक क्रिया में कार्य बड़े पैमाने पर होता है।

9.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :–

- सामाजिक क्रिया के क्षेत्र के बारे में वृहद रुप से जानकारी प्राप्त कर सकेगें।
- सामाजिक क्रिया के क्षेत्रों का बिन्दुवार अध्ययन कर सकेगें।

➢ सामाजिक क्रिया के द्वारा सामाजिक विधान को कैसे लागू कराया जाता है के बारे में लिख सकेगें।

9.3 सामाजिक क्रिया के क्षेत्र

सामाजिक क्रिया को समाज कार्य की एक सहायक प्रणाली के रूप में वर्तमान समय में अधिकांश समाज कार्यकर्ताओं और विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है, इन्होनें इस बात को भी स्वीकृति प्रदान की है कि सामाजिक क्रिया में सामूहिक प्रयास का होना आवश्यक है चाहे इस प्रयास का आरम्भ किसी एक व्यक्ति ने ही किया हो। इसके लिए आवश्यक है कि सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त रूप से प्रयास किया जाये और यह प्रयास सामाजिक विधान के अनुरूप हो। सामाजिक क्रिया के दो साधन हैं, पहला, जनमत को शिक्षा एवं सूचना की उपलब्धि द्वारा परिवर्तित करना, और दूसरा सामाजिक विधान को प्रभावित करना अर्थात् परिवर्तित करना या उसका निर्माण करना। जनमत को प्रभावित करने के लिए आवश्यक है कि जन संदेशवाहन की प्रणालियों का उपयोग किया जाये और सामाजिक विधानों को प्रभावित करने के लिए प्रशासकों से सम्पर्क किया जाये।

जब हम सामाजिक क्रिया के विषय क्षेत्र की बात करते हैं तब एक बात स्पष्ट होती है कि सामाजिक क्रिया का विषय क्षेत्र समाज कार्य के विषय–क्षेत्र से पृथक नहीं हैं, क्योंकि समाज कार्य का क्षेत्र मुख्यतः समाज से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का निराकरण है और सामाजिक क्रिया समाज कार्य की एक प्रणाली है जोकि समाज कार्य की उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। सामाजिक क्रिया का उपयोग समाज कार्यकर्ता द्वारा समाज कल्याण के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न वर्गो का कल्याण समाज कार्य के क्षेत्र में सम्मिलित है। समाज कार्य के क्षेत्र में मुख्यतः बाल, युवा, महिला, वृद्ध, असहाय, निर्धन, शोषण का सरलतापूर्वक शिकार बनने वाले वर्गो आदि के कल्याण को रखा गया है और इसके लिए समाज कार्य की विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है यथा–वैयक्तिक समाज कार्य, सामूहिक समाज कार्य, सामुदायिक संगठन, समाज कल्याण प्रशासन, समाज कार्य अनुसंधान और सामाजिक क्रिया।

सामाजिक क्रिया के क्षेत्र के बारे में विवेचना करने से पूर्ण यह जानना आवश्यक जान पड़ता है कि क्या सामाजिक क्रिया समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सक्षम है अथवा नहीं है ? क्या सामाजिक क्रिया सामाजिक संरचना में व्याप्त समस्याओं का निराकरण कर सकती है अथवा नही है ?, चूंकि सामाजिक क्रिया समाजकार्य में एक व्यावसायिक पद्धति के रूप में प्रयोग की जाती है जो कि समाज कार्य आवास के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करती है। वास्तव में सामाजिक क्रिया का क्षेत्र समाज द्वारा निर्धारित की गई आवश्यकताओं पर निर्भर होता है क्योंकि समाज के लोग अपनी आवश्यकताओं की पहचान कर लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं तथा इन्हीं लक्ष्यों

की पूर्ति हेतु सामाजिक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक क्रिया द्वारा समाज के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न माध्यमों को अपनाकर समाज की संरचना में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। आज वहां एक तरफ भारतीय समाज विभिन्न तरह की समस्याओं से जुझ रहा है, तथा नित नयी समस्यायें जन्म लें रही है। वहीं दूसरी तरफ समाज में असभ्यता भी अपना पैर फैला रही है। इस संदर्भ में समाज में सामाजिक क्रिया के क्षेत्र वृहत्तर होते जा रहे। आज भी हमारे देश में गरीबी, भृष्टाचार, बेरोजगारी, वेश्यावृत्ति, कानूनों का उल्लंघन जैसी समस्यायें आम हो चली हैं इन क्षेत्रों में सामाजिक क्रिया का अमूल्य योगदान हो सकता है। सामाजिक क्रिया समाज में फैली हुई कुरीतियों, रूढ़ियों, विषमताओं को दूर करने में भी अपना योगदान दे सकती है। सामाजिक क्रिया का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है जिसमें कुछ क्षेत्र अग्रलिखित है –

1. **सामाजिक सुधार :** सामाजिक सुधार वास्तव में समाज में होने वाली विषमताओं के लिए किया जाता है जिनमें समाज में व्याप्त समस्याओं, कुरीतियों को दूर कर समाज में एक सौहार्द पूर्ण माहौल उत्पन्न किया जाता है। सामाजिक क्रिया समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियों, विषमताओं, समस्याओं, शोषणों को दूर करने में अपना योगदान प्रदान करती है। वर्तमान समय में सामाजिक सुधार एक अतिआवश्यक मुद्दा है, क्योंकि समाज का विकास करना है तो समाज सुव्यवस्थित एवं कुरीतियों से दूर होना चाहिए और इस हेतु सामाजिक क्रिया अपने विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से समाज में बदलाव लाकर समाज सुधार करती है जिससे समाज विकास करता है।

2. **सामाजिक मनोवृत्ति में बदलाव :** सामाजिक क्रिया लोगों के मनोवृत्तियों में बदलाव करने में सक्षम है, क्योंकि समाज के लोग अगर किसी समस्या के निराकरण के प्रति सकारात्मक सोच नहीं रखते हैं तो सामाजिक कार्यकर्त्ता सामाजिक क्रिया के विभिन्न प्रविधियों का उपयोग कर समाज के लोगों की मनोवृत्तियों में बदलाव लाने की कोशिश करता है। चूंकि सामाजिक मनोवृत्ति समाज के लोगों से जुड़ी हुई होती है। जिसे परिवर्तित करना आसान काम नही है। अतः सामाजिक कार्य कर्ता समाज के लोगों के बीच में जाकर समस्या के बारे में बताता है तथा समस्या के प्रति लोगों को एकजुट करता है एवं उनकी सकारात्मक ऊर्जा को सामाजिक समस्या को दूर करने में लगाता है।

3. **सामाजिक कुरीतियों को दूर करना:**हमारा देश विभिन्न प्रकार के धर्मो, सम्प्रदायों, जातियों वाला देश है जहां पर सामाजिक कुरीतियां अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। ये कुरीतियां समाज के विकास में बाधक होती है। इनको सामाजिक क्रिया की सहायता से दूर किया जा सकता है। देखा जाय तो सामाजिक क्रिया कार्य कर्ता समाज का ही एक अंग है जो इन कुरीतियों के बारे में पूर्णतः जानकारी रखता है तथा इनसे होने वाले हानियों के बारे में भी ज्ञान रखता है। इन कुरीतियों को दूर करने के लिए सामाजिक कार्य कर्ता

समाज के लोगों के बीच में कुरीतियों से होने वाले दुष्परिणामों को रखता है तथा उन्हें बताता है कि हमारा समाज तब तक विकसित नही होगा जब तक इन कुरीतियों को दूर नहीं किया जायेगा। कुरीतियों को दूर करने के लिए सामाजिक क्रिया कार्य कर्ता प्रबुद्धजनों, विशेषज्ञों इत्यादि की सहायता लेता है तथा समाज के लोगों एवं प्रबुद्धजनों, विशेषज्ञों को एक मंच पर लाता है एवं विचार विमर्श करता है तथा एक जागरूकता अभियान के तहत कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करता है। इस प्रकार देखा जाय तो सामाजिक क्रिया का क्षेत्र सामाजिक कुरीतियों को दूर करना भी है।

4. **गरीबी उन्मूलनः**हमारा देश वास्तव में गांवों में निवास करता है ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है। आज भी हमारे देश में गरीबी एक भयावह समस्या के रूप में है क्योंकि एक तरफ जहां लोग अमीर होते जा रहे है वहीं दूसरी तरफ निर्धन वर्ग के लोग और गरीब होते जा रहे है। गरीबी उन्मूलन में सामाजिक क्रिया अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। चूंकि सामाजिक नीति बनाने वाले केवल अपने कार्यालयों में बैठकर नीतियों का निर्माण करते हैं। उन्हें वास्तविक स्थिति का पता नही रहता है। अतः सामाजिक क्रिया कार्य कर्ता समाज की वास्तविक स्थिति का सही–सही निरूपण सामाजिक नीति बनाने वालों के सामने प्रस्तुत कर सकता है क्योंकि सामाजिक क्रिया कार्य कर्ता समाज में रह कर कार्य करता है और उसे पूरी यथा स्थिति पता रहती है। इस प्रकार यदि सामाजिक नीति बनाने वाले सामाजिक क्रिया कार्यकर्ताओं की सहायता लें तो गरीबी उन्मूलन से सम्बन्धित सभी कार्यक्रम सफल होते और गरीबी की समस्या से कुछ हद निजात पाया जा सकता है। इस प्रकार हम देखे तो गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में अपना योगदान प्रस्तुत करती है।

5. **शिक्षा संबंधी जागरूकता :** शिक्षा वर्तमान भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में एक है। चूंकि किसी भी देश का विकास तभी सम्भव है जब उस देश के सभी लोग शिक्षित हो। भारत जैसे देश में आज भी 60 प्रतिशत आबादी ही शिक्षित है। जहां पर आज भी लोग शिक्षा का महत्व पूरी तरह से नही समझ पाये है, विशेषकर ग्रामीण अन्चलों में। सरकार ने शिक्षा के लिये विभिन्न कार्यक्रम चलाये है लेकिन पूरी तरह से सफलता प्राप्त नही हो रही है। शिक्षा सम्बन्धी जागरूकता के क्षेत्र में सामाजिक क्रिया अपने महत्वपूर्ण प्रविधियों के आधार पर समाज के लोगों के बीच में शिक्षा के महत्व को बताते हुए जागरूकता फैला सकती है तथा लोगों को शिक्षित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

6. **बेरोजगारी की समस्या से संबंधी निराकरण :** आज वर्तमान समय में हमारे देश की जनसंख्या जहां 1 अरब 21 करोड़ हो चुकी है वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण बेरोजगारी की समस्या विकराल रूपधारण कर चुकी है। बेरोजगारी की समस्या के निराकरण हेतु सामाजिक क्रिया कार्य कर्ता अपने सुझाव नीति निर्धारकों के पास प्रेषित कर

सकता है तथा उन्हें स्वरोजगार परक कार्यो हेतु कार्यक्रम एवं योजना बनाने हेतु सुझाव दे सकता है जिससे बेरोजगारी की समस्या से निजात पाया जा सकता है। दूसरी तरफ सामाजिक क्रिया कार्यकर्ता समाज के लोगों के बीच में स्वरोजगार करने हेतु प्रेरित कर सकता है।

7. **सामाजिक भ्रष्टाचार :** सामाजिक भ्रष्टाचार के क्षेत्र में सामाजिक क्रिया अपना योगदान दे सकती है जोकि समाज के लोगों को सामाजिक भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट कर सकती है तथा सामाजिक भ्रष्टाचार को मिटाने में समाज के लोगों की सहायता ले सकती है।

8. **नियम कानूनों का निर्माण :** हमारे देश में प्रगति के साथ–साथ बहुत सी समस्याओं ने जन्म लिया है जिन्हें नियंत्रण में करना वर्तमान नियम कानूनों के अन्तर्गत असम्भव जान पड़ता है। अतः समय के साथ–साथ होने वाले भ्रष्टाचार, समस्यायें इत्यादि से सम्बन्धित नियम कानूनों को बनाने में सामाजिक क्रिया विधि विशेषज्ञों के सामने वास्तविक स्थिति प्रस्तुत कर सकती है, जिससे नये नियम कानूनों का निर्माण किया जा सकता है।

9. **सामाजिक आंदोलन :** सामाजिक आन्दोलन हमारे देश में बहुत पुराने समय से होता आया है। चाहे वह विनोवा भावे द्वारा किया गया हो अथवा महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया हो। आज वर्तमान भारत में भी सामाजिक आन्दोलनों की आवश्यकता है जिससे समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। अन्ना हजारे तथा अन्य समाज कार्य कर्ताओं द्वारा किया जा रहा आन्दोलन एक सामाजिक क्रिया का ही रूप है जो वर्तमान समय में सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार मिटाने हेतु किया जा रहा है।

10. **असहाय लोगों की स्थिति में सुधार :** प्रत्येक देश में कुछ न कुछ ऐसे लोग होते है जो परिस्थिति वश असहाय हो जाते है। ये असहाय लोग बीमारी, दुर्घटना, वृद्धा अवस्था अथवा प्रकृति प्रदत्त कारणों के आधार पर असहाय होते है। चूंकि असहाय लोगों हेतु सरकार समय–समय पर नियम कानून, कार्यक्रम बनाती रहती है लेकिन ये कार्यक्रम एवं कानून अपर्याप्त जान पड़ते है। असहाय लोगों की स्थिति में सुधार हेतु सामाजिक क्रिया अपना योगदान समाज सुधार प्रविधि के माध्यम से दे सकती है तथा सरकार पर असहाय लोगों के पुनर्वास हेतु नये कार्यक्रमों के निर्माण के लिए दबाव डाल सकती है।

11. **सामाजिक सेवाओं की अप्रचुरता :** सामाजिक सेवाओं की अप्रचुरता समाज में असन्तोष उत्पन्न करती है। अतः सामाजिक क्रिया के द्वारा सामाजिक सेवाओं की अप्रचुरता को दूर किया जा सकता है तथा सामाजिक क्रिया कार्यकर्ता सामाजिक सेवाओं को प्रदान करने वाले तन्त्र के खिलाफ आन्दोलन कर सामाजिक सेवा प्रदान करने के लिए विवश कर सकती है।

12. **निष्क्रीय कानूनों को क्रियान्वयन में :** समाज ज्यो–ज्यों प्रगति की ओर बढ़ता है त्यों–त्यों वे अपने पुराने मूल्यों को भूलता जाता है जिससे समस्या उत्पन्न होने लगती है। कुछ ऐसे नियम कानून जो सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए बनाये जाते है या तो वे धनिक वर्ग के हाथ की कठपुतली हो जाती है। अथवा लोग उन नियम कानूनों से डरना छोड़ देते है। चूंकि कोई भी नियम कानून समाज की भलाई के लिए ही बनाया जाता है अतः निष्क्रिय हुये कानूनों को पुनः पुर्नजीवित करने हेतु सामाजिक क्रिया समाज के लोगों को साथ लेकर आन्दोलन करती है और निष्क्रिय हुये कानूनों को पुनः क्रियान्वित कराती है।

13. **नये समस्याओं के निराकरण हेतु नये कानूनों का निर्माण :** समाज का विकास जहां एक तरफ देश को ऊंचाईयां प्राप्त कराता है वहीं दूसरी तरफ समाज का विकास अगर संग्रहणीय न हुआ तो नई समस्याओं को भी जन्म देता है। इसका एक उदाहरण साइबर क्राइम है। अतः इस प्रकार नई समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक क्रिया अपने प्रयास से सरकार को समय–समय पर सूचित कर मैं नये कानूनों का निर्माण हेतु दबाव डालती रहती है।

14. **सामाजिक मुद्दों पर चेतना जागृत करना :** समाज का विकास सामाजिक समस्याओं के निराकरण पर निर्भर है चूंकि सामाजिक समस्यायें कुछ दिनों बाद सामाजिक मुद्दों का रूपधारण करती है और यही मुद्दे आन्दोलन का रूपधारण करते है। सामाजिक क्रिया समाज के लोगों के बीच सामाजिक मुद्दों पर चेतना जागृत करती है तथा आन्दोलन हेतु प्रेषित करती है।

15. **वैयक्तिक एवं पारिवारिक मूल्यों से संबंधित समस्याओं का समाधान :** व्यक्ति का विकास बिना समाज के सम्भव नहीं है और व्यक्ति, परिवार, समुदाय तथा समाज एक दूसरे से अन्तःक्रिया करते है। समाज का ज्यो–ज्यों विकास होता है उसी क्रम में व्यक्ति एवं पारिवारिक मूल्यों से सम्बन्धित समस्यायें उत्पन्न होती है। जैसे आज की परिप्रेक्ष्य में एकल परिवार की महत्ता। सामाजिक क्रिया वैयक्तिक एवं पारिवारिक मूल्यों से संबंधित समस्याओं का समाधान करती है।

16. **लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना :** समाज कार्य पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है और यह हमेशा प्रयासरत रहता है कि समाज में लोकतांत्रिक मूल्य यथावत बने रहे। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में सामाजिक क्रिया अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करती है क्योंकि कोई भी आन्दोलन बिना समाज के लोगों को एकजुट किए नही हो सकता।

17. **लोक चेतना का प्रसार :** सामाजिक क्रिया लोक चेतना के प्रसार हेतु प्रयासरत रहती है तथा समसामयिक मुद्दों को लोगों के सामने आन्दोलन, जागरूकता इत्यादि के माध्यम से लोक चेतना का प्रसार करती रहती है।

18. **उपभोक्ता संरक्षण :** वर्तमान समय में जहां एक तरफ वैश्वीकरण की प्रक्रिया से व्यापार करना आसान हुआ है वही दूसरी तरफ वाणिज्य के क्षेत्र में नई समस्याओं ने जन्म लिया है। देखा जाय तो आज का उपभोक्ता बहुत ही जागरूक हो गया है लेकिन फिर भी अपने अधिकारों की संरक्षा नहीं कर पाता है। उपभोक्ता संरक्षण में सामाजिक क्रिया अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करती है जिससे उपभोक्ता के अधिकारों की संरक्षा हो पाती है। 'जागो ग्राहक जागो' का श्लोगन सामाजिक क्रिया द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

9.3 सामाजिक क्रिया द्वारा सामाजिक विधान को लागू कराना

व्यक्ति का समाज के साथ घनिष्ट संबंधा है। उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि समाज में ही समाज के सामाजिक संरचना का निर्माण एवं पुनर्गठन इसलिए किया जाता है, ताकि इन आवश्यकताओं की समुचित एवं प्रभावपूर्ण ढंग से संतुष्टि हो सके दुर्भाग्य की बात है कि कालान्तर में नगर तथा सामाजिक संरचना में ऐसे दोष उत्पन्न हुए जिनके कारण कुछ लो सबल तथा कुछ निर्बल हो गये और सबर्लो द्वारा निर्बलों का शोषण दिया जाने लगा। परिणामतः यह अनुभव किया गया कि निर्बल वर्गो के हितों का संरक्षण करने हेतु राज्य द्वारा कुछ प्रयास किये जाने ताकि निर्बलों को भी व्यक्तित्व के विकास एवं सामाजिक क्रिया कलापों में मापनी योग्यताओं एवं क्षमताओं के अनुसार भाग लेने के अवसर प्राप्त हो सके। यद्यपि ऐसे प्रयास सदैव से होते रहे है, किन्तु इस दिशा में व्यवस्थित चेतन एवं योजनाबद्ध प्रयास स्वतंत्रता के बाद ही प्रारम्भ किये जा सके। जब राज्य एक कल्याणकारी राज्य के रूप में उमर कर सामने आया। ये प्रयास निर्बल एवं शोषण का सरलतापूर्वक शिकार बनने वाले वर्गो के हितों के संरक्षण एवं सम्बर्द्धन हेतु सामाजिक विधानों के रूप में सामने आये।

सामाजिक विधान समाज में होने वाले नित नये परिवर्तनों से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण एवं नियंत्रण हेतु बनाये जाते है। जब भी कोई व्यापक समस्या मुद्दों का रूपधारण करती है तो मुद्दों के निराकरण के लिए एवं समाज को नई दिशा प्रदान करने के लिए सरकार सामाजिक विधानों का निर्माण करती है। लेकिन कभी–कभी कुछ ऐसे ज्वलन्त मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है जिसके कारण समाज में असन्तोष व्याप्त होने लगता है। यही असन्तोष समाज में सामाजिक क्रिया के रूप में उत्पन्न होता है। चूकि सामाजिक क्रिया लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है अतः कोई भी सामाजिक विधान को लागू करने के लिये समाज में व्याप्त समस्या वृहद रूप में होनी चाहिए तथा समस्या मुद्दें के रूप में परिवर्तित होनी चाहिए। सामाजिक क्रिया समाज में व्याप्त समस्याओं के निराकरण एवं नियंत्रण के लिये सामूहिक प्रयास करती है जिसमें कई विधियों का प्रयोग करती है।

सामाजिक क्रिया के द्वारा सामाजिक विधान लागू करवाने की विधियां –सामाजिक क्रिया किसी भी सामाजिक विधान को लागू कराने के लिए दो प्रविधियों की सहायता लेती है जिनमें (1) अहिंसात्मक प्रविधि (2) हिंसात्मक प्रविधि इनका वर्णन अग्रलिखित है –

1. **अहिंसात्मक प्रविधि** – सामाजिक क्रिया सर्वप्रथम किसी भी सामाजिक समस्या के निराकरण हेतु अहिसात्मक प्रविधि का सहारा लेती है तथा इसी अहिंसात्मक प्रविधि का प्रयोग करते हुए सामाजिक विधान बनाने के लिए सरकार पर दबाव डालती है। इस प्रविधि में कुछ अग्रलिखित माध्यम का उपयोग सामाजिक क्रिया कार्य कर्ता करता है –

a. **प्रचार**–सामाजिक क्रिया के द्वारा किसी भी सामाजिक समस्या से सम्बन्धित विधानों के निर्माणों के लिये प्रचार का सहारा लिया जाता है इसमें सामाजिक समस्या से सम्बन्धित सभी पहलुओं को समाज के जनमानस के सामने रखा जाता है तथा उनसे समस्या के निराकरण हेतु सुझाव मांगे जाते है। प्रचार ही एक ऐसा माध्यम है जिससे सामाजिक मुद्दों के बारे में जनमानस को जानकारी प्राप्त होती है तथा जब उन्हें लगता है कि उक्त समस्या हेतु विधान अवश्य बनने चाहिए तो सामान्य जनमानस भी अपना सहयोग प्रदान करता है।

b. **शोध**–सामाजिक क्रिया में शोध एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामाजिक मुद्दों एवं समसामयिक मुद्दों पर गुढ मंथन किया जा सकता है तथा आन्तरिक स्तर पर लोगों के सामाजिक समस्याओं के प्रति क्या विचार है निकलकर सामने आ सकते है। शोध के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर सांख्यिकी आंकड़े प्रस्तुत किये जा सकते है। जो सामाजिक विधान को लागू कराने अथवा बनवाने हेतु सरकार को प्रेषित किये जा सकते है। शोध के माध्यम से लोगों के विचार उपर्युक्त सरकार तक पहुचायें जा सकते है।

c. **रैलियों का आयोजन**–सामाजिक क्रिया जनमानस का सहयोग लेने के लिये तथा सामाजिक मुद्दों को उपर्युक्त सरकार तक पहुचाने के लिये रैलियों का आयोजन करती है ये रैलियां लोगों की भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम होती है। जहां पर जनमानस अपने–अपने विचार रखते है तथा उन्हीं विचारों को एक रूपरेखा प्रस्तुत कर सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त समस्या कितनी भयावह है तथा इसके लिए कानून का निर्माण अतिआवश्यक है।

d. **हस्ताक्षर शिविर**–हस्ताक्षर शिविर माध्यम से सामाजिक क्रिया हस्ताक्षर अभियान चलाती है जिससे समसामयिक समस्याओं एवं मुद्दों हेतु लोगों के विचार सामने आते है। यही विचार हस्ताक्षर शिविर के माध्यम से उपयुक्त सरकार प्रेषित किये जाते है तथा सामाजिक विधान बनाने के लिये आग्रह किया जाता है।

e. **बैनर लगवाना**–सामाजिक क्रिया सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिये सामाजिक तथ्यों को बैनर के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत करती है तथा जनमानस

का सहयोग मांगती है जिससे कि सरकार तक लोगों के विचार पहुचाये जा सके। जब समाज के लोग बैनरों के माध्यमों से समस्या की यथा स्थिति से अवगत हो जाते है तो वे लोग भी सामाजिक विधान बनवाने के लिए समाज के मुख्य धारा से जुड़ जाते है। जिससे सरकार पर सामाजिक विधान बनाने के लिए दबाव पड़ने लगता है।

f. **प्रदर्शन**–प्रदर्शन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा समाज के लोग बड़ी मात्रा में सरकारी तन्त्र के सामने उपस्थित होते है तथा अपने हाथ में विभिन्न प्रकार के श्लोगन वाली दफ्तियां, बैनर इत्यादि लिये रहते है जिससे उनके विचार सरकारी तन्त्र तक पहुचे तथा सामाजिक विधान बनाने हेतु प्रेरित हो सके।

g. **असहयोगात्मक प्रतिरोध**–सामाजिक क्रिया में असहयोगात्मक प्रतिरोध ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा समाज के लोग समस्याओं के निराकरण के लिए सामाजिक विधान बनाने हेतु सरकारी तन्त्र के कार्यो में असहयोग करते है जिससे सरकारी तन्त्र प्रभावित होता है और वह सामाजिक विधान बनाने के लिए विवश हो जाता है।

h. **प्रतिरोधात्मक प्रतिरोध**–सामाजिक क्रिया में प्रतिरोधात्मक प्रतिरोध के अन्तर्गत सरकारी तन्त्र द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं का प्रतिरोध करते है तथा सरकारी तन्त्र द्वारा किये जा रहे क्रियाकलापों में अवरोध उत्पन्न करते है जिससे विवश होकर सरकार सामाजिक विधान बनाने के लिए प्रेरित होती है।

i. **जागरूकता शिविर**–सामाजिक क्रिया में जागरूकता शिविर के माध्यम से सरकारी तन्त्र के लोगों के बीच सामाजिक समस्याओं की वास्तविक रूपरेखा प्रस्तुंत की जाती है तथा उनमें बताया जाता है कि वर्तमान समय में इस सामाजिक समस्या के निराकरण एवं नियन्त्रण हेतु इस सामाजिक विधान की महत्वपूर्ण आवश्यकता है जो अवश्य ही बनना चाहिए।

j. **आमरण अनशन**–आमरण अनशन एक ऐसी प्रविधि है जो उपरोक्त प्रविधियों के विफल होने के बाद की जाती है, क्योंकि सामाजिक क्रिया कार्यकर्ता समाज के लोगों को एक साथ लेकर सामाजिक विधान बनाने के लिए पूर्व प्रस्तावित जगह एवं स्थान पर एकत्रित होते है तथा सरकार के खिलाफ अनिश्चित कालीन धरने पर बैठ जाते है तथा सरकार को यह सूचना प्रेषित करते है कि जब तक सामाजिक विधान बनाने के क्षेत्र में कोई उद्घोषणा नही होगी तब तक यह अनशन समाप्त नही होगा। इस प्रविधि के द्वारा अत्यधिक सामाजिक विधानों का निर्माण करवाया जा चुका है। भ्रष्टाचार जन लोक पाल विधेयक पारित करवाने के लिए अन्ना हजारे जी ने आमरण अनशन का ही सहारा लिया है।

k. **भूख हड़ताल**–भूख हड़ताल भी एक आमरण अनशन का ही एक प्रतिरूप है जिसमें सामाजिक क्रिया कार्यकर्ता तथा अन्य जनमानस भी अन्न जल का त्याग करता है

एवं उपयुक्त सरकार पर दबाव बनाते है कि जब तक सामाजिक विधान का निर्माण नही होगा अथवा आवश्वासन नही मिलेगा तब तक भूख हड़ताल समाप्त नही करेगें।

2. **हिंसात्मक प्रविधि** – सामाजिक क्रिया में हिंसात्मक प्रविधि को बहुत अच्छे नजरिये से नही देखा जाता क्योंकि इस प्रकार की प्रविधि में जन तथा धन दोनों की हानि होती है जिससे समाज विकास की बजाय पतन की ओर उन्मुख हो जाता है। इस प्रकार की प्रविधि को सबसे अन्तिम हथियार के रूप में अपनाया जाता है। हिंसात्मक प्रविधि की कई सहायक प्रविधियां है जो अग्रलिखित बिन्दुओं के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है –

a. आगजनी : आगजनी एक ऐसी सहायक प्रविधि है जिसमें सामाजिक विधान बनवाने के लिये जनमानस इकट्ठा होता है तथा उसकी बातों पर सरकार कोई ध्यान नही देती है। तो जनमानस उग्र हो जाता है एवं जगह–जगह पर आगजनी करने लगता है एवं लूट मचाने लगता है। इस प्रविधि से त्रस्त होकर कभी–कभी सरकारी तन्त्र सामाजिक विधानों का निर्माण करवाने का आश्वासन प्रदान करता है।

b. उग्रवादी क्रिया : हिंसात्मक प्रविधि के रूप में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस प्रविधि में जब किसी समस्या, निराकरण एवं नियन्त्रण हेतु विधानों का निर्माण नही होता है तो सामान्य जनमानस का युवावर्ग उग्रवादी क्रियाये करने लगता है तथा बन्दूकों एवं अन्य अग्निमारक यन्त्रों का प्रयोग सरकारी तन्त्र के खिलाफ करने लगता है। इस प्रकार की क्रिया में जन एवं धन की अत्यधिक हानि होती है।

c. तोड़फोड़ मचाना : हिंसात्मक प्रक्रिया में सामाजिक क्रिया के तहत कभी–कभी जनमानस इतना उग्र हो जाता है कि उसके सामने जो भी वस्तु होती है उसे तोड़ने फोड़ने लगता है तथा सरकारी तन्त्र का ध्यान अपने तरफ करने का प्रयास करता है। यह प्रक्रिया आगजनी के जैसी ही भयानक होती है तथा जनहानि होती है।

d. सरकारी सामानों को छति पहुचाना : सामाजिक विधान बनाने के लिए सामाजिक क्रिया के हिंसात्मक प्रविधि के तहत जब कोई निर्णय नही निकलता है तो आम जनमानस सरकारी सामानों को छति पहुचाने लगता है तथा लूटने लगता है। जिससे कि सरकार त्वरित निर्णय ले और सामाजिक विधान का निर्माण करे।

e. सरकारी तंत्र के अधिकारियों को बंधक बनाना : सामाजिक क्रिया के तहत कभी–कभी जनमानस इतना उग्र हो जाता है कि वह सरकारी तंत्र को भी बंधक बनाने लगता है एवं बंधक अधिकारियों के बदले सरकार से सामाजिक विधान बनाने का समझौता चाहता है।

f. रेल रोकना, बसों को छति पहुचाना : सामाजिक क्रिया के हिंसात्मक प्रारूप में रेल रोकना, बसों को छति पहुचाना भी समायोजित होता है चूंकि जनमानस का विचार

होता है कि जब इस प्रकार की घटनायें होगी तो सरकार अपने आप सामाजिक विधान का निर्माण करेगी।

इस प्रकार हम देख सकते है कि उपरोक्त सामाजिक क्रिया की प्रविधियों के आधार पर सामाजिक विधानों का निर्माण कराया जा सकता है तथा उनको लागू कराया जा सकता है जिससे समाज में व्याप्त समस्याओं का निराकरण एवं नियंत्रण हो सकता है।

9.4 सार संक्षेप

प्रस्तुत इकाई में सामाजिक क्रिया के क्षेत्रों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है तथा इसमें बताया गया है कि सामाजिक क्रिया किन–किन क्षेत्रों में अपना योगदान प्रस्तुत करती है। इसी अध्याय में सामाजिक क्रिया द्वारा सामाजिक विधानों के लागू करने के लिए कौन–कौन सी विधियां होती है उनका विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है।

9.6 अभ्यास प्रश्न

1. सामाजिक क्रिया के क्षेत्र के बारे में वृहद रुप से चर्चा कीजिए ?

2. सामाजिक क्रिया के क्षेत्रों का बिन्दुवार ब्यौरा प्रस्तुत कीजिए ?

3. 'सामाजिक क्रिया के द्वारा सामाजिक विधान को कैसे लागू कराया जाता है' पर एक निबन्ध लिखिए ?

9.7 परिभाषिक शब्दावली

Social Action	सामाजिक क्रिया	Social reform	सामाजिक सुधार
Scope	क्षेत्र	Social attitude	सामाजिक मनोवृत्ति
Discuss	विवेचना	Poverty	गरीबी
Change	परिवर्तन	Awareness	जागरूकता
Appropriate	उपयुक्त	Corruption	भ्रष्टाचार
Social Structure	सामाजिक संरचना	Movement	आन्दोलन
Eradication	निराकरण	Social legislation	सामाजिक विधान
Professional Method	व्यवसायिक पद्धति	Conscious	चेतना

9.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, डॉ0 सुरेन्द्र एवं मिश्र, डॉ0 पी0 डी0, समाज कार्य–इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियां, न्यू रॉयल बुक कम्पनी, लखनऊ, पेज 269, वर्ष 1998।

2. सिंह, ए0 एन0 एवं सिंह, ए0 पी0, समाज कार्य, रैपिड बुक सर्विस, लखनऊ, पेज 245, वर्ष 2007।

इकाई – 10

सामाजिक क्रिया के प्रारूप

Models Of Social Action

इकाई की रूपरेखा

10.1 परिचय
10.2 उद्देश्य
10.3 सामाजिक क्रिया के प्रारूप
10.4 सार संक्षेप
10.5 परिभाषिक शब्दावली
10.6 अभ्यास प्रश्न
10.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

10.1 परिचय

सामाजिक क्रिया का प्रारूप वास्तविक रूप से सामुदायिक संगठन, सामुदायिक विकास, सामाजिक आन्दोलन और गांधीयन समाज कार्य के प्रारूप पर आधारित है। यह सभी प्रकार के प्रारूप समाज के लिए सुधारात्मक एवं अतिवादी प्रारूपों पर आधारित है तथा समाज को एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। वास्तविक रूप से देखा जाए तो सामाजिक क्रिया के प्रारूप लोगों की सहभागिता एवं लोकतंत्रात्मक मूल्यों पर आधारित है। सामाजिक प्रारूपों की विवेचना अग्रलिखित की जा रही है।

10.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :–

- सामाजिक क्रिया के स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगें।
- सामाजिक क्रिया के स्वरूप का बिन्दुबार वर्णन प्रस्तुत कर सकेगें।
- सामाजिक क्रिया के स्वरूप की विवेचना कर सकेगें।

10.3 सामाजिक क्रिया के प्रारूप

सामाजिक क्रिया के प्रारूपों में अलग–अलग विद्वानों ने समय–समय पर अलग–अलग प्रारूप प्रस्तुत किये कुछ प्रारूप जो सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्थित प्रविधि के रूप में स्थापित करते हैं उनका वर्णन इस इकाई में कर रहे है। वास्तव में गांधीयन परम्परा के चिन्तन अतिवादी उपागमों पर अत्यधिक विश्वास करते हैं। गांधीयन एवं अतिवादी प्रारूप वाले चिंतक लोकशक्ति में विश्वास रखते है। वास्तव में कोई भी प्रारूप समाज की

आवश्यकताओं प्रक्रियाओं और लक्ष्यों पर आधारित होते हैं। किसी भी समाज में पूर्ण परिवर्तन केवल अतिवादी सुधार और अहिंसात्मक अथवा हिंसात्मक आंदोलनों से ही किया जा सकता है। वहीं पर राजनैतिक अथवा आर्थिक तंत्र में परिवर्तन हेतु पूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है।

समाज विज्ञान के तथ्य बताते है कि सामाजिक क्रिया, सामाजिक नीति, सामाजिक कल्याण, विकास और सामाजिक आंदोलन से सम्बन्धित है। कृषक आंदोलन के संदर्भ में अवलोकन करे तो सामाजिक क्रिया पूर्णतः जमीनी स्तर से शुरू हुई और इसकी सफलता पूर्ण राष्ट्रीय स्तर के सहयोग पर समाप्त हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसानों की समस्या हेतु सामाजिक क्रिया जो राजनैतिक दृढ़ इच्छा शक्ति और संगठनात्मक तथा शैक्षिक स्थिति से सम्बन्धित थी, वह जमीनी स्तर सहभागिता प्रारूप पर आधारित थी।

इस प्रकार हम सामाजिक क्रिया के प्रारूपों को विभिन्न अंग परिप्रेक्ष्यों में देखे तो पता चलता है कि सामाजिक क्रिया का प्रारूप अन्य कई विषयों के प्रारूपों से सम्बन्धित है। इसका प्रमुख सम्मुख कुछ प्रश्नों पर आधारित है। जैसे – समाज की मुख्य अवधारणा क्या होनी चाहिए ? वे कौन से लक्ष्य है जो सामाजिक क्रिया के द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं ? वे कौन से शोध एवं प्रविधियां है ? कौन–कौन से लोग अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगें ? कितने सदस्य है ? लोगों तथा राज्य की भूमिका क्या है ? समाज का आदर्शवाद क्या है ? इन तथ्यों के आधार पर अन्य प्रारूपों की रूपरेखा बनाई जा सकती है। कुछ ऐसे ही प्रारूप होते हैं, जो एक दूसरे के विरोधाभासी होते है। जैसे – संचेतनात्मक अथवा संघर्षात्मक प्रारूप यह प्रारूप वास्तव में अभ्यास में प्रयोग नही होता है लेकिन यह प्रारूप केवल निरन्तरता के विभिन्न स्तरों की व्याख्या करता है। सामाजिक क्रिया के किसी भी प्रारूप की विवेचना अग्रलिखित के रूप में करना चाहिए। 1. क्रिया की पहल कौन करेगा ? 2. यह किसके साथ होगी तथा कौन उत्तरदायी होगा ? 3. यह क्रिया कहां होगी ? प्रथम प्रश्न का उत्तर अभिकर्ता के रूप में ही है तथा इसके साथ राज्य भी पहल कई क्षेत्रों की नीतियां बनाने में कर सकता है तथा दूसरे प्रश्न का उत्तर सामाजिक क्रिया के लक्ष्य में व्यक्ति, समूह तथा समुदाय हो सकते हैं तथा सामाजिक क्रिया इन्हीं को लेकर क्रिया करेगी अथवा संस्थाओं और सभ्य लोगों को लेकर चलेगी, यह निर्णय अवश्य कर लेना चाहिए। तृतीय प्रश्न के आधार पर यह क्रिया राज्य स्तर पर हो सकती है जिसमें संस्थायें, समितियां, समूह और लोग जमीनी स्तर पर भाग लेगें, बाद में मध्यम स्तर पर क्रिया होगी तथा अन्त में वृहद स्तर पर सामाजिक क्रिया की जायेगी।

वास्तव में सामाजिक क्रिया का पहल किसी संस्थान अथवा संगठन द्वारा की जा सकती है मगर यह संस्थागत नही हो सकती है। सामाजिक क्रिया एक प्रक्रिया के रूप में चलती रहनी चाहिए। क्रिया को हमेशा क्रियान्वित रहना चाहिए जब तक कि लक्ष्यों की पूर्ति न हो

जाए। इन्हीं उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सामाजिक क्रिया की एक रूपरेखा प्रस्तुत की जा रही है जो अग्रलिखित है –

सामाजिक क्रिया के प्रारूप

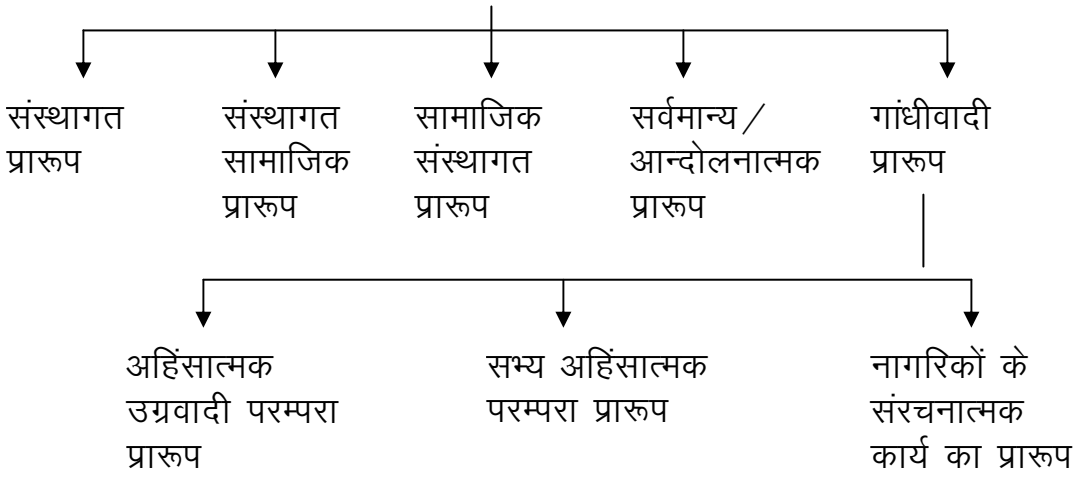

उपरोक्त चार्ट को हम बिन्दुबार अग्रलिखित वर्णन प्रस्तुत कर रहे है–

1. संस्थागत प्रारूप : इस प्रारूप के अन्तर्गत सामाजिक क्रिया बिना किसी सहभागिता के आधार पर कार्य करती है क्योंकि किसी भी राष्ट्र का परम कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को एक सौहार्दपूर्ण माहौल तथा कल्याणकारी योजनायें प्रदान करें, जिससे उसके नागरिक एक उच्च जीवन यापन कर सके। वास्तव में इस प्रकार के प्रारूप में सामान्य रूप से राज्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जन सहभागिता के साथ अथवा जन सहभागिता के बिना जन कल्याण हेतु कदम उठाता है। इस प्रारूप के अधीन संसद अथवा विधानमण्डल कोई कानून बनाता है और उसी के अनुरूप कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है। उदाहरण के लिए, अवैध बरितयों को कानून बनाते हुए मान्यता प्रदान करना।

2. संस्थागत सामाजिक प्रारूप : संस्थागत सामाजिक प्रारूप ऐसा प्रारूप है जो ऐच्छिक रूप से कार्य करने वाली संस्थायें अपनाती है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि कोई भी ऐच्छिक संस्था समाज के उत्थान के लिए कार्य करती है तथा वह चाहती है कि समाज अग्रेतर वृद्धि करे इस हेतु वह किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था से या तो अनुदान लेकर कार्य करती है अथवा बिना अनुदान के कार्य करती है, जिससे समाज की समस्यायें दूर होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब गैर सरकारी संस्थाएं अनुदान प्राप्त करते हुए या अनुदान के बिना जनहित में कार्यक्रम आयोजित करती है तो उसे संस्थागत सामाजिक प्रारूप कहते हैं। जन समर्थन धीरे–धीरे बढ़ने लगता है। प्रारम्भ में संस्था लोगों के लिए कदम उठाती है लेकिन कालान्तर में जनसमुदाय स्वयं उसे अपना लेता है।

3. सामाजिक संस्थागत प्रारूप : सामाजिक संस्थागत प्रारूप वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है ऐसा इसलिए कि समाज के लोग अपनी समस्याओं का निवारण एवं नियंत्रण स्वयं करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की सामाजिक क्रिया में सामाजिक सहभागिता अत्यन्त आवश्यक होती है क्योकि कोई भी सामाजिक लक्ष्य जो सामाजिक समस्याओं से जुड़ा हुआ हो तब तक प्राप्त नही हो सकता जब तक कि समाज के लोग जमीनी स्तर पर एक साथ एकत्रित होकर कार्य न करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रारूप के अर्न्तगत नागरिक, स्वयं सहायता समूह, तथा विशिष्ट जन अपने कल्याण के लिए सामाजिक क्रिया करते हैं। धीरे–धीरे वे औपचारिक समूहों तथा संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करते हैं।

4. सर्वमान्य/आन्दोलनात्मक प्रारूप : सर्वमान्य/आन्दोलनात्मक प्रारूप एक ऐसा प्रारूप है जिसे आदर्श प्रारूप कहा जाता है तथा यह प्रारूप लोगों को आत्मविश्वास के साथ समस्याओं से लड़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रकार के प्रारूप में लोग जब समस्याओं से त्रस्त हो जाते है तो वे एक मंच पर एक साथ एकत्रित होकर समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। यह प्रारूप लोगों को सामान्य तौर पर अहिंसात्मक क्रिया करने की प्रेरणा प्रदान करता है जिससे समस्या पैदा करने वाले कारक अपने आप ही विशाल जन समूह को देखते हुए अलग हो जाते है अथवा अलग कर दिये जाते हैं। इस प्रकार के प्रारूप में अधिकांश व्यक्ति परिवर्तन के लिए तैयार होते है विघ्न पैदा करने वाली सभी शक्तियों को जड़ से उखाड़ फैकते हैं तथा आत्मनिर्भरता पर बल देते हैं। इसमें व्यापक सहभागिता होती है और इसीलिए यह आदर्श प्रारूप माना जाता है।

5. गांधीवादी प्रारूप : गांधीवादी प्रारूप वास्तव में एक ऐसा प्रारूप है जो लोगों के अन्दर अध्यात्मिकता, विचारों की शुद्धता, अहिंसा तथा नैतिकता पर विशेष बल देता है। चूंकि यह प्रारूप गांधी जी के द्वारा बताये गये सामाजिक क्रिया प्रारूप पर आधारित है अतः इस प्रारूप के आधार पर महात्मा गांधी जी ने कई प्रकार के आन्दोलन किये जिनमें असहयोग आन्दोलन, डांडी यात्रामार्च इत्यादि प्रमुख थे। गांधी जी मानना था कि कोई भी सरकार चाहे वह राज सत्तात्मक हो अथवा लोकतंत्रात्मक हो उसे आसानी से समाज कल्याण हेतु मनाया जा सकता है क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति के सामने नैतिकता, अध्यात्मिकता का प्रदर्शन किया जाए तो उसका हृदय अवश्य परिवर्तित होगा, ऐसा इसलिए कि वह भी एक सामान्य हृदय का भी प्राणी होता है। इस प्रकार हम कह सकते है कि यह प्रारूप आध्यात्मिकता, उद्देश्यों तथा साधनों दोनों की शुद्धता, अहिंसा तथा नैतिकता पर बल देता है और इन्हीं साधनों के माध्यम से परिवर्तन का उद्देश्य पूरा करने पर बल देता है।

अ) अहिंसात्मक उग्रवादी परम्परा प्रारूप : अहिंसात्मक उग्रवादी परम्परा प्रारूप सामाजिक क्रिया का ऐसा प्रारूप है जो महात्मा गांधी द्वारा अपनाये गये अहिंसा, आन्दोलन से प्रेरित

है। इस प्रकार के प्रारूप में समाज के लोग किसी भी समस्या को दूर करने हेतु अहिंसात्मक आन्दोलनों का सहारा लेते है, लेकिन कभी–कभी वे उग्र भी हो जाते है ऐसा इसलिए कि उनके द्वारा किये जा आन्दोलन पर राज्य सरकार अथवा सरकार ध्यान नही देती है। चूंकि लोगों का लक्ष्य सामाजिक कल्याण से सम्बन्धित होता है। अतः वे उग्रवादी के अनुरूप कुछ ऐसी घटनायें कर जाते है जो हिंसा की श्रेणी में नही आती है लेकिन कहीं न कहीं उग्रवाद का समर्थन करती है। इस तरह की घटनाओं में रेल रोकना, यातायात रोकना, धरना देना इत्यादि आती है। इस प्रकार हम कह सकते है कि व्यक्ति, समूह, समुदाय, समाज इस प्रकार की क्रिया करता है जो उग्र होती है लेकिन हिंसा से परे होती है जो लक्ष्यों की पूर्ति हेतु की जाती है।

ब) सभ्य अहिंसात्मक परम्परा प्रारूप : सभ्य अहिंसात्मक परम्परा प्रारूप ऐसा प्रारूप है जिसमें समाज के सभ्य एवं विशेषज्ञ जनता समस्या को समाप्त करने के लिये प्रतिकात्मक आन्दोलन करती है जिनमें लोग अहिंसात्मक रूप से सरकारी तंत्र का विरोध करते हैं तथा सरकारी तंत्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का प्रतिरोध करते हैं। इस प्रकार सभ्य अहिंसात्मक परम्परा प्रारूप में लोग प्रतिकात्मक आन्दोलन करते हुए काली पट्टी तथा अन्य साधनों का उपयोग करते हैं जिससे उनकी आवाज सरकार तक पहुचे एवं उनकी समस्याओं का समाधान हो। इस प्रारूप को सभ्य अहिंसात्मक परम्परा प्रारूप इसलिए कहा जाता है कि इसमें भाग लेने वाले लोग एक ही समूह के होते हैं जो शिक्षित एवं विशेषज्ञ होते है।

स) नागरिकों के संरचनात्मक कार्य का प्रारूप : सामाजिक क्रिया का यह प्रारूप अमेरिका में अत्यधिक प्रिय है। वास्तव में इस प्रारूप का जन्म महात्मा गांधी द्वारा किये गये आन्दोलनों पर ही आधारित है। महात्मा गांधी जी मानना था कि समाज के व्यक्तियों को अपने कल्याण हेतु सरकार से मांग रखनी चाहिए लेकिन उसके साथ–साथ ऐसे संरचनात्मक कार्य करने चाहिए जिससे कि समाज उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे। उनका मानना था कि सभी प्रकार की समस्यायें केवल राज्य स्तर से ही नही सुलझायी जा सकती बल्कि इनका निराकरण स्वयं जनता भी कर सकती है।

सामाजिक क्रिया के उपरोक्त प्रारूपों के अलावा भी कुछ अन्य चिन्तकों ने अपने–अपने प्रारूप प्रस्तुत किये है जिनमें ब्रिटों ने भी सामाजिक क्रिया का प्रारूप प्रदान किया है। स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय सामाजिक संस्थाओं के रूप में कार्य करती है, इसका स्वरूप मुख्यतः दो बातों पर बल देता है, जैसा कि ब्रिटो ने उल्लेख किया है।

1. अभिजात वर्ग सामाजिक क्रिया प्रारूप : अभिजात वर्ग से अभिप्राय उस वर्ग से है जिसमें विषय–विशेषज्ञ एवं शिक्षित लोग आते हैं। अभिजात वर्ग के लोग सबसे पहले समस्या का

अवलोकन करके विचार विमर्श करते है तत्पश्चात् समस्या क्या है एवं समस्या का विस्तार क्या है तथा समस्या के उत्तरदायी कारक क्या है का गहन अध्ययन करते है उसके बाद सामाजिक क्रिया के माध्यम से समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। उपरिलिखित प्रारूप के अन्तर्गत ब्रिटो ने तीन उप–प्रारूपों का उल्लेख किया है :

अ) विधायी क्रिया प्रारूप : विधायी क्रिया वह क्रिया है जिसमें प्रयास किया जाता है कि समाज में व्याप्त समस्याओं को सामाजिक विधान बनाकर दूर किया जाए। इसके लिए समाज के कुछ अभिजात वर्ग के लोग समस्याओं का आंकलन कर उससे सम्बन्धित विधायी नीतियों का अवलोकन करते हैं। यदि अवलोकन में समस्या से सम्बन्धित कुछ विधान ऐसे होते है जो समस्या को दूर कर सकने में सक्षम होते हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन उचित तरीके से नही होता है। अतः उनमें संशोधन आवश्यक हो जाता है अथवा नये विधान बनाने की आवश्यकता होती है तो अभिजात वर्ग के लोग सामाजिक क्रिया के विभिन्न माध्यमों से सामाजिक नीति के अन्तर्गत बदलाव लाने की कोशिश करते है जिससे समस्याओं का निराकरण किया जा सके। अतः हम कह सकते है कि विधायी क्रिया प्रारूप के अन्तर्गत सामाजिक नीति में परिवर्तन लाने के लिए कुछ विशिष्ट व्यक्ति समस्या के प्रति समाज में जनचेतना का प्रसार करते हैं।

ब) स्वीकृत प्रारूप : इस प्रकार के प्रारूप में समाज के विशिष्ट व्यक्ति समाज के कल्याण हेतु तथा समाज को लाभ पहुंचाने के लिए समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक कारकों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो किसी भी समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक कारक समाज को एक उत्तरोत्तर दिशा प्रदान करते हैं। यदि इनका उचित नियंत्रण नही किया जाए तो ये समाज को गर्त में ले जा सकते है जिससे समाज का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। चूंकि राजनैतिक एवं धार्मिक कारक समाज का एक अभिन्न अंग है। अतः इसके प्रति समाज के लोगों को जागरूक होना आवश्यक होता है। देखे तो राजनैतिक कारक समाज के परिपाटी को प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर चलाता है वही धार्मिक कारक समाज में अध्यात्म एवं संतोष की भावना का प्रसार करता है। इस प्रकार इन उपरोक्त चारों कारकों पर यदि नियंत्रण कर लिया जाए तो समाज विकास उन्मुख हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज को लाभान्वित करने के लिए विशिष्ट व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि कारकों पर नियंत्रण करते हैं।

स) प्रत्यक्ष भौतिक प्रारूप : इस प्रकार के प्रारूप में समता के साथ न्याय पर समाज के अभिजात वर्ग के लोग विशेष ध्यान देते है तथा वे हमेशा यह प्रयास करते है कि समाज के दबे, कुचले वर्ग के लोगों को भी उचित न्याय मिले। इस प्रकार प्रत्यक्ष भौतिक प्रारूप में

न्याय को प्रोत्साहित करने एवं अन्याय के विरूद्ध आवाज उठाने में विशिष्ट व्यक्ति आगे आते हैं।

2. लोकप्रिय सामाजिक क्रिया प्रारूप : इस प्रारूप के अन्तर्गत ब्रिटो ने तीन उप प्रारूपों को सम्मिलित किया है :

अ) संचेतना प्रारूप : इस प्रकार के प्रारूप में जन साधारण के बीच जागरूकता का प्रसार किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि व्यक्ति अपनी समस्याओं की पहचान स्वयं कर ले तो समस्याओं को सुलझाने में ही प्रयास बेहतर तरीके से कर सकता है। इस प्रकार की सामाजिक क्रिया प्रारूप में प्रचार के माध्यम से लोगों के बीच में चेतना फैलायी जाती है जिससे समाज के जन सामान्य लोग समस्याओं के कारकों की पहचान कर सके तथा उनको दूर करने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रारूप के अन्तर्गत जन समुदाय को शिक्षित करके उनमें चेतना का प्रसार किया जाता है।

ब) द्वन्द्वात्मक प्रारूप : द्वन्द्वात्मक प्रारूप एक ऐसा प्रारूप है जो लोगों के बीच में सरकार एवं जनता के बीच में संघर्ष उत्पन्न करवाता है चूंकि किसी भी समाज की समस्या का निराकरण सरकारी तंत्र द्वारा नहीं किया जा रहा है तो उसके प्रति समाज के लोगों में असन्तोष व्याप्त हो जाता है जिससे जन सामान्य सरकारी तंत्र के प्रति रूष्ट होने लगता है तथा यही रूष्टता लोगों को एक मंच पर लाती है एवं सरकार के प्रति संघर्ष करने को प्रेरित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रारूप में यह विश्वास दिलाकर संघर्ष उत्पन्न किया जाता है कि कुछ समय के उपरान्त इससे अच्छी व्यवस्था हो जायेगी।

स) प्रत्यक्ष गतिशीलता प्रारूप : प्रत्यक्ष गतिशीलता प्रारूप में किसी विशेष कारण का होना आवश्यक है और यह कारण समसामयिक भी होना चाहिए। प्रत्यक्ष गतिशीलता प्रारूप का वर्तमान उदाहरण भ्रष्टाचार के लिये जन लोकपाल विधेयक पास करवाना है। भ्रष्टाचार निवारण के लिए आज सम्पूर्ण देश के नागरिक इसलिए एक जुट हो गये है क्योंकि कही न कहीं वे भी भ्रष्टाचार से ग्रसित है तथा वे भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रारूप में किसी विशेष कारण को लेकर जनसामान्य को हड़ताल के लिए उत्साहित किया जाता है।

10.4 सार संक्षेप

प्रस्तुत इकाई में सामाजिक क्रिया के प्रारूपों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है तथा इसमें बताया गया है कि सामाजिक क्रिया में कौन–कौन से प्रारूप होते है। इसी अध्याय में सामाजिक क्रिया के अभिजात वर्ग सामाजिक क्रिया प्रारूप, विधायी क्रिया प्रारूप, स्वीकृत प्रारूप, प्रत्यक्ष भौतिक प्रारूप, लोकप्रिय सामाजिक क्रिया प्रारूप, संचेतना प्रारूप, द्वन्द्वात्मक प्रारूप एवं प्रत्यक्ष गतिशीलता प्रारूप का वर्णन किया गया है। इसी इकाई में सामाजिक

क्रिया के अन्य प्रारूप जैसे संस्थागत, संस्थागत सामाजिक, सामाजिक संस्थागत, सर्वमान्य आन्दोलनात्मक एवं गांधी वादी प्रारूप का भी विशेष वर्णन किया गया है।

10.6 अभ्यास प्रश्न

1. सामाजिक क्रिया के प्रारूप के बारे में वृहद रुप से चर्चा कीजिए ?
2. सामाजिक क्रिया के संस्थागत, संस्थागत सामाजिक, सामाजिक संस्थागत, सर्वमान्य आन्दोलनात्मक एवं गांधी वादी प्रारूपों का वर्णन कीजिए ?

10.5 परिभाषिक शब्दावली

Model	प्रारूप	Gandhian Model	गांधीवादी प्रारूप
Social legislation	समाजिक विधान	Conflict model	द्वन्द्वात्मक प्रारूप
Direct mobilization model	प्रत्यक्ष गतिशीलता प्रारूप	Constructive work	संरचनात्मक कार्य
Elite class	अभिजात वर्ग	Institutional social Model	संस्थागत सामाजिक प्रारूप
Conscousness	संचेतना	Populistic/Movement	सर्वमान्य / आन्दोलनात्मक प्रारूप
Legislative action	विधायी क्रिया	Welfare schemes	कल्याणकारी योजनायें
Non-violent militancy	अहिंसात्मक उग्रवाद	Gross-root level	जमीनी स्तर
Violent militancy	हिंसात्मक उग्रवाद	Perspectives	परिप्रेक्ष्यों

10.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, डॉ0 सुरेन्द्र एवं मिश्र, डॉ0 पी0 डी0, समाज कार्य–इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियां, न्यू रॉयल बुक कम्पनी, लखनऊ, पेज 279–280, वर्ष 1998।
2. सिंह, ए0 एन0 एवं सिंह, ए0 पी0, समाज कार्य, रैपिड बुक सर्विस, लखनऊ, पेज 246, वर्ष 2007।
3. सिद्दीकी, एच0वाई0, सोशल वर्क एण्ड सोशल एक्शन–ऐ डेवलपमेन्टलप्रोस्पेक्टिव, हरनाम पब्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली, पेज 116–117, वर्ष 1983।

इकाई – 11

सामाजिक क्रिया की रणनीतियां और तकनीक

Stratigies & Technics of Social Action

इकाई की रूपरेखा

11.1 परिचय
11.2 इकाई का उद्देश्य
11.3 सामाजिक क्रिया रणनीतियां और तकनीक
11.4 सार संक्षेप
11.5 परिभाषिक शब्दावली
11.6 अभ्यास प्रश्न
11.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

11.1 परिचय

सामाजिक क्रिया की रणनितियां और तकनीक वास्तविक रूप से सामुदायिक संगठन, सामुदायिक विकास, सामाजिक आन्दोलन और गांधीयन समाज कार्य के रणनितियों और तकनीकों पर आधारित हैं। यह सभी प्रकार की रणनितियां और तकनीक समाज के लिए सुधारात्मक एवं अतिवादी रणनितियां और तकनीक पर आधारित हैं तथा समाज को एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयास करती हैं। वास्तविक रूप से देखा जाए तो सामाजिक क्रिया की रणनितियां और तकनीक लोगों की सहभागिता एवं लोकतंत्रात्मक मूल्यों पर आधारित हैं। सामाजिक रणनितियां और तकनीक की विवेचना अग्रलिखित की जा रही है।

11.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः –

- सामाजिक क्रिया के रणनितियों और तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगें।
- सामाजिक क्रिया के रणनितियों और तकनीकों का बिन्दुबार वर्णन प्रस्तुत कर सकेगें।
- सामाजिक क्रिया के रणनितियों और तकनीकों की विवेचना कर सकेगें।

11.3 सामाजिक क्रिया रणनीतियां और तकनीक

किसी भी प्रविधि को सफल बनाने में उस प्रविधि की रणनीतियां एवं तकनीक अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करती है। देखा जाए तो कोई भी प्रविधि के पास अगर उसकी स्वयं की रणनीति और तकनीकि न हो तो उसे प्रविधि नही कह सकते। सामाजिक क्रिया

भी समाज कार्य की एक ऐसी प्रविधि है जिसमें स्वयं की कुछ रणनीति एवं तकनीकि पायी जाती है जिससे यह सामाजिक समस्याओं को दूर करने में सहायता प्रदान करती है। रणनीतियों से तात्पर्य इस प्रकार की एक ब्यूह रचना से है जिसमें समस्याओं के निराकरण एवं नियंत्रण से सम्बन्धित कुछ ऐसी रचना की जाती है जिससे समस्या का निदान किया जा सके। सामाजिक क्रिया में कुछ ऐसी तकनीकियां भी पाई जाती है जो सामाजिक क्रिया को सहायता प्रदान करती है ये तकनीकियां समय–समय पर परिवर्तित होती रहती है। क्योंकि सामाजिक क्रिया सम सामयिक मुद्दों पर आधारित होती है। अतः इस प्रकार के मुद्दों को हल करने के लिए सामाजिक क्रिया को नई–नई तकनीकों का विकास करना होता है जिससे समस्या का समाधान हो सके।

सामाजिक क्राय समाज कार्य की एक सहायक प्रणाली है जिसका उपयोग समाज कार्यकर्ता द्वारा अन्य प्रणालियों में असफल होने के पश्चात् किया जाता है। कार्यकर्ता वैयक्तिक समाज कार्य, सामूहिक समाज कार्य, सामुदायिक संगठन, समाज कल्याण प्रशासन, समाज कार्य अनुसंधान का उपयोग जनमानस के कल्याण के लिए करने का प्रयास करता है और यदि वह उपरिलिखित प्रणालियों के माध्यम से कार्य करने में असफल हो जाता है, तो वह समाज कार्य की सहायक प्रणाली सामाजिक क्रिया के माध्यम से स्वस्थ जनमत तैयार करने एवं विधानों में आवश्यक परिवर्तन करने का प्रयास करता है। लीस ने सामाजिक क्रिया की तीन प्रकार की रणनीतियों का उल्लेख किया है :

1. सहभागिता की रणनीति : सामाजिक क्रिया कार्यकर्ता किसी भी समस्या को दूर करने के लिए अथवा नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले लोगों की सहभागिता से सम्बन्धित रणनीतियों का निर्माण करता है, ऐसा इसलिए कि कोई भी सामाजिक क्रिया तब तक सफल नही हो सकती जब तक जनसामान्य सामाजिक क्रिया में अपनी सहभागिता न करे। चूंकि सामाजिक क्रिया लोगों के कल्याण के लिए ही की जाती है। अतः सामाजिक क्रिया कार्यकर्ता जब जनसाधारण को समस्या की गम्भीरता के बारे में विस्तृत रूप से बताता है तो लोग समझ जाते है कि यह सामाजिक क्रिया उन्हीं के कल्याण हेतु की जा रही है। इस प्रकार सामाजिक क्रिया कार्यकर्ता के साथ जनसाधारण सहभागिता करने लगते है तथा सामाजिक क्रिया से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के आन्दोलनों में हिस्सा लेने लगते है। वास्तव में देखा जाए तो सहभागिता की रणनीति एक जमीनी स्तर की रणनीति है। क्योंकि इसमें लोग मन से वचन से तथा कर्म से सहभागिता करते है एवं सामाजिक क्रिया को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करते है। इस प्रकार हम कह सकते है कि सहभागिता की रणनीति के अन्तर्गत कार्यकर्ता स्वस्थ जनमत तैयार करता है और सामाजिक नीतियों को परिवर्तित करने के लिए जन सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। इस रणनीति के माध्यम से

जनसमुदाय की रूचियों, मूल्यों और व्यवहारों में परिवर्तन होता है, इसमें आपसी विद्वेष की भावना नहीं आती और न ही किसी की शक्ति का हांस होता है।

2. प्रतिस्पर्धा की रणनीति : प्रतिस्पर्धा की रणनीति में सामाजिक क्रिया कार्यकर्ता समाज के लोगों के बीच विभिन्न प्रकार के मुद्दों के अन्तर्गत विशिष्ट मुद्दों पर लोगों के विचार जानने की कोशिश करता है तथा उन्हीं के अनुसार प्रमुख मुद्दों पर सामाजिक क्रिया करने हेतु उन्हीं को प्रेरित करता है। इस प्रकार की रणनीति में सामाजिक क्रिया कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार के प्रचार एवं प्रसार सामग्री का उपयोग करते हुए जैसे रैली, पर्चो का वितरण, भाषण, होर्ड़िग एवं विभिन्न प्रकार के ध्वनि प्रसारक यंत्रों का उपयोग करते हुए जन सामान्य को समस्या की गम्भीरता के बारे में जागरूक करता है। वास्तव में देखा जाए तो समाज अगर किसी भी प्रकार की समस्या के बारे में प्रचुर जानकारी प्राप्त कर ले तो समाज के लोग समस्या को दूर करने हेतु सामाजिक क्रिया के लिए उपस्थित हो जाते है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा की रणनीति में सामाजिक कार्यकर्ता प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से वर्तमान परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए नेतृत्व इस रणनीति का उपयोग करता है। नेतृत्व के द्वारा ऐसे कार्यक्रमों का चयन किया जाता है कि जिससे समूह या समुदाय के सदस्य अपने उत्तरदायित्वों का उचित रूप से निर्वहन करते हुए कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता करें और विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति के लिए प्रयास करें।

3. व्यवधानात्मक रणनीति : व्यवधानात्मक रणनीति के अन्तर्गत समाज के लोग जब किसी भी समस्या से ग्रसित हो जाते है तथा पूर्णरूप से अपने आपको असहाय पाते है तो वे सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगते है। यह आवाज भूख हड़ताल, बहिष्कार, तालाबन्दी, के रूप में होती है। वास्तव में देखा जाए तो व्यवधानात्मक रणनीति सामाजिक क्रिया की बहुत ही प्रिय एवं पुरानी रणनीति है। इस प्रकार यह रणनीति पूर्णतः हड़ताल, बहिष्कार, भूख हड़ताल, कर अदायगी न करने, प्रचार एवं प्रसार, तालाबन्दी आदि से सम्बन्धित है, इसमें जनमानस वर्तमान परिस्थिति के विरूद्ध असन्तोष प्रकट करता है और ऐसा वह नेतृत्व के द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखकर करता है।

ली ने नौ प्रकार की तकनीकों का वर्णन किया है तथा उन्होनें बताया है कि यह सभी प्रकार की तकनीक सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में प्रयोग किये जाने चाहिए। वर्तमान में सभी प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ता इन्हीं तकनीकों का प्रयोग करते हैं। ली द्वारा बताये गये तकनीकियां अग्रलिखित है –

तकनीक	**स्तर**
1. अनुसंधान 2. शिक्षा	जगरूकता का विकास करना

3. सहयोग 4. संगठन 5. विवाचन	संगठन
6. समझौता 7. सूक्ष्म उत्पीड़न	रणनीतियां
8. विधिक मूल्यों को न मानना 9. संयुक्त क्रिया	क्रिया

उपरोक्त सभी प्रकार की तकनीकियों का वर्णन हम अग्रलिखित प्रस्तुत कर रहे है जिससे सामाजिक क्रिया की तकनीक को समझने में आसानी होगी।

1. अनुसंधान : अनुसंधान तकनीकि ऐसी तकनीक है जिसमें समस्या के बारे में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर जानकारी प्राप्त की जाती है। सामाजिक क्रिया के अन्तर्गत कोई भी सामाजिक क्रिया कार्यकर्ता अथवा संगठन समस्या की भयावहता एवं स्थिति को जानने के लिए सर्वप्रथम अनुसंधान तकनीकि का ही सहारा लेता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि अनुसंधान वैज्ञानिक रूप से किया जाए तो समस्या के सांख्यिकीय आंकड़े स्पष्ट हो जाते है तथा इन आंकड़ों को जनमानस एवं सरकार के समक्ष रखकर सामाजिक परिवर्तन की लहर पैदा की जा सकती है। देखा जाए तो अनुसंधान वास्तविक सच्चाई को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा सामाजिक कार्यकर्ता एवं समाज के लोगों को समस्या निवारण एवं परिवर्तन हेतु प्रेरित करता है।

2. शिक्षा : शिक्षा वह तकनीकि है जिसमें सामाजिक क्रिया कार्यकर्ता समाज के लोगों के बीच समस्या से सम्बन्धित जागरूकता फैलाता है तथा लोगों के मन में शिक्षा के द्वारा समस्या की वास्तविक स्थिति रखता है। चूंकि शिक्षा समाज का अभिन्न अंग है जिससे समाज के लोग जागरूक होते है एवं अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए सामाजिक समस्याओं एवं सामाजिक मुद्दों के निवारण हेतु आगे आते है। सामाजिक क्रिया की तकनीकि के रूप में शिक्षा का दूसरा स्थान है तथा यह तकनीक सामाजिक क्रिया के जागरूकता विकास के रूप में अपना स्थान रखती है।

3. सहयोग : सहयोग एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से सामाजिक क्रिया कार्यकर्ता समाज के लोगों को एक साथ एकत्रित कर सहायता लेता है तथा समस्या के प्रति उनकी मनोवृत्तियों को जागृत कर क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। सहयोग की तकनीक सामाजिक क्रिया के संगठन चरण के अर्न्तगत कार्य करती है।

4. संगठन : चूंकि हम जानते है कि कोई भी सामाजिक क्रिया सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अथवा संगठन द्वारा की जाती है। चूंकि यदि सामाजिक क्रिया के किसी संगठन के द्वारा

की जाये तो उसका मूल्य लोगों के मनोभावों में ज्यादा होता है तथा जनता तीव्रगति से समस्या निवारण हेतु एकत्रित होती है। यह तकनीक सामाजिक क्रिया के संगठन स्तर पर कार्य करती है।

5. विवाचन : विवाचन वह तकनीक है जिसमें सामाजिक क्रिया कार्यकर्ता सामाजिक मुद्दों एवं समस्याओं को वैधानिक रूप से जनसामान्य के सामने विशेषज्ञ व्यक्तियों द्वारा विवेचित कराता है तथा समस्या की वैधानिक स्थिति को स्पष्ट करता है जब जनसाधारण लोग विवाचन के माध्यम से समस्या की वैधानिक स्थिति से परिचित हो जाते है तो वे सामान्य रूप से सामाजिक क्रिया हेतु प्रेरित होते है तथा सामाजिक क्रिया में भाग लेते है। यह तकनीक सामाजिक क्रिया के संगठन स्तर पर कार्य करती है।

6. समझौता : समझौता तकनीक वह तकनीक है जिसके अन्तर्गत समस्या से ग्रसित लोग सरकारी तंत्र अथवा नियोजक से कुछ मुद्दों पर समझौता करते है तथा इसमें सामाजिक समस्या को दूर करने हेतु दोनों पक्षों के बीच मध्यम स्तर की पहल को अपनाया जाता है। यह तकनीक वास्तव में नौ लॉस, नो गेन पर आधारित है। यह तकनीक सामाजिक क्रिया की रणनीति स्तर पर कार्य करती है।

7. सूक्ष्म उत्पीड़न : सूक्ष्म उत्पीड़न तकनीक में सामाजिक क्रिया कार्यकर्ता सामाजिक लोगों को एक साथ लेकर सरकारी तंत्र के खिलाफ कुछ ऐसी प्रविधियों का उपयोग करते है जिससे सरकारी तंत्र के लोग कठिनाई महसूस करे तथा समस्या के प्रति चिन्तन करे और समस्या को दूर करने के लिए कार्यक्रमों का निर्माण करे। इस प्रकार की तकनीक में रोड़ जाम एवं तोड़ फोड़ की क्रिया को अपनाया जाता है। यह तकनीक भी सामाजिक क्रिया की रणनीति स्तर पर कार्य करती है।

8. विधिक मूल्यों को न मानना : विधिक मूल्यों को न मानने की तकनीकि के अन्तर्गत सामाजिक क्रिया द्वारा जनसाधारण ऐसा प्रयास करता है कि सरकार द्वारा बनाये गये विधानों का विरोध हो जिससे सरकार तक जनता की आवाज पहुंचे और सरकार लोगों की समस्यायें सुनने के लिए विवश हो तथा जन साधारण की समस्या दूर हो सके। यह तकनीक सामाजिक क्रिया के क्रिया स्तर पर कार्य करती है।

9. संयुक्त क्रिया : संयुक्त क्रिया तकनीक सामाजिक क्रिया तकनीकि सबसे अन्तिम तकनीक है जिसमें सरकार यदि उपरोक्त सभी प्रकार के तकनीकों के आधार पर समस्या का निवारण नही करती है तो इस तरह की तकनीक को अपना कर समाज के सभी वर्ग के लोग एक साथ इकट्ठा होकर क्रिया करते है तथा सामाजिक क्रिया के विभिन्न प्रविधियों के द्वारा अपनी समस्या को हल करने का प्रयास करवाते है। यह तकनीक सामाजिक क्रिया की क्रिया स्तर पर कार्य करती है।

11.3 सार संक्षेप

प्रस्तुत इकाई में सामाजिक क्रिया के रणनीतियों के बारे में विस्तृत रूप से बिन्दुबार चर्चा प्रस्तुत की गई है जिसमें सभी प्रकार की रणनीतियों को सम्मिलित किया गया है। इसी इकाई में सामाजिक क्रिया की तकनीकों के बारे में भी प्रकाश डाला गया है तथा सामाजिक क्रिया के तकनीकों का बिन्दुबार विवरण दिया गया है।

11.5 अभ्यास प्रश्न

1. सामाजिक क्रिया की रणनीति से आप क्या समझते है ?
2. सामाजिक क्रिया की रणनीति पर एक निबन्ध लिखिए ?
3. सामाजिक क्रिया की तकनीकि से आप क्या समझते है ?
4. सामाजिक क्रिया की तकनीकि पर एक निबन्ध लिखिए ?
5. अग्रलिखित पर टिप्पणी लिखिए ?
   1. सहभागिता की रणनीति
   2. प्रतिस्पर्धा की रणनीति
   3. व्यवधानात्मक रणनीति
6. अग्रलिखित पर टिप्पणी लिखिए ?
   1. अनुसंधान
   2. शिक्षा
   3. सहयोग
   4. संगठन
   5. विवाचन
   6. समझौता
   7. सूक्ष्म उत्पीड़न
   8. विधिक मूल्यों को न मानना
   9. संयुक्त क्रिया

11.4 परिभाषिक शब्दावली

Research	अनुसंधान	Developing Awareness	जागरूकता का विकास करना
Cooperation	सहयोग	Strategies	रणनीतियां
Organization	संगठन	Tactics	त्कनीक
Arbitration	विवेचन	Association	स्हवास
Negotiation	समझौता	Service	स्वा

Mild Coercision	सूक्ष्म उत्पीड़न	Resistance	प्रतिकार
Legal Norms	विधिक मूल्य	Changeof Climate	पर्यावरण का परिवर्तन
Joint Action	संयुक्त प्रयास	Building	निर्माण करना

11.6 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, डॉ0 सुरेन्द्र एवं मिश्र, डॉ0 पी0 डी0, समाज कार्य–इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियां, न्यू रॉयल बुक कम्पनी, लखनऊ, पेज 269, वर्ष 1998।
2. सिद्धीकी, एच0वाई0, सोशल वर्क एण्ड सोशल एक्शन– ए डेवलपमेन्टल प्रोस्पेक्टिव, हरनाम पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पेज 19–20, वर्ष 1983।

इकाई – 12

सामाजिक क्रिया : समाज कार्य की प्रविधि के रूप में

Social Action as a Technique of Social Work

इकाई की रूपरेखा

12.1 इकाई का उद्देश्य
12.2 परिचय
12.3 सामाजिक क्रिया समाज कार्य की प्रविधि के रूप में
12.3.1 सामाजिक क्रिया की परिभाषाएँ
12.3.2 सामाजिक क्रिया की विशेषताएँ
12.3.3 सामाजिक क्रिया के उद्देश्य
12.3.4 सामाजिक क्रिया के मूल तत्व
1.3.5 सामाजिक क्रिया के चरण
12.3.6 सामाजिक क्रिया के क्रमानुसार सिद्धांत
12.3.7 सामाजिक क्रिया की विशेष प्रणालियां तथा प्रविधियां
12.3.8 सामाजिक अनुमोदन
12.4 सार संक्षेप
12.5 अभ्यास प्रश्न
12.6 परिभाषिक शब्दावली
12.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

12.1 परिचय

सामाजिक क्रिया को एक संगठित सामूहिक प्रक्रिया कहा जा सकता है, इसके द्वारा सामान्य सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है और समाज कल्याण को प्रोत्साहन मिलता है। सामाजिक क्रिया के अन्तर्गत समाज कार्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जनमत का सहारा लिया जाता है। यह ऐसी क्रियाओं, प्रक्रियाओं को इंगित करती है जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है और जो वैधानिक रूप से अपनी कसौटी पर खरे उतरते है। आज भी इस सम्बन्ध में कई भ्रम बने हुए है कि सामाजिक क्रिया को समाज कार्य की एक पृथक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाये या नहीं। इसके बाद भी समाज कार्य में इसका उपयोग अत्यन्त प्रभावकारी ढंग से किया जाता रहा है।

12.2 उद्देश्य

इकाई का उद्देश्य – इस इकाई को पढ़ने के बाद आप –

1. सामाजिक क्रिया समाज कार्य की प्रविधि के रूप में किस प्रकार हो सकती है कि जानकारी प्राप्त कर सकेगें।
2. सामाजिक क्रिया की परिभाषाओं के बारे में लिख सकेगें।
3. सामाजिक क्रिया की विशेषताओं को जान सकेगें।
4. सामाजिक क्रिया के उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेगें।
5. सामाजिक क्रिया के मूल तत्वों के बारे में लिख सकेगें।
6. सामाजिक क्रिया के चरणों को जान सकेगें।
7. सामाजिक क्रिया के क्रमिक सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकेगें।
8. सामाजिक क्रिया की विशेष प्रणालियों तथा प्रविधियों के बारे में लिख सकेगें।
9. सामाजिक क्रिया के सामाजिक अनुमोदन के बारे में जान सकेगें।

12.3 सामाजिक क्रिया समाज कार्य प्रविधि के रूप में

किसी भी प्रविधि को समाज कार्य की प्रविधि के रूप में स्थापित होने के लिए कुछ तथ्यों की आवश्यकता होती है। अतः वे तथ्य अग्रलिखित है सामाजिक क्रिया की परिभाषाएँ, सामाजिक क्रिया की विशेषताएँ, सामाजिक क्रिया के उद्देश्य, सामाजिक क्रिया के मूल तत्व, सामाजिक क्रिया के चरण, सामाजिक क्रिया के क्रमानुसार सिद्धांत, सामाजिक क्रिया की विशेष प्रणालियां तथा प्रविधियां एवं सामाजिक अनुमोदन।

इन सभी माध्यमों से हम कह सकते हैं कि सामाजिक क्रिया समाज कार्य की प्रविधि के रूप में कार्य करती है। इन तथ्यों का बिन्दुबार अवलोकन करेगें यदि ये तथ्य सामाजिक क्रिया में पाये गये तो सामाजिक क्रिया को हम सामजिक क्रिया को समाज कार्य की प्रविधि के रूप में मान सकते हैं।

जब हम समाज कार्य के इतिहास का अध्ययन एवं अवलोकन करते हैं तब यह बात स्पष्ट हो जाती है कि समाज कार्य मानवतावाद पर आधारित है। निर्धन, निराश्रित, असहाय, शोषण का सरलतापूर्वक शिकार बनने वाले वर्गो एंव अनाथ व्यक्यिों की सहायता का उत्तरदायित्व समाज कार्य के द्वारा आरम्भिक काल से ही स्वीकार किया गया है और समाज कार्य ने समता के साथ न्याय को प्रोत्साहित किया है। समाज कार्य मात्र व्यक्ति की मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान ही नहीं करता वरन् समूह या समुदाय की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिकता के आधार पर अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए सहायता करता है।

सामाजिक क्रिया समाज कार्य की एक सहायक प्रणाली है। समाज कार्य के अन्तर्गत कार्यकर्ता सेवार्थियों की सहायता करने के लिए इस प्रणाली का उपयोग करता है। इसकी

अवधारणा का उदय 1922 में मेरी रिचमण्ड द्वारा उल्लिखित समाज कार्य की चार प्रणालियों के अन्तर्गत माना जाता है। 1950 में जॉन फिच ने एक कान्फ्रेन्स में सामाजिक क्रिया की प्रकृति के ऊपर एक महत्वपूर्ण निबन्ध प्रस्तुत किया, इसके उपरान्त सामाजिक क्रिया की परिवर्तित अवधारणा का उदय होना आरम्भ हो गया। सन् 1945 में केनिथ एलियम प्रे के द्वारा 'सोशल वर्क एण्ड सोशल ऐक्शन' नाम से एक लेख लिखा गया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि सामाजिक क्रिया सामुदायिक संगठन का एक अंग नहीं है, यह समाज कार्य की अलग प्रणाली है, लेकिन धीरे–धीरे इस बात को स्वीकार किया जाने लगा कि सामाजिक क्रिया में कार्य वृहद स्तर पर होता है जबकि सामुदायिक संगठन में कार्य एक सीमित क्षेत्र के अन्तर्गत किया जाता है। आज वर्तमान में इस बात से अधिकांश लोग सहमत है और इन्होनें सामाजिक क्रिया को समाज कार्य की एक सहायक प्रणाली के रूप में स्वीकार किया है।

12.3.1 सामाजिक क्रिया की परिभाषाएँ

विभिन्न समाज कार्यकर्ताओं और विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक क्रिया को पृथक–पृथक ढंग से परिभाषित किया है, नीचे कुछ बुद्धिजीवियों की परिभाषाओं का वर्णन किया जा रहा है।

मेरी रिचमण्ड (1922) के अनुसार ''सामाजिक क्रिया प्रचार एवं सामाजिक विधान के माध्यम से जान समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करती है।''

ग्रेस क्वायल (1937) के अनुसार ''समाज कार्य के एक भाग के रूप में सामाजिक क्रिया सामाजिक पर्यावरण को इस प्रकार बदलने का प्रयास है जो हमारे विचार में जीवन को अधिक संतोषजनक बनायेगा। यह मात्र व्यक्ति विशेष को ही प्रभावित नहीं करता वरन् सामाजिक संस्थाओं, कानूनों, प्रथाओं और समूहों एवं समुदायों को भी प्रभावित करता है।''

सैनफोर्ड सोलेण्डर (1957) के अनुसार ''समाज कार्य के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक क्रिया वैयक्तिक, सामूहिक या अन्तर्सामूहिक प्रयास की प्रक्रिया है जो समाज कार्य के दर्शन, ज्ञान और निपुणताओं की सीमा के अन्दर सम्पादित की जाती है। इसका उद्देश्य सामाजिक नीति और सामाजिक संरचना में संशोधन करके समुदाय के कल्याण को प्रगति के पथ पर अग्रसित करना है एवं कार्यक्रमों और सेवाओं की प्राप्ति के लिए कार्य करना है।''

हिल जान (1951) के अनुसार ''सामाजिक क्रिया को व्यापक सामाजिक समस्याओं के समाधान का संगठित प्रयास कहा जा सकता है या मौलिक सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं या व्यवहारों को प्रभावित करके वांछित सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित सामूहिक प्रयास कहा जा सकता है।''

फ्रीडलैण्डर (1963) के अनुसार ''सामाजिक क्रिया एक वैयक्तिक, सामूहिक एवं सामुदायिक प्रयास है जिसे समाज कार्य के दर्शन एवं व्यवहार की संरचना के अन्तर्गत किया जाता है

और इसका उद्देश्य सामाजिक नीतियों में परिवर्तन लाते हुए सामाजिक प्रगति को प्राप्त करना एवं स्वास्थ्य तथा कल्याण सेवाओं को विकसित करना है।''

उपरिलिखित परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि ''सामाजिक क्रिया सामाजिक उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक नीतियों में परिवर्तन लाती है और जन कल्याण के लिए सहभागिता को प्रोत्साहित करती है, जिससे समाज के कल्याण में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके।''

12.3.2 सामाजिक क्रिया की विशेषताएँ

सूदन के अनुसार सामाजिक क्रिया की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :

1. सामाजिक क्रिया के उद्देश्य सामान्य रूप से और विशिष्ट रूप से स्पष्टता से परिभाषित होते हैं;
2. सामाजिक क्रिया संस्था द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की अंगभूत होती है। इसे स्पष्ट किया जाता है और इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रशासकीय साधन जुटाये जाते हैं;
3. सामाजिक क्रिया के कार्यक्रमों की प्राथमिकता स्पष्ट की जाती है;
4. उन समूहों के लिए जिन पर सामाजिक क्रिया का उत्तरदायित्व होता है, सही सूचनाओं को पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है;
5. संस्था के संगठन के अनुसार ही सामाजिक क्रिया का रूप परिभाषित किया जाता है;
6. सामाजिक क्रिया के कार्यक्रमों के लिए व्यावसायिक कार्यकर्ताओं को सेवाएँ प्रदान की जाती है;
7. अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग की दिशाओं को स्पष्ट किया जाता है;
8. प्रमुख सरकारी विभागों और अधिकारियों से निरन्तर कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, और
9. सामाजिक क्रिया के विशेष कार्यक्रम को विचारपूर्वक नियोजित किया जाता है।

उपरिलिखित विशेषताओं का विश्लेषण एवं अवलोकन करने के पश्चात् सामाजिक क्रिया की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया जा रहा है:

1. सामाजिक क्रिया किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय द्वारा आरम्भ की जा सकती है, क्योंकि सामाजिक क्रिया में सामूहिक क्रिया का होना आवश्यक होता है। इसमें समूह या समुदाय के लोग सहभागिता करते हैं;
2. सामाजिक क्रिया में सभी समूह के सदस्य या समुदाय सम्मिलित होते हैं और अन्तःक्रिया प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है।
3. सामाजिक क्रिया सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक नीतियों में परिवर्तन लाती हैं; और

4. सामाजिक क्रिया सामाजिक विधान के अनुरूप की जाती है, इसमें किसी का व्यक्तिगत लाभ न होकर सामूहिक लाभ होता है।

12.3.3 सामाजिक क्रिया के उद्देश्य

सामाजिक क्रिया के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

1. सामाजिक नीतियों के कार्यान्वयन में एक व्यापक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करना,
2. स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में स्थानीय, प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर किये जा रहे कार्यो को सम्पादित करना,
3. संस्थाओं एवं समाज कार्यकर्ताओं के माध्यम से एकत्रित की गई सामाजिक सूचनाओं को समुदायों को उपलब्ध कराना,
4. सूचनाओं के विषय में विशिष्ट ज्ञान का प्रयोग करते हुए समुदायों को सुलभता से समझने में सहायता करना,
5. असंगठित एवं अविकसित समूहों के विकास के लिए आवश्यक सेवाओं का प्रावधान करना,
6. सामाजिक आँकड़ों, को एकत्रित करते हुए सूचनाओं का विश्लेषण करना,
7. सामाजिक समस्याओं के प्रति समुदाय में जागरूकता और प्रबोध का विकास करना, और सामुदायिक नेताओं का समर्थन प्राप्त करना,
8. नीतियों एवं कार्यक्रमों को सरकार द्वारा स्वीकृत करने एवं कार्यान्वित करने का प्रयास करना,
9. विभिन्न ऐसे साधनों की खोज करना जो समुदाय से परे है।
10. समाज कार्य के मूल्यों की मान्यता और सरकारी तथा गैर–सरकारी कार्यक्रमों के विकास एवं सरकार द्वारा समाज कार्य का प्रयोग कराने के लिए समर्थन प्राप्त करना।

12.3.4 सामाजिक क्रिया के मूल तत्व

सामाजिक क्रिया समाज कार्य की सहायक प्रणाली है। यह सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक नीतियों में आवश्यक परिवर्तन करती है साथ ही सामाजिक विधानों को भी परिवर्तित करने का प्रयास करती है। सामाजिक क्रिया में निम्नलिखित विभिन्न तत्व विद्यमान होते हैं :

1. समूह अथवा समुदाय की सक्रियता : सामाजिक क्रिया की सफलता का प्रमुख आधार समूह अथवा समुदाय की सक्रियता होती है। समूह अथवा समुदाय अपने विकास के लिए जितना अधिक सक्रिय होगा उतनी ही सामाजिक क्रिया के सफल होने की सम्भावन, होती है। जागरूकता एवं सक्रियता के लिए आवश्यक है कि समुदाय या समूह में दृढ़ इच्छा

शक्ति हो, उनके अपने समूह या समुदाय में हम की भावना हो, एकता एवं उत्तरदायित्व निर्वहन करने की क्षमता हो, प्रत्येक सदस्य में विकास की ललक हो।

2. जनतांत्रिक नेतृत्व : समाजिक क्रिया में नेतृत्व की नितान्त आवश्यकता होती है। किसी कार्यक्रम की सफलता में नेतृत्व की अहम् भूमिका होती है, अतः नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का चयन सम्बन्धित समूह या समुदाय की सहमति से किया जाना चाहिए।

3. जनतांत्रिक कार्य–प्रणाली : समाजिक क्रिया के अन्तर्गत आवश्यक है कि जो पद्धति अपनायी जाये वह सामाजिक कल्याण एवं जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो, क्योंकि समाज कार्य का दर्शन मानवतावाद पर आधारित है, इसलिए सामाजिक क्रिया में जनतांत्रिक कार्य–प्रणाली की नितान्त आवश्यकता होती है।

4. साधनों की व्यवस्था : समाजिक क्रिया को आरम्भ करने से पहले सम्बन्धित अथवा समुदाय के सभी भौतिक–अभौतिक साधनों पर पूर्ण रूप से विचार किया जाय। साधनों का उपयोग करते समय उनके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावों का ध्यान रखना आवश्यक होता है।

5. साधनों और समस्या में समन्वय : साधनों के विषय में उपयुक्त ज्ञान होने के उपरान्त ही समस्या का चुनाव किया जाना चाहिए। समस्या चुनाव के लिए आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाना आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि सामाजिक क्रिया को आरम्भ करने से पहले समस्या से सम्बन्धित अभिलेखों एवं साहित्य का भली–भांति अध्ययन कर लिया जाये।

6. समूह या समुदाय के सदस्यों की सहभागिता : सामाजिक क्रिया की सफलता के लिए आवश्यक है कि समूह या समुदाय के सदस्य अपने उत्तरदायित्वों का सही से निवर्हन करते हुए सहभागिता करें एवं कार्यक्रम के निर्माण तथा कार्यान्वयन में उचित भागीदारी करें।

7. स्वस्थ जनमत : सामाजिक क्रिया की सफलता में स्वस्थ जनमत का होना आवश्यक है, इससे सदस्यों में नीरसता नहीं आने पाती और कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहता है। स्वस्थ जनमत के विकास के लिए समाचार पत्रों, रेडियों, टेलीविजन, सार्वजनिक सभाओं एवं मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों का उपयोग आवश्यक होता है।

12.3.5 सामाजिक क्रिया के चरण

सामाजिक क्रिया में विभिन्न चरणों का उपयोग करते हुए एक कुशल समाज कार्यकर्ता समूह या समुदाय को लाभान्वित करता है। किसी भी कार्य को करने के लिए चरणों की नितान्त आवश्यकता होती है और व्यक्ति, समूह या समुदाय चरणबद्ध प्रक्रिया को अपनाकर आगे बढ़ता जाता है। समाज कार्य एक सहायता प्रक्रिया है जिसमें कार्यकर्ता पृथक–पृथक ढंगों से करता है। सामाजिक क्रिया के चरणों को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा रहा है:

1. समस्या की पहचान : यह सामाजिक क्रिया का पहला चरण होता है, इसमें समस्या की प्रकृति के साथ–साथ समस्या कितनी अधिक गहन है, का पता लगाया जाता है। समस्या

के कारणों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है, किये गये प्रयासों की प्रभावपूर्णता का पता लगाया जाता है।

2. संरचनात्मक–कार्यात्मक विश्लेषण : इसके अन्तर्गत यह पता लगाया जाता है कि समस्या का मूल क्या है ? और समुदाय की संरचना कैसी है ? समुदाय की आन्तरिक एवं बाह्य शक्तियों के विषय में जानकारी की जाती है।

3. रणनीतियाँ : सामाजिक क्रिया की सफलता उसकी रणनीतियों पर निर्भर करती है। रणनीतियों के विषय में पार्टर ली ने तीन प्रकार की रणनीतियों को सामाजिक क्रिया में सम्मिलित किया हैः सहयोग, प्रतिस्पर्धा और विघटनकारी रणनीतियों। सामाजिक क्रिया में उपरिलिखित रणनीतियों के अतिरिक्त अन्य और भी रणनीतियों का उपयोग किया जाता है जिन पर इसी अध्याय में आगे विस्तृत चर्चा की गई है।

4. जन–सहभागिता : समूह या समुदाय अपने उत्तरदायित्वों का उचित रूप से निर्वहन करते हुए सफल सामाजिक क्रिया के लिए सहभागिता करे, इस बात को इस चरण के अन्तर्गत प्रोत्साहित किया जाता है। अधिक से अधिक जन–सहभागिता सामाजिक क्रिया की सफलता में सहायक होती है।

5. कार्य योजना : सामाजिक क्रिया के इस चरण के अन्तर्गत कार्य योजना तैयार की जाती है और अनेक कार्य योजनाओं पर विचार किया जाता है। सर्वोत्तम कार्यक्रम के चयन के लिए लागत, प्रयास, परिणाम प्रभावपूर्णता, स्वीकृति आदि के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम का विश्लेषण किया जाता है।

6. कार्यान्वयन : कार्ययोजना बनाने के उपरान्त कार्यक्रम का कार्यान्वयन सामाजिक क्रिया का अगला चरण है। समूह या समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ऐसे कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाता है, जिनसे समाज के अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।

7. मूल्यांकन : सामाजिक क्रिया में रणनीतियों की सफलता, प्रयासों की प्रभावपूर्णता, प्रयासों की कमियों आदि का मूल्यांकन किया जाता है। कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का मूल्यांकन करना एवं नयी रणनीतियों को तैयार करना मूल्यांकन में आवश्यक है। मूल्यांकन निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया होती है।

12.3.6 सामाजिक क्रिया के सिद्धान्त

सामाजिक क्रिया में जो शक्ति कार्य करती है वह कोई अलग शक्ति नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज कार्य का प्रजातांत्रिक पद्धति में विश्वास ही है। सामाजिक क्रिया का समाज कार्य से किस प्रकार का सम्बन्ध है यह तो सुधार की ऐतिहासिक समीक्षा से स्पष्ट हो सकता है जहां कई समाज सुधारकों ने व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से सामाजिक परिस्थितियों को परिवर्तित करने एवं सुधारने का अथक प्रयास किया और प्रयासों में अन्ततोगत्वा सफल

भी हुए। सामाजिक क्रिया के सिद्धान्तें के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत चर्चा करने पर ज्ञात होता है कि सामाजिक क्रिया नीतियों में परिवर्तन करती है और स्वस्थ जनमत का निर्माण करती है। नीचे सामाजिक क्रिया के प्रमुख सिद्धान्तों का वर्णन किया जा रहा है।

1. विश्वसनीयता का सिद्धान्त : समूह या समुदाय जिनके लिए कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे है वह नेतृत्व के प्रति विश्वास बनाये रखें। जन–मानस इस बात से जागरूक हो कि कार्यक्रम जनकल्याण के लिए है, इनसे किसी व्यक्ति विशेष को ही लाभ नही होगा वरन् सम्पूर्ण समूह या समुदाय लाभान्वित होगा।

2. स्वीकृति का सिद्धान्त : समूह या समुदाय को उसकी वर्तमान स्थिति में स्वीकार करते हुए प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्वस्थ जनमत तैयार किया जाना इस सिद्धान्त की विशेषता है। प्रत्येक सदस्य इस बात को स्वीकार कर ले कि नेतृत्व करने वाले सहदयी सच्चरित्र एवं नेक है।

3. वैधता का सिद्धान्त : वह जनमानस जिनके लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है उनको विश्वास हो कि कार्यक्रम नैतिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए उचित है। इसी विश्वास के आधार पर ही जनमानस का सहयोग नेतृत्व को मिलता है। सामाजिक वैधता स्थापित करने के लिए वैधानिक, दार्शनिक, नैतिक, क्रांतिकारी, प्राविधिक आदि मांगों का चुनाव नेतृत्व द्वारा किया जाता है, इससे प्रत्येक सदस्य को समस्त प्रकार का ज्ञान हो जाता है।

4. संवेगात्मकता का सिद्धान्त : नेतृत्व जनसामान्य के समक्ष ऐसे कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है ताकि जनता संवेगतात्मक रूप से कार्यक्रम से सम्बद्ध हो जाये और अपने उत्तरदायित्वों का उचित रूप से निर्वहन करे। कार्यक्रमों के चयन में नेतृत्व द्वारा रूचिकर, नाटकीय कार्यक्रमों का चयन किया जाता है जोकि जनता को भावनात्मक रूप से जोड़ने में सफल होते हैं।

5. बहुआयामी रणनीति का सिद्धान्त : गाँधी जी के अनुसार चार प्रकार की रणनीतियों को जनमानस के कल्याण के लिए प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है :

1. शैक्षिक रणनीति,
2. समझौतावादी रणनीति,
3. सुविधात्मक रणनीति, तथा
4. शक्ति रणनीति।

6. बहुआयामी कार्यक्रम का सिद्धान्त : जनसामान्य के कल्याण के लिए नेतृत्व को तीन प्रकार के कार्यक्रमों को अपनाना चाहिए।

1. सामाजिक कार्यक्रम,
2. आर्थिक कार्यक्रम, तथा

3. राजनीतिक कार्यक्रम।

7. मूल्यांकन का सिद्धान्त : नेतृत्व के लिए नितान्त आवश्यक होता है कि वह कार्यक्रमों को निरन्तर मूल्यांकन करे, क्योंकि मूल्यांकन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया होती है। कार्यक्रम की सफलता–असफलता का मूल्यांकन आवश्यक होता है, इससे इस बात की जानकारी होती है कि कार्यान्वयन में कहाँ–कहाँ कमियाँ रह गई; तत्पश्चात् इन कमियों को दूर किया जा सकता है।

12.3.7 सामाजिक क्रिया की विशेष प्रणालियां तथा प्रविधियां

सामाजिक क्रिया का उद्देश्य समस्या ग्रस्त व्यक्ति, समूह या समुदाय की समस्याओं को दूर करना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निपुण कार्यकर्ता जनकल्याण के लिये लोगों को सहायता उपलब्ध कराता है जो वास्तव में सहायता पाने के योग्य है। इस सहायता प्रक्रिया के दौरान कार्यकर्ता सामाजिक क्रिया की विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग करते हुए समूह या समुदाय की पूर्ति करने का प्रयास करता है। साथ ही चरण बद्ध प्रक्रिया के माध्यम से इनके लिए उपयुक्त उपचार की व्यवस्था करता है। लोगों को सहायता देने के लिए कार्यकर्ता अपने प्रमुख यंत्रों जैसे स्वयं का प्रयोग, कार्यक्रम नियोजन तथा सेवार्थी के साथ मधुर संबंधों का प्रयोग करता है।

12.3.8 सामाजिक अनुमोदन

सामाजिक अनुमोदन से तात्पर्य समाज के लोगों द्वारा सामाजिक प्रक्रिया विधि को मान्यता प्राप्त करना है चूंकि समाज कार्य एक व्यवसायिक सेवा के रूप में स्थापित हो चुका है। अतः सामाजिक क्रिया भी समाज के लोगों द्वारा अनुमोदित हो चुकी है। भूतकाल में दृष्टिपात करे तो सामाजिक क्रिया का प्रयोग बहुत समय से होता आया है जबकि लोग इसे सामाजिक क्रिया के तकनीकि शब्द से अनभिज्ञ होते हुए भी इस क्रिया में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं।

उपरोक्त सामाजिक क्रिया की परिभाषाएँ, सामाजिक क्रिया की विशेषताएँ, सामाजिक क्रिया के उद्देश्य, सामाजिक क्रिया के मूल तत्व, सामाजिक क्रिया के चरण, सामाजिक क्रिया के क्रमानुसार सिद्धांत, सामाजिक क्रिया की विशेष प्रणालियां तथा प्रविधियां, सामाजिक अनुमोदन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक क्रिया समाज कार्य की एक प्रविधि के रूप में कार्य करती है।

12.4 सार संक्षेप

प्रस्तुत इकाई में सामाजिक क्रिया के क्षेत्रों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है तथा इसमें बताया गया है कि सामाजिक क्रिया किन–किन क्षेत्रों में अपना योगदान प्रस्तुत करती है। इसी अध्याय में सामाजिक क्रिया द्वारा सामाजिक विधानों के लागू करने के लिए कौन–कौन सी विधियां होती है उनका विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है।

12.5 अभ्यास प्रश्न

1. सामाजिक क्रिया के क्षेत्र के बारे में वृहद रुप से चर्चा कीजिए ?
2. सामाजिक क्रिया के क्षेत्रों का बिन्दुवार ब्यौरा प्रस्तुत कीजिए ?
3. 'सामाजिक क्रिया के द्वारा सामाजिक विधान को कैसे लागू कराया जाता है' पर एक निबन्ध लिखिए ?

12.6 परिभाषिक शब्दावली

Organized collective action	संगठित सामूहिक क्रिया	Responsibility	उतरदायित्व
Supportive method	सहायक प्रणाली	Participation	सहभागिता
Psychological problems	मनौवैज्ञानिक समस्यायें	Materialistic	भौतिक
Justice with equality	समता के साथ न्याय	Non-materialistic	अभौतिक
Wide level	विस्तृत स्तर	Structural analysis	संरचनात्मक विश्लेषण
Substanceive	अंगभूत	Strategies	रणनितियॉ
Activeness of community	समुदायकी क्रियात्मकता	Action plan	क्रिया योजना
Democratic leadership	प्रजातांत्रिक नेतृत्व	Implementation	कार्यान्वयन

12.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, डॉ0 सुरेन्द्र एवं मिश्र, डॉ0 पी0 डी0, समाज कार्य–इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियां, न्यू रॉयल बुक कम्पनी, लखनऊ, पेज 269, वर्ष 1998।
2. सिंह, ए0 एन0 एवं सिंह, ए0 पी0, समाज कार्य, रैपिड बुक सर्विस, लखनऊ, पेज 245, वर्ष 2007।